

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

के

संशोधित दिशा-निर्देश

(2022-23 से 2025-26)

(दिनांक 12.04.2023 से प्रभावी)

कार्यालय विकास आयुक्त हथकरघा,

वस्त्र मंत्रालय,

उद्योग भवन,

नई दिल्ली

सं.7/1/2022-डीसीएच/एनएचडीपी/दिशा-निर्देश

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

\*\*\*\*\*

## राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

### 1. परिचय

हथकरघा क्षेत्र सबसे विशाल असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है और यह 35 लाख से अधिक लोगों को शामिल करते हुए ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है। इस क्षेत्र में 25 लाख से अधिक महिला बुनकर और संबद्ध कामगार कार्यरत हैं जो इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है।

यह महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है और महिला सशक्तिकरण का एक स्रोत है। हथकरघा बुनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृद्ध और सबसे जीवंत पहलुओं में से एक है। इस क्षेत्र में कम पूंजी सघनता, बिजली का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण अनुकूल, छोटे उत्पादन के लचीलेपन, नवाचारों हेतु उदारता और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन क्षमता की सुविधा है।

डिजाइन की विशिष्टता और अद्वितीयता, छोटे बैच आकार का उत्पादन करने की क्षमता और पर्यावरण के अनुकूल परिधान होने के कारण, हथकरघा उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में उच्च मांग है तथा विवेकशील खुदरा विक्रेता प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों की नियमित आधार पर निरंतर आपूर्ति के लिए विश्वसनीय स्रोत की तलाश करते रहते हैं। हालांकि, असंगठित होने के कारण, हथकरघा बुनकरों को व्यवस्थित उत्पादन के अभाव में बड़े ऑर्डर के अपने उत्पादों की आपूर्ति करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि वे आवश्यक गुणवत्तापूर्ण और समय पर डिलीवरी को पूरा कर सकते हैं। इसलिए, बाजार की मांग के अनुसार बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल उन्नयन, डिजाइन और उत्पाद विकास के माध्यम से अंतर को पाटने की आवश्यकता है ताकि बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर पारिश्रमिक और एक सुनिश्चित बाजार मिल सके। वस्त्र मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के माध्यम से, हथकरघा क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है जो अब मशीन से बने कपड़ों के साथ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में सक्षम है।

भारत सरकार कई नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति का अनुसरण कर रही है। हथकरघा क्षेत्र में भारत सरकार के अधिकांश योजनाबद्ध अंतःक्षेप राज्य एजेंसियों और सहकारी समितियों के माध्यम से होते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वस्त्र उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद और मुक्त व्यापार के उभरते अवसरों के कारण, इस क्षेत्र में लचीले दृष्टिकोण के बजाय एक केंद्रित और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की

आवश्यकता महसूस की गई है ताकि हथकरघा बुनकरों को वैश्विक पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने में सुविधा हो सके। उभरते बाजार के रुझानों के अनुरूप विकास और विविधीकरण के लिए एक स्थायी मार्ग तैयार करने हेतु बुनकरों को सशक्त बनाने की आवश्यकता भी महसूस की गई है।

## 2. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)- केंद्रीय क्षेत्र की एक प्लान स्कीम

एनएचडीपी को इसके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान गठित किया गया है। यह योजना हथकरघा के एकीकृत और समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण का अनुपालन करेगी। यह योजना कच्चे माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से मार्केटिंग सहायता, शहरी हाटों, मार्केटिंग परिसरों आदि के रूप में स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु स्वयं सहायता समूहों आदि सहित सहकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर बुनकरों की सहायता करेगी।

## 3. घटक

क. लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम

ख. हथकरघा मार्केटिंग सहायता

ग. आवश्यकता आधारित विशेष अवसंरचना परियोजना

घ. मेगा क्लस्टर विकास कार्यक्रम

ड. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा ऋण

च. हथकरघा बुनकर कल्याण

छ. अन्य विविध एवं प्रचारात्मक घटक-

I. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

II. हथकरघा संगणना

III. योजना का प्रचार, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और मूल्यांकन

IV. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)/इग्नू के माध्यम से बुनकरों/उनके बच्चों की शिक्षा

V. परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ,

VI. हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र

VII. एनएचडीपी, एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस, सीएचसीडीएस, एनईआरटीपीएस आदि की पूर्व में प्रतिबद्ध देयताएं।

ज. कोई अन्य घटक

## 4. योजना के उद्देश्य

- i. एर्गोनोमिक लूम डिजाइन और तकनीकी, प्री-लूम, ऑन-लूम और पोस्ट-लूम संचालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से व्यावसायिक खतरों को कम करने और बुनकरों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।

- ii. प्रतिभाशाली और अनकवर्ड बुनकरों पर विशेष ध्यान दिए जाने सहित हथकरघा कामगारों की आय बढ़ाने हेतु उनको घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीधे संपर्क सहित समान मार्केटिंग अवसर प्रदान करना।
- iii. हथकरघा और हस्तशिल्प के इन्टरैक्शन पर पॉकेट्स के विकास, व्यावसायीकरण से अछूते, लैंग्विशिंग क्राफ्ट के पुनरुद्धार की आवश्यकता और निर्यात क्षमता वाले पॉकेट्स पर ध्यान केंद्रित करना।
- iv. निफ्ट, एनआईडी और डीसी (एचसी) के सहयोग से आईआईएचटी को हथकरघा और हस्तशिल्प केंद्रों के रूप में पुनःस्थापित करना।
- v. हथकरघा कामगारों और अन्य हितधारकों, विशेष रूप से तकनीकी, प्रबंधकीय तथा उद्यमिता कौशल, बैंकिंग और वित्त के औपचारिक स्रोतों, विधि और कानूनी शब्दावली, निर्यात प्रक्रियाओं तथा विदेशी बाजार के रुझान, डिजिटल साक्षरता एवं ई-कॉमर्स आदि के क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना।
- vi. पारंपरिक डिजाइनों, ट्राइबल बुनाई, लैंग्विशिंग बुनाई, करघे आदि के संरक्षण और संग्रह को सुनिश्चित करना।
- vii. जागरूकता, प्राकृतिक रंगों/फाइबर को बढ़ावा देने और बुनाई समुदाय द्वारा लेबलिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को अपनाने के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और आकांक्षात्मक उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र खंड के रूप में भारत हथकरघा ब्रांड के तहत हथकरघा के ब्रांड निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।
- viii. हथकरघा शिल्प ग्रामों के निर्माण के माध्यम से बुनकरों, पेशेवर डिजाइनरों और उद्योग तथा पर्यटन के बीच इंटरफेस के माध्यम से फैशन के साथ हथकरघा को जोड़ने हेतु अधिक दृश्यता और इस क्षेत्र के लिए आउटरीच प्रदान करना।
- ix. हथकरघा कामगारों की उत्पादक कंपनियों के अधिक समतावादी ढांचे के निर्माण तथा व्यावसायिक विशेषज्ञता, परिचालन और वित्तीय स्वतंत्रता के लाभों के अंतःस्रवण के साथ-साथ वाणिज्यिक व्यवहार्यता और उनकी हैंडहॉल्लिंग सुनिश्चित करने के लिए उनकी सहायता करना।
- x. प्रतिभाशाली हथकरघा कामगारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित करना।
- xi. हथकरघा बुनकरों, उत्पादक कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों आदि को रियायती ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- xii. स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य भौगोलिक स्थानों में मेगा हथकरघा क्लस्टरों का एकीकृत और समग्र विकास, जो प्रमुख प्लेयर्स के बीच घनिष्ठ संबंधों और अन्योन्याश्रयता के साथ विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के विशेषज्ञ हैं।

- xiii. हथकरघा कामगारों को जीवन और दुर्घटना बीमा कवर, उनके बच्चों को स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा गरीब हथकरघा पुरस्कार विजेताओं को वित्तीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से उनका वेलफेयर सुनिश्चित करना।

## 5. कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)

- हथकरघा मार्केटिंग सहायता के अलावा अन्य घटकों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी:
  - I. केंद्र/राज्य सरकार के हथकरघा संगठन
  - II. राष्ट्रीय/राज्य स्तर के हथकरघा निगम
  - III. शीर्ष/संघ/प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां।
  - IV. हथकरघा प्रोड्यूसर्स कंपनी।
  - V. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा ऋण के लिए लागू बैंक
  - VI. राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित और डीसी (एचएल) द्वारा अनुमोदित हथकरघा के लिए काम करने वाली कोई अन्य उपयुक्त एन्टिटी।
- हथकरघा मार्केटिंग सहायता के लिए आईए:
  - i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हथकरघा और वस्त्र/सिल्क उत्पादन के प्रभारी निदेशक।
  - ii) हथकरघा संगठन जैसे कि निगम, शीर्ष समितियां, संघ, संस्थाएं, शिल्प मेला प्राधिकरण/कला और शिल्प सांस्कृतिक समितियां, राज्यों में शहरी हाट प्रबंधन निकाय जिनके पास राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सीईओ/अध्यक्ष/एमडी/एचओओ के रूप में सरकारी अधिकारी हैं।
  - iii) राष्ट्रीय स्तर के संगठन अर्थात् एनएचडीसी, एचईपीसी, ईपीसीएच, सीसीआईसी, सीएसबी, डब्ल्यूएससी, एनआईएफटी, वस्त्र समिति, निगमों का संघ और हथकरघा की शीर्ष संस्थाएं आदि।
  - iv) इसके अलावा, निम्नलिखित संस्थाएं अर्थात् शहरी हाट के लिए हथकरघा संगठनों अथवा स्थानीय सरकारी निकायों के अलावा अन्य राज्य एजेंसियां, निर्यात प्रोत्साहन के लिए कोई पंजीकृत और मान्यता प्राप्त निर्यातक संघ और जीआई अधिनियम के तहत पात्र हथकरघा उत्पादों के पंजीकरण के लिए जीआई के क्षेत्र में कार्यरत कोई भी निजी संगठन,
  - v) राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित और डीसी (एचएल) द्वारा अनुमोदित हथकरघा क्षेत्र में काम करने वाली कोई अन्य उपयुक्त एन्टिटी।

### नोट:

एससीडीपी के कार्यान्वयन के लिए, पात्र एजेंसी (एनजीओ, केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों को छोड़कर) को पिछले 2 वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित हथकरघा से जुड़े हुए गैर सरकारी संगठनों को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और प्रत्येक ट्रस्टी / पदाधिकारी का पैन नंबर और आधार नंबर जमा करना होगा। **अनुबंध-क4** की पात्रता मानदंड के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा एनजीओ का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है

## क लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एससीडीपी)

### क.1 वित्तीय सहायता की मात्रा

यह कार्यक्रम एक स्थान पर 500 हथकरघा कामगारों वाले समूह को प्रति क्लस्टर 2.00 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा) तक की आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है ताकि समूह आत्मनिर्भर बन सकें।

### क.2 परियोजना की अवधि

इस परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि पहली किस्त की स्वीकृति की तारीख से 3 वर्ष है।

### क.3 फंडिंग पैटर्न

- (i) बेसलाइन सर्वे, डायग्नोस्टिक स्टडी, कंसोर्टियम का गठन, जागरूकता कार्यक्रम, उत्पाद विकास, एक्सपोजर विजिट, प्रदर्शनियों / बीएसएम / प्रचार में भागीदारी, क्लस्टर गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, नामित एजेंसी को सेवा शुल्क, परियोजना प्रबंधन लागत, वस्त्र डिजाइनर की नियुक्ति, भूमि लागत को छोड़कर, कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षुओं को वेतन प्रतिपूर्ति, आईए को प्रोत्साहन आदि जैसे अंतःक्षेप पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होंगे।
- (ii) हाथकरघा संवर्धन सहायता और लाइटिंग यूनिट्स जैसे व्यक्तिगत बुनकरों को सीधे लाभान्वित करने वाले अन्य अंतःक्षेपों को 90:10 के अनुपात में भारत सरकार : लाभार्थी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा
- (iii) इंडिविजुअल वर्कशेड-एससी/एसटी/महिला/डिफरेंटली एबलड- 100% भारत सरकार की हिस्सेदारी।  
अन्य - भारत सरकार द्वारा 75% : 25% लाभार्थी द्वारा
- (iv) कॉमन वर्कशेड - भारत सरकार द्वारा 90%: 10% लाभार्थी द्वारा
- (v) कॉमन वर्कशेड के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम - भारत सरकार द्वारा 90%: 10% लाभार्थी द्वारा

### क.4 राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी)

एसएलपीसी की अध्यक्षता हथकरघा संगठन (शीर्ष बुनकर सहकारी समिति अथवा राज्य हथकरघा निगम) के सदस्यों, प्रमुख निर्यातक, संबंधित डब्ल्यूएससी के कार्यालय प्रमुख, एनएचडीसी के प्रतिनिधि, आईए के प्रतिनिधि और एसएचजी के समूह से एक बुनकर के साथ राज्य हथकरघा निदेशक द्वारा की जाएगी। एसएलपीसी परियोजना प्रस्तावों की जांच करने, कार्य योजना को मान्य करने, निगरानी, मूल्यांकन आदि के लिए जिम्मेदार होगा और आईए की सिफारिश भी करेगा। सिल्क आधारित हथकरघा क्लस्टरों को राज्य सिल्क उत्पादन निदेशक द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है, यदि राज्य में सिल्क उत्पादन का अलग निदेशालय है। राज्य निदेशालय प्रस्ताव की प्रति संबंधित डब्ल्यूएससी को उनकी प्रतिक्रिया के लिए एसएलपीसी बैठक से कम से कम दो सप्ताह पहले प्रस्तुत करेगा।

नोट: इंटर-कंपोनेंट डायवर्जन, यदि कोई हो, अनुमोदित लागत के भीतर और अनुमोदित सीमा के भीतर, डीसी (एचएल) कार्यालय को सूचना के तहत एसएलपीसी के अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

#### क.5 प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

राज्य निदेशालय एसएलपीसी की सिफारिशों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। राज्य निदेशालय द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन डीसी (एचएल) कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

यदि राज्य निदेशालय क्लस्टर प्रस्ताव को आईए, संबंधित डब्ल्यूएससी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद दो महीने के समय में अग्रेषित नहीं करता है, तो राज्य निदेशालय को सूचना के तहत सीधे डीसी (एचएल) के कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

सीडीपी के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा **अनुबंध - क1, क2, क3, और क4** पर है। **अनुलग्नक क1** में, कॉलम 5 से 16 तक प्रत्येक बुनकर के लिए भरे जाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्लस्टर में शामिल किए जाने वाले कुल बुनकरों में से कम से कम 50% बुनकर आईए के गैर-सदस्य होने चाहिए।

**प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज इस प्रकार हैं:**

1. प्राथमिकता वाले क्षेत्र को हाईलाइट करते हुए समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एसएलपीसी के कार्यवृत्त।
2. निर्धारित प्रोफार्मा में सीडीपी का बेसलाइन सर्वेक्षण अर्थात् **अनुबंध क1** आईए द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और हथकरघा निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
3. नैदानिक अध्ययन, अतःक्षेप-वार कार्य योजना/कुल वित्तीय परिव्यय, निर्धारित प्रोफार्मा अर्थात् **अनुबंध क2** में पहली किस्त के लिए निधियों की हस्तक्षेप-वार आवश्यकता, आईए द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और हथकरघा निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
4. निर्धारित प्रोफार्मा **अनुबंध क3** में नाम, पता, संपर्क, पैन/टैन नंबर, बैंक खातों के विवरण आदि दर्शाते हुए आईए की प्रोफाइल।
5. पिछले दो वर्षों के लिए आईए का लाभ तथा हानि खाता और बैलेंस शीट (लागू नहीं यदि, आईए केंद्र सरकार के कार्यालय जैसे डब्ल्यूएससी / आईआईएचटी, राज्य हथकरघा निदेशक और एनजीओ हो)
6. यदि आईए गैर सरकारी संगठन है, तो संबंधित राज्य निदेशालय निर्धारित प्रोफार्मा **अनुबंध क4** में ग्रेडिंग के लिए स्कोर पैटर्न प्रस्तुत करेगा। साथ ही, नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

7. स्थानीय समिति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप में एचएसएस, लाइटिंग यूनिट्स , वर्कशेड आदि जैसे व्यक्तिगत अतःक्षेपों का लाभ लेने के लिए बुनकरों की सूची।
8. कॉमन वर्कशेड के लिए, क्षेत्र और स्थान के साथ भूमि का विवरण, भूमि का टाईटल प्रासंगिक दस्तावेजों आदि द्वारा समर्थित आईए के नाम पर होना चाहिए।
9. कॉमन वर्कशेड के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम हेतु, लागत ब्रेक-अप, सिस्टम की लाइटिंग क्षमता, वारंटी अवधि, जगह जहां स्थापित किया जाना है, करघों की संख्या सहित वर्कशेड का आकार आदि का विवरण।

## **क. 6 घटक:**

### **क.6.1 बेसलाइन सर्वे**

बेसलाइन सर्वे के लिए क्लस्टर की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुनकर हाउसहोल्ड्स का दौरा करना आवश्यक होगा। बुनकरों के प्रोफाइल के लिए प्रोफार्मा **अनुबंध-क1** पर दिया गया है।

### **क.6.2 डायग्नोस्टिक स्टडी**

डायग्नोसिस का उद्देश्य वर्तमान परिदृश्य को समझना और उसका विश्लेषण करना है जिसके तहत क्लस्टर में हथकरघा प्रचालन में अर्थात व्यवसाय संचालन का विश्लेषण, उत्पादन गतिविधि की प्रकृति, उत्पादों की रूपरेखा, उत्पादन के पैटर्न और इसके लिए मौजूदा बाजार क्षमता। क्लस्टर के प्रोफाइल के लिए प्रोफार्मा **अनुबंध-क2** पर दिया गया है।

### **क.6.3 उत्पाद विकास**

उत्पाद विकास संबंधित क्लस्टर डिजाइनर और डब्ल्यूएससी के परामर्श से आईए द्वारा किया जाएगा। इस घटक के तहत प्रदान की गई निधि एक कोष के रूप में कार्य करेगी। विकसित उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग केवल उत्पाद विकास के लिए किया जाएगा।

### **क.6.4 एक्सपोज़र विज़िट**

न्यू लर्निंग्स हेतु अन्य हथकरघा पॉकेट्स का बुनकरों के एक्सपोज़र विज़िट के लिए 1.50 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

### **क.6.5 क्लस्टर कार्यकलापों का दस्तावेज़ीकरण**

दैनिक आधार पर, क्लस्टर में किए जाने वाले कार्यों को आईए द्वारा संकलित किया जाएगा। क्लस्टर विकास कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, सभी कार्यकलापों को रिकॉर्ड के उद्देश्य से प्रलेखित किया जाएगा।



## क.6.6 व्यक्तिगत अंतःक्षेप से बुनकरों को सीधे लाभ होता है

हथकरघा संवर्द्धन सहायता (एचएसएस) मदों (करघा/सहायक सामग्री), लाइटिंग यूनिट्स के वितरण और हथकरघा कामगारों को व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इन अंतःक्षेपों को राज्य निदेशालय द्वारा लागू किया जाएगा और उन्हें आपूर्तिकर्ता/लाभार्थियों को आगे जारी करने के लिए धनराशि दी जाएगी।

### क.6.6(i) हथकरघा संवर्द्धन सहायता (एचएसएस)

"एचएसएस" के तहत, हथकरघा बुनकरों/कामगारों के करघों/ सहायक सामानों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि फैब्रिक और उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार हो और कठिन परिश्रम को कम किया जा सके। एचएसएस मदों की लागत का शेयर भारत सरकार द्वारा 90% और लाभार्थी द्वारा 10% के अनुपात में होगा।

### पात्रता मानदंड

निम्नलिखित हथकरघा बुनकरों/कामगारों जो अपने 10% वित्तीय हिस्से का योगदान करने के इच्छुक हैं, को करघे/सहायक सामान प्रदान किए जाएंगे।

- i) लूमलेस बुनकर, मौजूदा करघे अथवा स्विचओवर को अन्य प्रकार के करघे से बदलने के इच्छुक (जैसे लोई लूम / पिट लूम से फ्रेम लूम आदि) अथवा उच्च चौड़ाई वाले लूम और अपग्रेडेड लूम की आवश्यकता वाले बुनकर।
- ii) हथकरघा/वस्त्र में डिप्लोमा/डिग्री/सर्टिफिकेट कोर्स करने वाला व्यक्ति पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद करघे के लिए आवेदन कर सकता है।

लागत मानदंडों के साथ योजना के तहत स्वीकार्य मदों की सूची **अनुबंध-क8** में दी गई है

### क.6.6(ii) लाइटिंग यूनिट (सोलर लाइटिंग सिस्टम सहित)

हथकरघा बुनकरों/कामगारों को लाइटिंग इकाई की खरीद के लिए लागत के रूप में 15,000/- रुपये प्रति यूनिट तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। (भारत सरकार द्वारा 90% और लाभार्थी द्वारा 10% के अनुपात में साझा किया जाएगा)।

### एचएसएस और लाइटिंग इकाइयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

- राज्य निदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- राज्य निदेशालय, एनएचडीसी और क्लस्टर आईए के प्रतिनिधि सहित संबंधित डब्ल्यूएससी के कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में एक स्थानीय समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

क) बुनकरों/कामगारों से उनके फोटोग्राफ, आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ और बुनकरों/कामगारों के आई-कार्ड के साथ क्लस्टर आईए/समाचार विज्ञापन के माध्यम से आवेदन एकत्र/आमंत्रित किए जाएंगे।

ख) पात्र बुनकरों/कामगारों की पहचान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की केंद्रीय डेटा बैंक के माध्यम से जांच की जाएगी। डब्ल्यूएससी अपात्र पाए जाने वाले बुनकरों/कामगारों का कारणों सहित रिकॉर्ड भी रखेगा।

ग) लाभ प्राप्त करने के लिए बुनकरों/कामगारों का चयन करना। यदि पात्र बुनकरों/ कामगारों की संख्या आवंटित लक्ष्य से अधिक है, तो लाभार्थियों के चयन में निम्नलिखित प्राथमिकता होगी:

#### करघे/सहायक सामान

- i) करघा रहित बुनकर
- ii) बुनकर जिन्होंने कौशल अपग्रेडेशन प्राप्त किया है
- iii) एक परिवार से एक सदस्य
- iv) 18-35 वर्ष आयु वर्ग के बुनकर

जिस व्यक्ति को करघा/सामान दिया गया है, उसे उसी प्रकार के करघे/सामान दोबारा नहीं मिलेंगे। हालांकि, अपग्रेडेशन की अनुमति दी जाएगी।

#### लाइटिंग यूनिट्स

v) बुनकरों/कामगारों के पास बिजली के अभाव/बाधित आपूर्ति में बिजली का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है।

vi) बुनकर/कामगार अपना 10% हिस्सा देने के इच्छुक हैं।

घ) प्रत्येक अंतःक्षेप के लिए बुनकरों की अंतिम सूची पर स्थानीय समिति द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ड) प्रत्येक मद, कार्य को आपूर्तिकर्ताओं के पैनल में शामिल करने के लिए राज्य निदेशालय द्वारा खुली निविदा के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करने की कार्रवाई एक साथ शुरू की जाएगी। निविदा के लिए, संबंधित राज्य निदेशालय राज्य के दिशा-निर्देशों का पालन करेगा और निविदा समिति का गठन करेगा, जिसमें सदस्य के रूप में संबंधित डब्ल्यूएससी का प्रतिनिधि होगा।

- जब तक प्रस्तुत करने की ऑनलाइन प्रणाली लागू नहीं हो जाती, तब तक राज्य निदेशालय पहली / दूसरी किश्त जारी करने के लिए प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रारूप में लाभार्थियों की अंतिम सूची (स्थानीय समिति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) डीसी (एचएल) कार्यालय को भेजेगा।
- परियोजना की स्वीकृति होने पर, राज्य निदेशालय संबंधित बुनकरों से आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई आदि के माध्यम से मद लागत का 10% एकत्र करेगा और आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान के रूप में 10% राशि के साथ आपूर्ति आदेश देगा। आपूर्ति आदेश में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के नाम, विनिर्देशों और लागत, आपूर्ति की अपेक्षित तिथि आदि सहित बुनकरों का विवरण अर्थात नाम, पता, मोबाइल नंबर, शामिल होंगे। आपूर्ति आदेश की एक प्रति संबंधित बुनकर को पृष्ठांकित की जाएगी।

- आपूर्ति आदेश और डिलीवरी शिड्यूल के अनुसार, आपूर्तिकर्ता राज्य निदेशालय को सूचना के तहत बुनकरों के 10% योगदान जमा करने के 2 महीने के भीतर एसएमएस आदि के माध्यम से लाभार्थियों को पूर्व सूचना के साथ वस्तुओं की डिलीवरी और इन्स्टालेशन सुनिश्चित करेगा। करघे/सहायक सामान के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट होने पर, बुनकर 7 दिनों के भीतर राज्य निदेशालय और डब्ल्यूएससी को निरीक्षण के लिए सूचित करेगा।
- वितरित वस्तुओं के लिए एक ऐप-आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू की जाएगी ताकि वास्तविक समय की प्रगति की निगरानी के लिए एचएसएस वस्तुओं और बुनकर के फोटोग्राफ और जियो-टैग को कैचर किया जा सके। गुणवत्ता पहलुओं के लिए ऐप आधारित सत्यापन प्रणाली के अलावा स्थानीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन की वर्तमान प्रणाली भी जारी रहेगी। एक सप्ताह के भीतर डीसी (एचएल) कार्यालय द्वारा विकसित किए जा रहे पोर्टल पर सत्यापन रिपोर्ट भी अपलोड की जानी चाहिए। यदि वस्तु की गुणवत्ता सही नहीं है, तो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आपूर्तिकर्ता को सूचित किया जाएगा।
- संतोषजनक सत्यापन रिपोर्ट के बाद निधि (90% भारत सरकार का हिस्सा) आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- राज्य निदेशालय प्रत्येक तिमाही में डीसी (एचएल) कार्यालय को क्लस्टर-वाइज और ब्लॉक-वाइज भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- यदि आपूर्तिकर्ता आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करता है, तो एजेंसी को समिति के निर्णयानुसार उपयुक्त दंड लगाने के साथ-साथ माल की आपूर्ति करने से वंचित किया जा सकता है। आपूर्तिकर्ता को अपने आचरण को स्पष्ट करने का एक उचित अवसर देने और स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद डिबारमेंट का आदेश पारित किया जाएगा। डिबारमेंट का आदेश स्पष्ट होगा। डिबारमेंट की एक प्रति मंत्रालयों/विभागों सहित उनकी वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए व्यापक रूप से परिचालित की जाएगी।
- लाभार्थी को करघे/सहायक सामान/लाइटिंग यूनिट्स के हस्तांतरण/निपटान की अनुमति नहीं है। अनुपालन की अवहेलना होने पर समिति द्वारा ब्याज सहित धन की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

#### **क.6.6(iii) व्यक्तिगत वर्कशेड का निर्माण**

व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए लाभार्थियों के बैंक खाते में दो समान किशतों में जारी करने के लिए 1,20,000/- रु. प्रति यूनिट (25 वर्ग मीटर मापने) की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहली किस्त अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी। दूसरी किस्त पहली किस्त के 70% उपयोग करने और स्थानीय समिति द्वारा वर्कशेड के भौतिक सत्यापन कर लिए जाने पर जारी की जाएगी। वर्कशेड के निर्माण के लिए भूमि लाभार्थी अथवा उसके पति अथवा पत्नी के नाम पर होगी। यदि भूमि पति अथवा पत्नी के नाम पर है, तो लाभार्थी को पति अथवा पत्नी का एक नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि लाभार्थी द्वारा उसकी भूमि पर वर्कशेड के निर्माण के लिए पति अथवा पत्नी को कोई आपत्ति नहीं है। यदि आवश्यक हो, तो लाभार्थी पहली/अगली मंजिल पर वर्कशेड का निर्माण कर सकता है।

शेयरिंग पैटर्न:

बीपीएल/एससी/एसटी/महिला/दिव्यांग लाभार्थियों के लिए- भारत सरकार द्वारा 100%;  
अन्य लाभार्थियों के लिए - भारत सरकार द्वारा 75% और लाभार्थी द्वारा 25%।

नोट: वास्तविक समय की प्रगति की निगरानी के लिए वर्कशेड और बुनकर के फोटोग्राफ और जीईओ-टैग को कैप्चर करने हेतु व्यक्तिगत वर्कशेड के लिए एक ऐप-आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू की जाएगी। गुणवत्ता पहलुओं के लिए ऐप आधारित सत्यापन प्रणाली के अलावा स्थानीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन की वर्तमान प्रणाली भी जारी रहेगी। ड्यूप्लीकेशन से बचने के लिए लाभार्थियों को संगणना आंकड़ों से जोड़ा जाएगा।

#### **क.6.6(iv) कॉमन वर्कशेड का निर्माण**

राज्य हथकरघा एवं वस्त्र/सिल्क उत्पादन आयुक्त/निदेशक को कॉमन वर्कशेड के निर्माण के लिए अधिकतम 1400/- रुपये प्रति वर्ग फीट तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता जारी करने हेतु, परियोजना प्रस्ताव के लिए वर्कशेड के क्षेत्र (वर्ग फीट में) को हाईलाइट करना, भूमि का स्थान, संख्या सहित स्थापित किए जाने वाले आइटम्स (करघे आदि), प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित भूमि का टाइटल, योजना लेआउट आदि की आवश्यकता होगी।

#### **क.6.6(v) कॉमन वर्कशेड के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम**

कॉमन वर्कशेड के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु राज्य निदेशालय को 10.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता जारी करने के लिए, लागत ब्रेक-अप, सिस्टम की लाइटिंग क्षमता, स्थान जहां स्थापित किया जाना है, करघों की संख्या सहित वर्कशेड का आकार आदि को हाइलाइट करते हुए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

#### **क.6.7 टेक्सटाइल डिजाइनर की नियुक्ति**

डिजाइन आवश्यक इनपुट्स में से एक है और हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथकरघा उत्पादों के विकास के लिए नवीन डिजाइनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डिजाइनरों को अनुबंध के आधार पर क्लस्टर में शामिल करने की आवश्यकता है। डिजाइन की आवश्यकता को टेक्सटाइल डिजाइनर द्वारा पूरा किया जाएगा, जो निफ्ट/एनआईडी अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्थान से उत्तीर्ण होगा। आवेदक के पास टेक्सटाइल डिजाइनर के रूप में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, विशेष रूप से हथकरघा में काम करने का अनुभव और हथकरघा सहित टेक्सटाइल के प्रचार और विकास का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसे डिजाइनरों की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें संबंधित डब्ल्यूएससी में 5 दिवसीय ओरिएंटेशन

प्रोग्राम करना होगा। डिजाइनर को भुगतान के लिए कोई भी व्यय स्थानीय समिति की सिफारिश से किया जाएगा।

राज्य निदेशालय द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करके, वस्त्र डिजाइनर का चयन एक पारदर्शी तरीके से राज्य हथकरघा निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा **अनुबंध-क5** पर दिए गए टीओआर में निर्धारित मापदंडों के अनुसार आईए, डब्ल्यूएससी के प्रतिनिधि, निफ्ट/आईआईएचटी के प्रतिनिधि आदि के साथ किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम और सभी आवेदकों पर बाध्यकारी होगा। डिजाइनरों का एक पैनल तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।

चयन के बाद, आईए परियोजना के कार्यान्वयन/परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु डिलिवरेबल्स को हाईलाइट करते हुए टेक्सटाइल डिजाइनर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी।

डिजाइनर के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और निगरानी स्थानीय स्तर पर एक समिति द्वारा किए जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यूएससी के कार्यालय प्रमुख, राज्य निदेशालय के संबंधित प्रतिनिधि, निफ्ट, एनएचडीसी, राज्य हथकरघा निगम/एपेक्स सोसाइटी और अध्यक्ष के निर्णयानुसार किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाएगी। यदि डिजाइनरों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो समिति की सिफारिश पर डिजाइनर की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। टेक्सटाइल डिजाइनर की नियुक्ति के लिए 15.00 लाख तक की कुल वित्तीय सहायता तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। टेक्सटाइल डिजाइनर को पारिश्रमिक का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा;

- i) 30,000/- रूपए प्रति माह की दर से निर्धारित पारिश्रमिक।
- ii) स्थानीय यात्रा, टेलीफोन आदि के व्यय को पूरा करने हेतु 500/- रूपए प्रति माह की दर से एकमुश्त भुगतान।
- iii) राज्य निदेशक/कार्यालय प्रमुख, डब्ल्यूएससी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति लागत, होटल में ठहरने और सार्वजनिक परिवहन अर्थात् थर्ड एसी ट्रेन/डीलक्स बस से यात्रा करने हेतु प्रासंगिक वास्तविक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर 800/- प्रति दिन।

**डिजाइनर को भुगतान स्थानीय समिति की सिफारिश से किया जाएगा।**

#### **क.6.8 कौशल उन्नयन**

क्लस्टरों में बुनाई, रंगाई, डिजाइनिंग आदि में कौशल उन्नयन कार्यक्रम समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) के तहत केवल इसके दिशानिर्देशों के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे।

एनएचडीपी के तहत, समर्थ के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए मजदूरी हानि प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति दिन / प्रति प्रशिक्षु 300/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

यदि समर्थ के तहत प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो डीसी (एचएल) की अनुमति के साथ, एन.एच.डी.पी. के तहत और स्वीकृत क्लस्टरों के बाहर **अनुबंध-क6** के दिशा-निर्देशों के अनुसार कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बुनकर सेवा केंद्र को कौशल उन्नयन कार्यक्रम/कार्यक्रमों के तहत मजदूरी हानि प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति दिन 300/- रुपये प्रति प्रशिक्षु की दर से वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।

**नोट:** एनएचडीपी के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभों को आधार अधिनियम, 2016 के अनुसरण में जारी अधिसूचना संख्या 1/3/2016/डीसीएच/बीएंडए, दिनांक 29.03.2017 में निहित दिशा-निर्देशों को पालन करते हुए जारी किया जाना चाहिए। इसलिए, एनएचडीपी के तहत करघे और सहायक उपकरण, सोलर लाइटिंग सिस्टम, व्यक्तिगत वर्कशेड, प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा आदि जैसे व्यक्तिगत अंतःक्षेपों का लाभ उठाने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को आधार संख्या रखने अथवा आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

#### **क.6.9 परियोजना प्रबंधन लागत**

क्लस्टर विकास कार्यकारी (सीडीई), जो कार्यान्वयन एजेंसी का कर्मचारी नहीं होगा, उसे कार्य पर लगाया जाएगा। उसे हथकरघा प्रौद्योगिकी (डीएचटी) में डिप्लोमा होना चाहिए, विशेषतः 2 वर्ष कार्य अनुभव के साथ। सीडीई कंप्यूटर साक्षर (एमएस वर्ड / एक्सेल / पावर प्वाइंट का ज्ञान), बेसिक ऑफ अकाउंट्स आदि होना चाहिए तथा वह रिकॉर्ड के रखरखाव और सभी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। सीडीई के लिए आवेदन संबंधित राज्य निदेशालय द्वारा एक विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। सीडीई का चयन राज्य हथकरघा निदेशालय के प्रभारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें संबंधित आईए, डब्ल्यूएससी आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चयनित सीडीई का एक पैनल भी रखा जाएगा। तीन वर्ष के लिए परियोजना प्रबंधन लागत (पीएमसी) के रूप में 15.00 लाख रुपये तक की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ब्यौरा निम्नानुसार है;

- i) 30,000/- रूपए प्रति माह की दर से निर्धारित पारिश्रमिक।
- ii) स्थानीय यात्रा, टेलीफोन आदि के व्यय को पूरा करने हेतु 500/- रूपए प्रति माह की दर से एकमुश्त भुगतान।
- iii) राज्य निदेशक/कार्यालय प्रमुख, डब्ल्यूएससी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति लागत, होटल में ठहरने और सार्वजनिक परिवहन अर्थात् थर्ड एसी ट्रेन/डीलक्स बस से यात्रा करने हेतु प्रासंगिक वास्तविक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर 800/- प्रति दिन।
- iv) कंप्यूटर/प्रिंटर और संबंधित फर्नीचर की खरीद की लागत (एकमुश्त सहायता 1.00 लाख रु. तक)।
- v) प्रशासनिक लागत (40,000/- रु. प्रति वर्ष कार्यान्वयन एजेंसी आदि को स्टेशनरी, क्लस्टर में स्थानीय यात्रा के व्यय की पूर्ति के लिए, बैठकों में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति लागत, होटल में ठहरने और सार्वजनिक परिवहन अर्थात् थर्ड एसी ट्रेन/डीलक्स बस से यात्रा करने हेतु प्रासंगिक वास्तविक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर 800/- प्रति दिन।

सभी भुगतान निर्धारित सीमा अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के भीतर बिल जमा करने पर और स्थानीय समिति की सिफारिश के साथ किया जाएगा।

## क.7 फंडिंग की घटक-वार ऊपरी सीमा

1. एचएसएस अर्थात् करघे/सहायक सामान, लाइटिंग इकाइयां, व्यक्तिगत वर्कशेड का निर्माण, कॉमन वर्कशेड का निर्माण, कॉमन वर्कशेड के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम आदि के लिए 150.00 लाख रूपए तक। व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए निधि 150.00 लाख रुपये का 1/3 तक सीमित है।
2. वस्त्र डिजाइनर को नियुक्त करने के लिए 15.00 लाख रुपये तक।
3. परियोजना प्रबंधन लागत के रूप में 15.00 लाख रुपये तक, जिसमें सीडीई का पारिश्रमिक, कॉल शुल्क और सीडीई की स्थानीय यात्रा लागत, स्टेशनरी आइटम, आईए को प्रशासनिक लागत, कंप्यूटर / प्रिंटर की खरीद आदि शामिल हैं।
4. अन्य अंतःक्षेपों के लिए 20.00 लाख रुपये तक
  - I. बेसलाइन सर्वे, डायग्नोस्टिक स्टडी, कंसोर्टियम का गठन, जागरूकता कार्यक्रम (2.00 लाख रूपए तक),
  - II. उत्पाद विकास (5.00 लाख रुपये तक),
  - III. प्रदर्शनियों/बीएसएम/प्रचार आदि में भागीदारी (5.00 लाख रुपये तक)
  - IV. अन्य राज्यों के हथकरघा पॉकेट्स की एक्सपोजर विजिट (1.50 लाख रुपये तक)
  - V. क्लस्टर गतिविधियों का दस्तावेजीकरण (0.50 लाख रुपये तक)
  - VI. आईए को प्रोत्साहन, (1.00 लाख रुपये) यदि क्लस्टर में स्वीकृत सभी अंतःक्षेप समय पर (3 वर्ष के भीतर) जिसमें भारत सरकार का हिस्सा कम से कम 1.50 करोड़ रु. हो, कार्यान्वित हो जाते हैं
  - VII. कोई अन्य अंतःक्षेप

भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुमेय वित्तीय सहायता 2.00 करोड़ प्रति क्लस्टर रुपये तक है।

## क.8 वित्तीय सहायता जारी करना

डीसी (एचएल) के अनुमोदन से निधियां निम्नानुसार स्वीकृत/जारी की जाएंगी:

क. आईए को पहली किस्त के रूप में 50% अग्रिम।

ख. दूसरी किस्त निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त होने पर जारी की जाएगी:

- I. जीएफआर-12-क में पहली किस्त जारी करने के कम से कम 70% का यूसी (उपयोगिता प्रमाणपत्र), आईए प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और राज्य हथकरघा निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
- II. आईए द्वारा हस्ताक्षरित और राज्य हथकरघा निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अंतःक्षेप-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।
- III. चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अंतःक्षेप-वार व्यय विवरण।
- IV. दूसरी किस्त जारी करने के लिए अंतःक्षेप-वार धनराशि की आवश्यकता।

- V. संबंधित डब्ल्यूएससी के कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में स्थानीय समिति की निगरानी रिपोर्ट।
- VI. दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए स्थानीय समिति (कम से कम दो सदस्य अर्थात डब्ल्यूएससी और राज्य सरकार) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक निर्धारित प्रारूप अनुबंध क 7 (I) में एचएसएस, लाइटिंग यूनिट, वर्कशेड आदि का लाभ उठाने के लिए बुनकरों की अंतःक्षेप-वार सूची।
- VII. इंटरवेंशन-वार उन बुनकरों की अंतिम सूची जो पहले ही एचएसएस, लाइटिंग यूनिट, वर्कशेड आदि का लाभ (पहली किस्त से) प्राप्त कर चुके हैं।

### क.9 एजेंसी-वार निधियां जारी करना

राज्य निदेशालय को एचएसएस, लाइटिंग यूनिट्स, कॉमन वर्कशेड के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम, व्यक्तिगत और कॉमन वर्कशेड के निर्माण हेतु चालू परियोजनाओं की बाढ़ की किस्तों के लिए फंड जारी किया जाएगा।

यदि हथकरघा/सिल्क उत्पादन प्रभारी निदेशालय एससीडीपी की एक कार्यान्वयन एजेंसी है, तो उन्हें एचएसएस की खरीद, लाइटिंग यूनिट, सामान्य वर्कशेड के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम, व्यक्तिगत और कॉमन वर्कशेड आदि जैसे व्यक्तिगत अंतःक्षेपों सहित सभी अंतःक्षेपों के लिए पूरी सहायता जारी की जाएगी।

- (i) यदि राज्य निदेशालय को इन अंतःक्षेपों को कार्यान्वित करने में बाधा उत्पन्न होती है, तो संबंधित डब्ल्यूएससी को धनराशि जारी की जाएगी। इसके अलावा, जहां संबंधित डब्ल्यूएससी क्लस्टर परियोजनाओं का आईए है वहां व्यक्तिगत हस्तक्षेपों सहित, सभी अंतःक्षेपों के लिए उन्हें चालू परियोजनाओं की अनुवर्ती किस्तों सहित निधियां जारी की जाएंगी। आपूर्तिकर्ता(ओं)/लाभार्थियों को निधियां संबंधित राज्य निदेशालय/डब्ल्यूएससी, जैसा भी मामला हो, द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से जारी की जाएंगी।
- (ii) आईए को बेसलाइन सर्वे, डायग्नोस्टिक स्टडी, कंसोर्टियम के गठन, जागरूकता कार्यक्रम, उत्पाद विकास, प्रदर्शनियों/बीएसएम/प्रचार में भागीदारी, एक्सपोजर विजिट, क्लस्टर गतिविधियों के दस्तावेजीकरण, परियोजना प्रबंधन लागत और चालू परियोजनाओं की अनुवर्ति किस्तों सहित डिजाइनर की नियुक्ति के लिए फंड जारी किया जाएगा।

योजना में निधियों का प्रवाह पीएफएमएस के माध्यम से होना चाहिए ताकि "अंतिम स्थान" तक निधियों की पूर्ण ट्रैकिंग सुनिश्चित की जा सके। सभी स्तरों पर सीडीपी की कार्यान्वयन एजेंसियों को पीएफएमएस पर जोड़ा जाना चाहिए और व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल/रसीद, व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण (आरईएटी) मॉड्यूल का उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य निदेशालय/आईए/डब्ल्यूएससी आदि द्वारा आपूर्तिकर्ताओं/लाभार्थियों/सीडीई/डिजाइनर आदि को किसी भी प्रकार की धनराशि पीएफएमएस/ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से जारी की जानी चाहिए।

### क.10 निगरानी



- I. परियोजना की निगरानी एसएलपीसी द्वारा की जाएगी और तिमाही आधार पर डीसी (एचएल) कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- II. डब्ल्यूएससी के प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, प्रगति की निगरानी करेगी,

क. राज्य हथकरघा निदेशक के प्रतिनिधि

ख. एनएचडीसी के प्रतिनिधि

ग. स्थानीय बुनकर/मास्टर बुनकर

घ. कोई अन्य सदस्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

डब्ल्यूएससी प्रगति की निगरानी करेगा और मासिक आधार पर डीसी (एचएल) कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

#### क.11 सहायता प्राप्त क्लस्टर के अतिरिक्त अंतःक्षेपों को वित्तीय सहायता

सहायता प्राप्त क्लस्टरों के अलावा अन्य क्षेत्रों/हथकरघा पॉकेटों में उन्नत करघे/सहायक उपकरण, लाइटिंग यूनिट, व्यक्तिगत वर्क-शेड के निर्माण, टेक्सटाइल डिजाइनर की नियुक्ति, उत्पाद विकास आदि जैसे घटकों के लिए वित्तीय सहायता आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- इन घटकों को संबंधित डब्ल्यूएससी, राज्य हथकरघा प्रभारी निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- प्रस्ताव (अनुलग्नक-क-7 के अनुसार) प्रभारी अधिकारी, संबंधित डब्ल्यूएससी / राज्य हथकरघा प्रभारी निदेशालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अंतःक्षेप-वार लाभार्थियों की सूची के साथ तैयार किया जाएगा और सीधे डीसी (एचएल) कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
- अनुलग्नक क7(1) के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी की श्रेणी (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, बीपीएल, दिव्यांग आदि) और लिंग (पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर) को दर्शाने वाली अंतःक्षेप-वार सूची, राज्य हथकरघा निदेशालय के एक प्रतिनिधि सहित प्रभारी अधिकारी, संबंधित डब्ल्यूएससी की अध्यक्षता वाली स्थानीय समिति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।
- वित्तीय सहायता व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए छोटी परियोजना के रूप में एक बार की सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, इसलिए पूर्ण और अंतिम किस्त के रूप में एक बार में निधि जारी की जाएगी। लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाना और एचएसएस मर्दों, लाइटिंग यूनिट्स का कार्यान्वयन, व्यक्तिगत वर्कशेड का निर्माण, डिजाइनर की नियुक्ति और उत्पाद विकास संबंधित आईए द्वारा किया जाएगा।

ख. हथकरघा मार्केटिंग सहायता (एचएमए)

उद्देश्य:

इस क्षेत्र में अधिक दृश्यता लाने और बुनकरों के अनुरूप पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए घरेलू और निर्यात बाजारों में समग्र और एकीकृत तरीके से मार्केटिंग चैनलों को विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना।

#### एचएमए के घटक:

1. घरेलू मार्केटिंग संवर्धन
2. हथकरघा निर्यात संवर्धन
3. शहरी हाटों की स्थापना
4. मार्केटिंग प्रोत्साहन (एमआई)

#### ख.1 घरेलू मार्केटिंग संवर्धन

एक्सपो/कार्यक्रमों, शिल्प मेला, वर्चुअल एक्सपो और विविध गतिविधियाँ के प्रकार:

- (i) घरेलू एक्सपो (राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो - “गाँधी बुनकर मेला”, राज्य हथकरघा एक्सपो - “हथकरघा” और जिला हथकरघा एक्सपो - “ताना-बाना”)
- (ii) शिल्प मेले
- (iii) दिल्ली हाट प्रदर्शनी
- (iv) ब्रांड निर्माण
- (v) राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
- (vi) हथकरघा पुरस्कार
- (vii) जेम ऑन-बोर्डिंग
- (viii) विविध प्रचार गतिविधियाँ/कार्यक्रम
- (ix) वर्चुअल एक्सपो (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय)

सभी घरेलू मार्केटिंग एक्सपो/कार्यक्रमों/शिल्प मेलों/दिल्ली हाट पर लागू सामान्य सिद्धांत:

- राज्यों के भीतर और बाहर से व्यापक भागीदारी की मांग करना। सभी राज्यों को एक्सपो आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- हैंडलूम मार्क (एचएलएम) और इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) के माध्यम से हथकरघा को लोकप्रिय बनाना। एचएलएम/आईएचबी की पंजीकृत एजेंसियों/बुनकरों के साथ-साथ उन हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों, जिनके पंजीकरण के लिए आवेदन विचाराधीन हैं, को भागीदारी के लिए पात्रता प्रदान की जाएगी।
- संत कबीर और हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण-पत्र धारकों, आईएचबी धारकों और राज्य पुरस्कार विजेताओं द्वारा वरीयता के संबंधित क्रम में भाग लेने हेतु हाई एंड उत्पादों के लिए शिल्प मेला और मास्टर निर्माण कार्यक्रम।

- सभी के लिए और अधिक अवसर हेतु, दिल्ली हाट भागीदारी के लिए हैंडलूम मार्क और इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाली हथकरघा संस्थाओं से आवेदन स्वीकार करेगी। तदनुसार, सहकारी समितियां, निर्माता कंपनियां, एसएचजी, जेएलजी आदि आवेदन करने के पात्र होंगे।
- कार्यान्वयन एजेंसी के पिछले कार्य-निष्पादन के आधार पर डीसी (एचएल) द्वारा मार्केटिंग एक्सपो/इवेंट आदि के आयोजन के लिए वार्षिक मार्केटिंग कैलेंडर को मंजूरी दी जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की आईए को एक सांकेतिक लक्ष्य की सूचना दी जाएगी।
- आयोजन की थीम को ध्यान में रखते हुए, कार्यान्वयन एजेंसी को दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे संगीत संध्या, कवि सम्मेलन, लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, फैशन प्रदर्शन आदि का आयोजन करना चाहिए।

**ख.1.(i) घरेलू प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश:**

**(क) फंडिंग पैटर्न, भागीदारी, एक्सपो/इवेंट्स, क्राफ्ट मेलों और वर्चुअल प्रदर्शनियों के लिए अवधि:**

नामकरण	प्रतिभागी	अवधि (दिनों में)	फंडिंग (लाख रु. में)
एनएचई - “गांधी बुनकर मेला”	80	14	45.00
एसएचई - “हथकरघा”	60	14	30.00
डीएचई -“ताना-बाना”	25	5-7	6.00
क्राफ्ट मेलें	-	-	15.00
वर्चुअल प्रदर्शनी	200 - 500 तथा उससे उपर	14	15.00 -22.00 (प्रचार, उद्घाटन और वेबिनार सत्रों पर 20% से अधिक व्यय)

**टीए/डीए और मालभाड़ा:** एनएचई/एसएचई/डीएचई/बीएसएम/आरबीएसएम/क्राफ्ट मेलों और अन्य मार्केटिंग एक्सपो/इवेंट्स आदि के प्रतिभागियों को भुगतान किया जाएगा।

**बाहरी प्रतिभागियों के लिए वित्तीय सहायता:**

- टीए के लिए 4,000/- रुपये की दर से
- मालभाड़ा के लिए 2,000/- रुपये की दर से
- विभिन्न हथकरघा मार्केटिंग एक्सपो/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दिल्ली तथा एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद और बेंगलोर में प्रति प्रतिभागी 800/- रुपये; अन्य शहरों में 500/- रुपये प्रति दिन की दर से डीए।

डीए मार्केटिंग एक्सपो/इवेंट की पूरी अवधि के साथ-साथ दो दिन (शुरू होने से एक दिन पहले और इवेंट के समापन के एक दिन बाद) के लिए स्वीकार्य होगा।

**स्थानीय प्रतिभागियों के लिए:** स्थानीय प्रतिभागियों (जहां एक्सपो आयोजित की जाती है, उस शहर की सीमा के भीतर से आने वाले) के संबंध में टीए/डीए और मालभाड़ा आदि को मिलाकर विभिन्न मदों के तहत कुल पात्रता 2,000/- रुपये तक सीमित होगी।

**एनएचई/एसएचई/डीएचई के लिए आईए द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना:**

- राज्य स्तरीय आईए निम्नलिखित के माध्यम से विकास आयुक्त (हथकरघा) को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा:
  - राज्य हथकरघा और वस्त्र / सिल्क निदेशक  
अथवा
  - राज्य में संबंधित डब्ल्यूएससी।
- हालाँकि, हथकरघा संगठन जैसे निगम, शीर्ष समितियाँ, संघ, शिल्प मेला प्राधिकरण / कला और शिल्प सांस्कृतिक समितियाँ, राज्यों में शहरी हाट प्रबंधन निकाय आदि, जिनके पास राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष/ सीईओ / एमडी / एचओओ के रूप में सरकारी अधिकारी हैं, अपने राज्य निदेशालयों को सूचित करते हुए अपने प्रस्ताव सीधे डीसी (एचएल) को प्रस्तुत कर सकते हैं।
- केंद्रीय/राष्ट्रीय स्तर के संगठन जैसे डब्ल्यूएससी, निफ्ट, एनएचडीसी, एचईपीसी, सीसीआईसी, सीएसबी आदि द्वारा प्रस्ताव सीधे डीसी (एचएल) को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- साथ ही, केंद्रीय/राष्ट्रीय स्तर के संगठन जैसे डब्ल्यूएससी, एनआईएफटी, एनएचडीसी, एचईपीसी, सीसीआईसी, सीएसबी, एनईएचएचडीसी आदि अपने प्रस्ताव सीधे डीसी (एचएल) को प्रस्तुत कर सकते हैं।
- एचएमए के सभी घटकों जैसे एनएचई/एसएचई/डीएचई/क्राफ्ट मेला/एक्सपोज/विविध कार्यक्रमों आदि के संबंध में स्वीकृत कुल पात्र राशि का 50% तक माई हैंडलूम पोर्टल (<https://myhandlooms.gov.in/>) के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा- **अनुलग्नक- ख1** में आवेदन जमा करने पर डीसी (एचएल) द्वारा सीधे आईए को अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा। इस अग्रिम राशि को एक्सपो की अंतिम तिथि तक जारी किया जा सकता है।
- निगरानी/जांच रिपोर्ट आदि के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट / सरकारी लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित विस्तृत अकाउंट प्रस्तुत करने पर विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा शेष राशि सीधे कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को जारी की जाएगी।
- डब्ल्यूएससी के मामले में, 100% राशि अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी।

**स्टालों का आवंटन:**

- एक पारस्परिक व्यवस्था में, डीसी (एचएल) कार्यालय अर्थात एनएचई, एसएचई और डीएचई द्वारा आयोजित घरेलू एक्सपो में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए 20% तक स्टॉल आरक्षित किए

जाएंगे और डीसी (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा आयोजित एक्सपो में हथकरघा बुनकरों के लिए 20% तक स्टाल आरक्षित होंगे।

- एक्सपो के आयोजन पर होने वाले खर्च सहित प्रतिभागियों को माल ढुलाई, टीए/डीए जैसे सभी खर्च आयोजन विभाग (हथकरघा/हस्तशिल्प) द्वारा उनके संबंधित योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार वहन किए जाएंगे।
- हथकरघा स्टॉल उन हथकरघा एजेंसियों को आवंटित किए जाएंगे जिनके पास हैंडलूम मार्क/इंडिया हैंडलूम ब्रांड पंजीकरण का अधिकार है अथवा जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है। ऐसी एजेंसियों में सहकारी समितियाँ, निर्माता कंपनियाँ, एसएचजी, जेएलजी, संघ, निगम, शीर्ष समितियाँ आदि शामिल होंगी।
- स्टालों का आवंटन करते समय, हथकरघा पॉकेट के नाम के साथ उत्पादों के विनिर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रतिभागियों का चयन और स्टालों का आवंटन इसके लिए गठित समिति द्वारा निम्नलिखित संरचना के साथ विशेषतः एक कम्प्यूटरीकृत ड्रा अथवा ओपन लॉटरी के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा:

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	समिति की संरचना
1	राज्य हथकरघा निगम	राज्य निदेशक (हथकरघा और वस्त्र / रेशम) के प्रतिनिधि के साथ डब्ल्यूएससी के प्रतिनिधि
2	राष्ट्रीय स्तर के संगठन जैसे एनएचडीसी, एचईपीसी, सीसीआईसी, सीएसबी, एनईएचएचडीसी आदि।	आईए के अलावा डीसी (एचएल) के कार्यालय द्वारा नामित
3	अन्य कोई आईए	प्रत्येक राज्य निदेशक (हथकरघा और वस्त्र / रेशम) के प्रतिनिधि, डब्ल्यूएससी और आईए के प्रतिनिधि।

- आवंटन की प्रक्रिया का उचित प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। साथ ही, प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर क्षेत्र के विभिन्न हैंडलूम पॉकेट्स को एक्सपो में पर्याप्त भागीदारी दी जानी चाहिए।
- यदि मेजबान क्षेत्र सहित किसी भी क्षेत्र से पर्याप्त संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो रिक्त स्टालों को इसके विपरीत, प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुसार कम्प्यूटरीकृत ड्रा अथवा ओपन लॉटरी द्वारा अन्य क्षेत्रों को आवंटित किया जाएगा।
- आवंटन के उद्देश्य से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक अलग क्षेत्र माना जाएगा।
- एक (1) स्टॉल विशेष रूप से 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएचबी), हैंडलूम मार्क (एचएलएम), जीआई हैंडलूम उत्पादों, लुप्तप्राय/विलुप्त शिल्प और हथकरघा योजनाओं के प्रचार के लिए आरक्षित होगी।

- लोगों को आकर्षित करने के लिए एनएचई अथवा एसएचई में तीन (3) से चार (4) फूड स्टॉल और डीएचई में दो (2) फूड स्टॉल आरक्षित होंगे।

समिति, आवंटन करते समय, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर स्थानीय और बाहरी भागीदारी के बीच एक इष्टतम संतुलन का प्रयास करेगी:

- स्थानीय हथकरघा संस्थाओं के पास आम तौर पर स्थानीय बाजार के लिए पर्याप्त एक्सपोजर होता है, तथा स्थानीय बाजारों में स्थानीय उत्पादों के लिए बिक्री का अवसर बहुत उत्साहजनक नहीं होता है।
- बहुत अधिक स्थानीय भागीदारी बाहरी हथकरघा संस्थाओं के लिए नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के अवसरों को सीमित करती है।
- एक्सपो में विविधता लाने और दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों से भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- मार्केटिंग एक्सपो में हथकरघा उत्पादों की अंतर-राज्य बिक्री को बढ़ावा देने और हथकरघा संस्थाओं को अन्य राज्यों के बाजारों में प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।
- एक्सपो में हथकरघा उत्पादों की अंतर-राज्य बिक्री से विशिष्ट हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।

**नोट:** किसी भी परिस्थिति में स्टालों को सबलेट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर और नियमित औचक जांच होनी चाहिए।

**अन्य विशेषताएं:**

- प्रत्येक एनएचई / एसएचई / डीएचई में एक ग्राहक सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा और अत्यधिक मूल्य निर्धारण और अनुचित कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए आईए के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा।
- आईए को प्रयास करना चाहिए कि नकदी के उपयोग को कम करने के लिए ग्राहकों द्वारा खरीदारी को यूपीआई सक्षम डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, फोनपे, गूगल पे या किसी अन्य उपयुक्त सेवा/प्लेटफॉर्म, या प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) सुविधा द्वारा सुगम बनाया जाए।
- आईए यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी-वार दैनिक बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखा जाए।
- जहां तक संभव हो, एनएचई/एसएचई/डीएचई का उपयोग इवेंट के दौरान ग्राहक सर्वेक्षण और बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण तथा व्यवस्थित तरीके से बाजार आसूचना एकत्र करने के लिए एक स्रोत के रूप में और डेटा एकत्र करके भी किया जाना चाहिए जो आने वाले वर्षों में बेहतर तरीके से इवेंट आयोजन में उपयोगी होगा।

- हथकरघा उत्पादों और उनके मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए आईए प्रत्येक एनएचई के दौरान एक कार्यशाला अथवा एक संगोष्ठी अथवा एक बैठक अथवा बीएसएम आयोजित करेगा।
- आईए द्वारा संबंधित डब्ल्यूएससी/जोनल निदेशक और विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय को इवेंट के आयोजन के संबंध में सूचना/आमंत्रण भेजा जाएगा।
- आईए को प्रत्येक एक्सपो के आयोजन के बाद 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रारूप में एक्सपो की संक्षिप्त रिपोर्ट ईमेल के साथ-साथ हार्ड कॉपी के माध्यम से विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

नाम	दिनांक और स्थान	प्रतिभागियों की संख्या	उत्पन्न बिक्री	फुटफॉल	लाभार्थियों की संख्या

- इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के सुरक्षा उपाय, बीमा और दूसरे मानदंड सहित समय-समय पर जारी कोई अन्य निर्देश/दिशानिर्देश अथवा स्वीकृति आदेश आदि में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

#### प्रचार-प्रसार:

- संबंधित डब्ल्यूएससी के परामर्श से प्रचार सामग्री को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसकी लागत प्रचार व्यय से वहन की जाएगी।
- प्रत्येक एक्सपो के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार अनिवार्य है। प्रचार के अन्य तरीकों के अलावा होर्डिंग्स, ब्रोशर, स्टैंडी, बैनर आदि। इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया में एफएम, ऑडियो/वीडियो का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया जा सके।
- कार्यक्रम स्थल में प्रमुख स्थानों पर हथकरघा को बढ़ावा देने वाली फिल्मों का प्रदर्शन।
- प्रवेश द्वार और सभी प्रचार सामग्री में स्पष्ट रूप से "राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो -“गांधी बुनकर मेला”, राज्य हथकरघा एक्सपो - “हथकरघा” और जिला हथकरघा एक्सपो - “ताना-बाना”, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित" का उल्लेख होना चाहिए।
- सभी प्रचार सामग्री पर विकास आयुक्त (हथकरघा) और एचएलएम/आईएचबी के लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा।

**ख.1.(i)(क) नेशनल हैंडलूम एक्सपो (एनएचई) –“गांधी बुनकर मेला”**

- **स्थान:** दिल्ली और एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, वाराणसी, कानपुर, गुवाहाटी अथवा हथकरघा की पर्याप्त मौजूदगी वाला कोई अन्य शहर अथवा 25 लाख से अधिक आबादी वाला शहर।
- एनएचई में, कम से कम 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा और कुल स्टालों में से 30 स्टॉल मेजबान क्षेत्र के लिए आरक्षित होंगे, शेष 50 अन्य चार क्षेत्रों में से होंगे, पूर्वोत्तर एक अलग क्षेत्र होगा।
- यदि मेजबान क्षेत्र सहित किसी भी क्षेत्र से पर्याप्त संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो रिक्त स्टालों को इसके विपरीत, प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुसार कम्प्यूटरीकृत ड्रा अथवा ओपन लॉटरी द्वारा अन्य क्षेत्रों को आवंटित किया जाएगा।

**फंडिंग पैटर्न:**

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	राशि (लाख रुपये में)
1	स्टॉल का किराया, इंफ्रास्ट्रक्चर, थीम पवेलियन, थीम पवेलियन में प्रदर्शन सामग्री, बिजली शुल्क आदि	20.03
2.	बैंकअप सेवाएं और प्रशासनिक व्यय	6.00
3.	प्रचार खर्च	5.50
4.	प्रतिभागियों के लिए टीए/डीए + माल दुलाई प्रभार	अधिकतम 12.16 तक
	<b>कुल परियोजना लागत</b>	<b>43.69</b>
9.	आईए को कार्यान्वयन शुल्क (परियोजना लागत का अधिकतम 3%)	अधिकतम 1.31 तक
	<b>कुल योग</b>	<b>45.00</b>

**ख.1.(i)(ख) राज्य हथकरघा एक्सपो (एसएचई) - “हथकरघा”**

- **स्थान:** एनएचई के संचालन के लिए कवर किए गए सभी शहर और सभी राज्यों की राजधानी, शहरी हाट वाले शहर या 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर (एनईआर शहरों के मामले में 2 लाख)।
- कुल स्टालों में से 40 स्टॉल मेजबान राज्य के लिए, 20 स्टॉल मेजबान राज्य के बाहर के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए।
- यदि मेजबान क्षेत्र सहित किसी भी क्षेत्र से पर्याप्त संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो रिक्त स्टालों को इसके विपरीत, प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुसार कम्प्यूटरीकृत ड्रा अथवा ओपन लॉटरी द्वारा अन्य क्षेत्रों को आवंटित किया जाएगा।



### फंडिंग पैटर्न:

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	राशि (लाख रुपये में)
1	स्टॉल का किराया, इंफ्रास्ट्रक्चर, थीम पवेलियन, थीम पवेलियन में प्रदर्शन सामग्री, बिजली शुल्क आदि	13.00
2.	बैंकअप सेवाएं और प्रशासनिक व्यय	4.00
3.	प्रचार खर्च	3.50
4.	प्रतिभागियों के लिए टीए/डीए + माल ढुलाई प्रभार	अधिकतम 9.12 तक
	<b>कुल परियोजना लागत</b>	<b>29.12</b>
9.	आईए को कार्यान्वयन शुल्क (परियोजना लागत का अधिकतम 3%)	अधिकतम 0.88 तक
	<b>कुल योग (लाख रु. में)</b>	<b>30.00</b>

### थीम पवेलियन:

- प्रत्येक एनएचई/एसएचई का थीम पवेलियन 500-2500 वर्ग फुट होना चाहिए जिसे आईए द्वारा स्थापित किया जाएगा।
- थीम पवेलियन में प्रदर्शन की व्यवस्था संबंधित डब्ल्यूएससी/निफ्ट/किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी द्वारा की जाएगी।

### ख.1.(i)(ग) जिला हथकरघा एक्सपो (डीएचई) - "ताना-बाना"

- स्थान: छोटे शहर और हैंडलूम पॉकेट/क्लस्टर, हिमालयी क्षेत्रों/पूर्वोत्तर के क्षेत्र। आवश्यकता/अवसर के आधार पर अन्य स्थानों पर भी इसका आयोजन किया जा सकता है।
- छोटे शहरों के लिए डीएचई को प्राथमिकता देते हुए, इसे देश भर में क्षेत्रीय त्योहारों जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा, मकर संक्रांति अथवा हथकरघा उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष अवसरों पर भी आयोजित किया जा सकता है।
- डीएचई के संबंध में, प्राथमिकता के साथ, पूरे राज्य से भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि इसे केवल जिले तक सीमित किया जाना चाहिए। राज्य के बाहर से भी भागीदारी लाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

### फंडिंग पैटर्न:

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	राशि (लाख रुपये में)
1	बिजली सहित स्टॉल किराया/अवसंरचना	3.00
2	प्रचार (समाचार पत्र विज्ञापन अनिवार्य है)	0.70

3	प्रशासनिक व्यय	0.25
4	प्रतिभागियों को टीए/डीए + भाड़ा शुल्क	अधिकतम 1.88 तक
	<b>कुल परियोजना लागत</b>	<b>5.83</b>
5	आईए को कार्यान्वयन शुल्क (परियोजना लागत का अधिकतम 3%)	0.17
	<b>कुल योग</b>	<b>6.00</b>

### प्रतिभागियों की भूमिका:

प्रतिभागियों से बाजार मांग-उन्मुख उत्पादों को विकसित करने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक उत्पाद पर मूल्य टैग सहित या तो एचएलएम अथवा आईएचबी लेबल फिक्स होगा।

### एनएचई / एसएचई / डीएचई / क्राफ्ट मेला में कम कार्य-निष्पादन के लिए जुर्माना:

क्र. सं.	इवेंट में प्रतिभागियों की अपेक्षित संख्या और वास्तविक भागीदारी के बीच भिन्नता का स्तर	कुल/अंतिम उपयुक्त राशि में से कटौती की जाने वाली राशि
1	0-10% के बीच भिन्नता	शून्य
2	11-20% के बीच भिन्नता	यथानुपात 10% की कटौती
3	21-50% के बीच भिन्नता	यथानुपात 20% की कटौती
4	51-80% के बीच भिन्नता	यथानुपात 50% की कटौती
5	80% से अधिक की भिन्नता	एक्सपो के लिए पहले से जारी अग्रिम राशि का 50% आईए से वसूल किया जाएगा और दूसरी किस्त/पूर्ण और अंतिम भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा।

### मॉनिटरिंग:

- योजना के अनुसार एनएचई/एसएचई/डीएचई आयोजित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी आईए की होगी।
- राज्य के हथकरघा निदेशक को एक्सपो के उचित संचालन को देखने के लिए अधिकारियों को नामित करना चाहिए और उनका विवरण अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।
- विकास आयुक्त (हथकरघा) इन एक्सपो का निरीक्षण/नमूना जांच करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) / डब्ल्यूएससी/प्रवर्तन विंग अथवा किसी अन्य संगठन के कार्यालय से एक प्रतिनिधि को नामित करेगा।
- विशेष परिस्थितियों में, यदि डब्ल्यूएससी एक्सपो का दौरा करने और निरीक्षण करने की स्थिति में नहीं है, तो हथकरघा और वस्त्र निदेशक, हथकरघा प्रभारी निरीक्षण करेंगे।

### अंतिम दावा प्रस्तुत करना:

समाधान के लिए अंतिम रिपोर्ट और खातों को प्रस्तुत करने हेतु, कार्यक्रम के पूरा होने के चार माह के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा में एक प्रमाण-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय को भेजे जाने चाहिए:

1. जारी की गई अग्रिम राशि के लिए जीएफआर 2017 (जैसा लागू हो) के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी)।
2. चार्टर्ड एकाउंटेंट / सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत ऑडिट किए हुए शीर्ष-वार ऑडिटेड एकाउंट्स (व्यय विवरण)।
3. अंतिम रिपोर्ट (अनुबंध-ख2)।
4. अनुबंध-ख3 के रूप में निर्धारित प्रपत्र में बुनकर सेवा केंद्र की निरीक्षण रिपोर्ट
5. प्रचार सामग्री- समाचार पत्र, ब्रोशर, होर्डिंग्स, ऑडियो-वीडियो, एफएम, सोशल मीडिया आदि में विज्ञापन का प्रमाण।
6. एक्सपो के मुख्य द्वार सहित स्टॉल, उद्घाटन/समापन समारोह, फुटफॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि को कवर करते हुए तस्वीरें/वीडियो। उद्घाटन के लिए एक्सपो की तस्वीरें, स्टॉल, फुटफॉल कवरेज आदि।
7. टीए/डीए और डीबीटी मोड के माध्यम से उन्हें भुगतान किए गए भाड़ा शुल्क के विवरण सहित प्रतिभागियों की सूची।
8. पीओएस का उपयोग करके बिक्री आय के केंद्रीकृत संग्रह के मामले में, खाते का नाम, खाता संख्या और यूटीआर नं. के साथ स्टाल आवंटियों को बिक्री आय के हस्तांतरण को दर्शाने वाले सत्यापित बैंक विवरण की प्रति स्टाल आवंटियों के साथ साझा किया जाएगा।

**ख.1.(ii) शिल्प मेला- स्थान और कार्यान्वयन एजेंसी**

क्र. सं.	शिल्प मेला	स्थान	आईए / नामित एजेंसी
1	सूरजकुंड मेला	सूरजकुंड, हरियाणा	सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, हरियाणा सरकार।
2	ताज महोत्सव	आगरा, यूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
3	शिल्पग्राम	उदयपुर, राजस्थान	राजस्थान सरकार
4	शिल्पारामम	हैदराबाद	तेलंगाना सरकार
5	शिल्पारामम	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश सरकार
6	तोशाली (जोनल क्राफ्ट मेला)	भुवनेश्वर	उड़ीसा सरकार
	किसी अन्य / नए शिल्प मेलों आदि को संबंधित राज्य सरकार / डब्ल्यूएससी की सिफारिश पर विकास आयुक्त (हथकरघा) के अनुमोदन से आवश्यकता के आधार पर सूची में जोड़ा जाएगा।		

**शिल्प मेलों के लिए प्रतिभागी:**

- आवेदन निर्धारित पात्रता के अनुसार माई हैंडलूम पोर्टल (<https://myhandlooms.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे।
- सूरजकुंड शिल्प मेले को छोड़कर सभी शिल्प मेलों में भाग लेने के लिए, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं और एचएलएम/आईएचबी पंजीकरण वाली हथकरघा एजेंसियों को स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। ऐसी हथकरघा एजेंसियों में सहकारी समितियां, उत्पादक कंपनियां, एसएचजी, जेएलजी, संघ आदि शामिल होंगे।
- सूरजकुंड शिल्प मेले में भाग लेने के लिए, संत कबीर पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं / राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण-पत्र धारकों, आईएचबी पंजीकरण धारकों और प्रतिभाशाली राज्य पुरस्कार विजेताओं को उनके अधिमान्यता के क्रम में स्टाल आवंटित किए जाएंगे।
- ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से दिशा-निर्देशों के अनुसार योग्य आवेदकों के बीच कम्प्यूटरीकृत ड्रा अथवा खुली लॉटरी के माध्यम से प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा।

### प्रतिभागियों के चयन की प्रक्रिया:

- शिल्प मेलों में भाग लेने के लिए हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों के नामों की सिफारिश करते समय, संबंधित प्राधिकरण अर्थात डब्ल्यूएससी/राज्य सरकार निम्नलिखित को प्रमाणित करेगा:
  - कि शिल्पकारों/बुनकरों द्वारा उनके आवेदन में उल्लिखित नाम, पते, शिक्षा वास्तविक हैं; और
  - कि नामांकित व्यक्ति वास्तविक बुनकर हैं न कि व्यापारी/बिचौलिये।
- डीसी (एचएल) कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के सापेक्ष विभिन्न शिल्प मेलों में भाग लेने के लिए बुनकर/हथकरघा एजेंसियां माई हैंडलूम पोर्टल (<https://myhandlooms.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन मोड में अपने आवेदन जमा करेंगी। डब्ल्यूएससी/ राज्य हथकरघा निदेशालय इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनायेंगे।
- डब्ल्यूएससी पात्रता के लिए आवेदनों की जांच करेंगे और डीसी (एचएल) मुख्यालय को शॉर्टलिस्ट करके ऑनलाइन अग्रेषित करेंगे, जो कम्प्यूटरीकृत ड्रा अथवा ओपन लॉटरी के माध्यम से प्रतिभागियों का चयन करेंगे तथा उनकी सूची को एनआईसी की हथकरघा वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे।
- विभिन्न शिल्प मेलों में भाग लेने के लिए चुनी गई सभी हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को प्रतिरूपण (नकल) के मामलों से बचाव के लिए संबंधित डब्ल्यूएससी द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र (बुनकरों से एकत्र किए जाने वाले) जारी किए जाने चाहिए। यदि क्षेत्र में कोई डब्ल्यूएससी नहीं है, तो बुनकरों को इसे उस क्षेत्र में स्थित निदेशक हथकरघा/वस्त्र के फील्ड कार्यालयों से प्राप्त करना होगा।
- चयनित बुनकरों को केवल उन्हीं हथकरघा वस्तुओं को बेचना चाहिए, जो बायोडाटा में उनके द्वारा उत्पादित किए जाने के रूप में इंगित किए गए हैं। चूक करने वाली हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भविष्य के कार्यक्रमों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

- देश के विभिन्न हिस्सों से पर्याप्त विविधता और बुनाई तकनीकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटरीकृत ड्रा अथवा ओपन लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाना चाहिए। बुनकरों एक ही राज्य के समान शिल्प का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए।
- लुप्तप्राय और विलुप्त शिल्पों को भागीदारी की आवृत्ति सहित भागीदारी के अन्य मानदंडों के अधीन वरीयता दी जानी चाहिए।
- सिफारिश करने वाले प्राधिकारी (ऐसे अधिकारी जो सहायक निदेशक के पद से नीचे का न हो) को शिल्पकार/बुनकर से एक वचन-पत्र लेना होगा और उसे निर्धारित प्रारूप {अनुबंध - ख5} में प्रमाणित करना होगा।

### फंडिंग पैटर्न:

निम्न के लिए 15.00 लाख रुपये तक:

- स्थान किराया/स्टाल किराया/बिजली/आधारभूत संरचना/प्रचार और अन्य आकस्मिक व्यय पर खर्च।
- मेला स्थल पर अस्थायी/स्थायी संरचनाओं की स्थापना के लिए स्टॉल, बुनकरों के लिए सुविधाएं, बिजली और पानी पर खर्च और आयोजन के लिए आकस्मिक खर्च।
- प्रचार-प्रसार: विज्ञापन, होर्डिंग, पोस्टरों की छपाई, पैम्फलेट आदि।

### प्रतिभागियों की भूमिका:

प्रतिभागियों से बाजार मांग-उन्मुख उत्पादों को विकसित करने की आशा की जाती है। प्रत्येक उत्पाद में मूल्य टैग सहित उत्पाद पर एचएलएम अथवा आईएचबी लेबल फिक्स होगा।

### अंतिम रिपोर्ट:

आईए राज्य/शिल्प-वार स्टालों की संख्या, बिक्री के आंकड़े (हथकरघा उत्पाद), फुटफॉल्स, अवसंरचना और प्रचार आदि के लिए किए गए खर्च सहित प्रतिभागियों की विवरण संख्या निर्धारित प्रोफार्मा- अनुबंध-ख2 में प्रस्तुत करेगी।

### ख.1.(iii) आईएनए, नई दिल्ली में दिल्ली हाट प्रदर्शनियां

#### ख.1.(iii)(क) मास्टर क्रिएशन प्रोग्राम

- दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में डीसी (एचएल) कार्यालय द्वारा हर साल विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
- प्रतिभागी: संत कबीर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण-पत्र धारक।

- आवेदन माई हैंडलूम पोर्टल (<https://myhandlooms.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे।
- प्रतिभागियों का चयन कम्प्यूटरीकृत ड्रा अथवा ओपन लॉटरी के माध्यम से संत कबीर पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेताओं और राष्ट्रीय योग्यता प्रमाणपत्र धारकों को वरीयता के क्रम में किया जाएगा।

#### वित्तीय सहायता:

- स्थान किराया/बुनियादी अवसंरचना/प्रचार-प्रसार/आकस्मिक गतिविधियों के लिए 15.00 लाख रु. तक।
- प्रतिभागियों को भाड़ा शुल्क और टीए/डीए की प्रतिपूर्ति - जैसा कि पैरा बी1.(i) (बी) में लागू है।

#### निधियां जारी करना:

आईए को 100% निधियां अग्रिम तौर पर जारी की जाएगी।

#### ख.1.(iii)(ख) आईएनए, नई दिल्ली में दिल्ली हाट प्रदर्शनियों में भागीदारी

- हथकरघा संस्थाओं को आवंटन के लिए डीसी (एचएल) कार्यालय के पास आईएनए मार्केट के सामने दिल्ली हाट में 46 स्टॉल हैं। इस हाट का प्रबंधन दिल्ली पर्यटन द्वारा किया जाता है।
- हैंडलूम मार्क/इंडिया हैंडलूम ब्रांड पंजीकरण वाली हैंडलूम एजेंसियों को हैंडलूम स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। ऐसी एजेंसियों में सहकारी समितियां, निर्माता कंपनियां, एसएचजी, जेएलजी, संघ, निगम, शीर्ष समिति आदि शामिल होंगे।
- हथकरघा एजेंसियां जिनके पंजीकरण के आवेदन एचएलएम/आईएचबी के लिए विचाराधीन हैं, उन पर भी एक्सपो/इवेंट में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा।

#### प्रतिभागियों के चयन की प्रक्रिया:

- शिल्प मेलों में भाग लेने के लिए हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों के नामों की सिफारिश करते समय, संबंधित प्राधिकरण अर्थात डब्ल्यूएससी/राज्य सरकार निम्नलिखित को प्रमाणित करेगा:
  - कि शिल्पकारों/बुनकरों द्वारा उनके आवेदन में उल्लिखित नाम, पते, शिक्षा वास्तविक हैं; और
  - कि नामांकित व्यक्ति वास्तविक बुनकर हैं न कि व्यापारी/बिचौलिये।
- डीसी (एचएल) के कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के सापेक्ष विभिन्न दिल्ली हाट में भाग लेने के लिए बुनकर/हथकरघा एजेंसियों को माई हैंडलूम पोर्टल (<https://myhandlooms.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन मोड में अपने आवेदन जमा करनी होगी। डब्ल्यूएससी/ राज्य हथकरघा निदेशालय इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएंगे।
- डब्ल्यूएससी पात्रता के लिए आवेदनों की जांच करेंगे और डीसी (एचएल) मुख्यालय को शॉर्टलिस्ट करके ऑनलाइन अग्रेषित करेंगे, जो कम्प्यूटरीकृत ड्रा अथवा ओपन लॉटरी के माध्यम से प्रतिभागियों का चयन करेंगे तथा इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा एनआईसी की हथकरघा वेबसाइट पर सूची प्रकाशित करेंगे।

- दिल्ली हाट में भाग लेने के लिए चुनी गई सभी हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को प्रतिरूपण के मामलों से बचाव के लिए संबंधित डब्ल्यूएससी द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र (बुनकरों से एकत्र किए जाने वाले) जारी किए जाने चाहिए। यदि क्षेत्र में कोई डब्ल्यूएससी नहीं है, तो बुनकरों को इसे उस क्षेत्र में स्थित निदेशक हथकरघा/वस्त्र के फील्ड कार्यालयों से प्राप्त करना होगा।
- हथकरघा संस्थाओं को केवल उन्हीं हथकरघा वस्तुओं को बेचना चाहिए, जो बायोडाटा में उनके द्वारा उत्पादित किए जाने के रूप में इंगित किए गए हैं। चूक करने वाली हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भविष्य के कार्यक्रमों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- देश के विभिन्न हिस्सों से पर्याप्त विविधता और बुनाई तकनीकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटरीकृत ड्रा अथवा ओपन लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाना चाहिए। एक ही राज्य के समान शिल्प का प्रदर्शन करने वाले बुनकरों को अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।
- लुप्तप्राय और विलुप्त शिल्पों को भागीदारी की आवृत्ति सहित भागीदारी के अन्य मानदंडों के अधीन वरीयता दी जानी चाहिए।
- सिफारिश करने वाले प्राधिकारी (ऐसे अधिकारी जो सहायक निदेशक के पद से नीचे का न हो) को शिल्पकार/बुनकर से एक वचन-पत्र लेना होगा और उसे निर्धारित प्रारूप {अनुबंध - ख5} में प्रमाणित करना होगा।

#### ख.1.(iv) ब्रांड निर्माण

##### ख.1.(iv)(क) मेगा ब्रांड के रूप में हथकरघा का प्रचार

हथकरघा को मेगा ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जाएंगी:

- एक पूर्व निर्धारित स्थान पर एक केंद्रीय समारोह का आयोजन
- फैशन शो
- पुरस्कार विजेताओं, जीआई, आईएचबी के विशेष उत्पादों के साथ हथकरघा प्रदर्शनियां
- अंतर्राष्ट्रीय मेले
- बीएसएम/आरबीएसएम
- प्रश्नोत्तरी/प्रतियोगिता का आयोजन
- कोई अन्य उपयुक्त कार्यक्रम

हथकरघा और हस्तशिल्प के विशेष संयुक्त कार्यक्रम हेतु बुनकरों, कारीगरों, निर्माताओं और निर्यातकों को उनके उत्पादों को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक टिकाऊ मांग का तालमेल बनाने के लिए पूरे देश में मेगा मार्केटिंग और प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन करके एक सामान्य ब्रांड नाम "विरासत" के साथ इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। इस आयोजन में शिल्प, भोजन, व्यंजन और गतिविधियों के मिश्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

#### वित्तीय सहायता:

विकास आयुक्त (हथकरघा) प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता का निर्णय और अनुमोदन करेगा।

#### **ख.1.(iv) (ख) 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएचबी)**

आईएचबी को 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शून्य दोष और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव वाले उच्च गुणवत्ता के हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए शुरू किया गया था।

#### **मुख्य विशेषताएं:**

100% हथकरघा, 100% प्राकृतिक फाइबर से बना, सुनिश्चित फास्ट कलर, त्वचा के अनुकूल डाइ, सोशली कम्प्लायन्ट।

#### **पंजीकरण और आईएचबी लेबल:**

आईएचबी के तहत पंजीकरण हथकरघा उत्पादों के निर्माताओं/उत्पादकों को उपरोक्त विशेषताओं को पूरा करने वाली विभिन्न श्रेणियों के तहत और आईएचबी-एसओपी के अनुसार दिए जाते हैं। पंजीकरण धारकों को पंजीकृत उत्पादों के लिए आईएचबी लेबल जारी किए जाते हैं।

**आईएचबी का प्रचार:** आईएचबी को जागरूकता कार्यक्रम, इवेंट आदि आयोजित करके बढ़ावा दिया जाएगा।

#### **वित्तीय सहायता:**

विकास आयुक्त (हथकरघा) प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता का निर्णय और अनुमोदन करेगा।

#### **ख.1.(iv)(ग) हैंडलूम मार्क (एचएलएम)**

- एचएलएम को वर्ष 2006 में शुरू किया गया था, ताकि खरीदार को गारंटी दी जा सके कि खरीदा जा रहा हथकरघा उत्पाद एक वास्तविक हाथ से बुना हुआ उत्पाद है न कि पावरलूम अथवा मिल निर्मित उत्पाद।
- समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिंडिकेटेड सामग्रियों, फैशन शो, फिल्मों, संगोष्ठी और कार्यशाला आदि में विज्ञापनों के माध्यम से एचएलएम को बढ़ावा और लोकप्रिय बनाया जाएगा।

#### **एचएलएम लेबल का पंजीकरण और जारी करना:**

- वास्तविक हथकरघा उत्पादक जैसे बुनकर/मास्टर बुनकर, प्राथमिक हथकरघा बुनकर, सहकारी समिति/शीर्ष समितियां और राज्य हथकरघा निगम
- अन्य एजेंसियां - हथकरघा उत्पादक अर्थात् एसएचजी, कंसोर्टियम, प्रोड्यूसर्स कंपनी, पीसी जेएलजी, फेडरेशन आदि।

#### **वित्तीय सहायता:**



विकास आयुक्त (हथकरघा) प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता का निर्णय और अनुमोदन करेगा।

### **ख.1.(iv)(घ) माल के भौगोलिक संकेतक (जीआई) का कार्यान्वयन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999**

भारत सरकार जीआई अधिनियम 1999 के तहत हथकरघा उत्पादों को पंजीकृत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह अधिनियम माल आदि के जीआई को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और अन्यों द्वारा इनके अनधिकृत उपयोग को रोकता है।

#### **वित्तीय सहायता:**

- डिजाइन/उत्पादों के पंजीकरण में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए 1.50 लाख रूपए।
- आईए कर्मियों को प्रशिक्षण देने और जी.आई. पंजीकरण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 1.50 लाख रुपये।
- डीसी (एचएल) प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर सेमिनार, कार्यशाला आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता का निर्णय और अनुमोदन करेगा।

### **ख.1.(v) राष्ट्रीय हथकरघा दिवस**

हथकरघा उद्योग और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान और बुनकरों की आय में वृद्धि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में अधिसूचना संख्या 2(14)/2015/डीसीएच/पीएंडई, दिनांक 29 जुलाई 2015 के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2015 से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है।

#### **वित्तीय सहायता:**

इस दिवस को मनाने हेतु समारोह के आयोजन के लिए और विभिन्न गतिविधियाँ जैसे प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, पुरस्कार समारोहों, जागरूकता कार्यक्रमों, समाचार पत्रों / पत्रिकाओं में विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक / सोशल मीडिया अभियान, सिंडिकेटेड आर्टिकल्स, फैशन शो, फिल्म, क्विज़ आदि का आयोजन करने के लिए अथवा कोई अन्य गतिविधियाँ जो हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त पाई जाती हैं, विकास आयुक्त (हथकरघा) प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता का निर्णय और अनुमोदन करेगा।

**ख.1.(vi)** हथकरघा पुरस्कारों पर दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

### **ख.1.(vii) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ऑन-बोर्डिंग**

सरकारी विभागों को हथकरघा उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए मार्केटिंग सुविधाएं प्रदान करने और उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जेम पर बुनकरों, सहकारी समितियों और

हथकरघा एजेंसियों को पंजीकृत करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) और जीईएम अधिकारियों द्वारा सुविधा प्रदान की गई है।

### **वित्तीय सहायता:**

हथकरघा उत्पादों की ई-मार्केटिंग क्षमता के लाभ उठाने हेतु प्रचार गतिविधियों अर्थात् कार्यशालाएं, सेमिनार, जागरूकता कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया अभियान आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए होगी। हालांकि, वास्तविक निधि प्रत्येक प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर तय की जाएगी।

### **ख.1.(viii) विविध प्रचार गतिविधियां/कार्यक्रम**

इसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा (विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के साथ-साथ विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के सहयोग से) एक्सपो, थीमेटिक डिसप्ले सह बिक्री, विशेष प्रदर्शनी बिक्री सहित अनुमोदित/प्रायोजित सोशल मीडिया अभियान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रचार अर्थात् हथकरघा क्षेत्र के बारे में जनता के बीच जागरूकता और समझ पैदा करने के लिए विज्ञापन, कॉफी-टेबल बुक, ई-ब्रोशर, ई-कैटलॉगिंग, फिल्म, वृत्तचित्र, वीडियो क्लिप, टेली-फिल्म आदि सहित प्रचार और प्रसार के उपाय जैसे रोड शो, लाइव डेमो, सेमिनार और कार्यशालाएं, बीएसएम, आरबीएसएम, वस्त्र इंडिया फेयर, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, फैशन शो, बुनकर चौपाल, हस्तकला सहयोग शिविर (एचएसएस), पर्यटन पर्व, भारत पर्व, हुनर हाट, राष्ट्रीय त्योहार, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, सांस्कृतिक एक्सचेंज कार्यक्रम, बुनकर एक्सचेंज कार्यक्रम आदि शामिल हैं। अन्य प्रचार सहायता जैसे पोस्टर, पैम्फलेट, ब्रोशर, बुक, कैटलॉग, स्मृति चिन्ह, विज्ञापन और सिंडिकेटेड कॉलम / लेख / संपादकीय / समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में विशेष पूरक और किसी भी अन्य मीडिया टूल की छपाई जो विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा प्रचार में उपयोगी और हथकरघा क्षेत्र के लिए लोकप्रिय पाई जाए।

नोट: अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए स्टालों के 20% तक अर्थात् भारत पर्व और पर्यटन पर्व, झरोखा, हुनर हाट आदि डीसीएचएल कार्यालय द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं।

**वित्तीय सहायता:** डीसी (एचएल) प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता का निर्णय और अनुमोदन करेगा।

**ख.1.(ix) घरेलू वर्चुअल एक्सपो** का आयोजन पैरा **ख.2.1 (ii)** में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल एक्सपो की तर्ज पर किए जाएंगे।

### **ख.2 हथकरघा निर्यात संवर्धन**

#### **उद्देश्य:**

- हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मेलों / प्रदर्शनियों, बिग टिकट इवेंट, बीएसएम, आरबीएसएम आदि के आयोजन / भागीदारी के माध्यम से बाजार पेनिट्रेशन। आईएचबी, एचएलएम और अन्य उपायों के माध्यम से प्रचार और ब्रांड विकास।

- उपयुक्त शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों, उत्पादक कंपनियों, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, निर्यातकों, अन्य प्रतिभाशाली बुनकरों आदि जो विशेष निर्यात योग्य हथकरघा उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, के लिए अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग संबंध स्थापित करने में सहायता करना।

## घटक:

1. अंतर्राष्ट्रीय मेले और प्रदर्शनियां
2. बीएसएम/आरबीएसएम का आयोजन
3. विविध प्रचार कार्यक्रम/गतिविधियां

## नोट

- अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग मेलों/एक्सपो/विविध इवेंट्स के लिए भागीदारी/आयोजन हेतु वार्षिक मार्केटिंग कैलेंडर को सचिव (टी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और आईए को एक सांकेतिक लक्ष्य के बारे में सूचित किया जाएगा।
- अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए बाजार और उत्पादों का चयन तथा प्रतिभागियों को पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए ताकि खरीदारों/खरीद एजेंटों की प्रतिक्रिया अच्छी रहे।
- योजना अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में किसी भी प्रतिभागी को दो बार से अधिक भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- हथकरघा निर्यात संवर्धन के सभी घटकों अर्थात् अंतरराष्ट्रीय मेलों और बीएसएम/आरबीएसएम के आयोजन तथा विविध प्रमोशनल इवेंट/गतिविधियों के संबंध में स्वीकृत कुल पात्र राशि का 70% तक निर्धारित प्रोफार्मा- अनुबंध- ख6/ अनुबंध- ख7 में आवेदन जमा करने पर विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा सीधे आईए को अग्रिम तौर पर जारी किया जाएगा। इस अग्रिम राशि को एक्सपो की अंतिम तिथि तक जारी किया जा सकता है।
- आईए को कुल उपयुक्त बजट के 3% की दर से कार्यान्वयन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट / सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित डिटैल्ड अकाउंट्स, अंतिम रिपोर्ट, यूसी, अन्य आवश्यक दस्तावेज आदि के प्रस्तुत करने पर शेष राशि विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा सीधे आईए को जारी की जाएगी।
- डब्ल्यूएससी के मामले में, 100% राशि अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी।

## ख.2.1 (i) अंतर्राष्ट्रीय मेले और प्रदर्शनियाँ (फिजिकल मोड) कम से कम 20 प्रतिभागी।

- बी2बी अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनी के लिए, न्यूनतम प्रतिभागी एचईपीसी/ईपीसी के 20 सदस्य निर्यातक होंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सदस्य निर्यातकों की उनके वार्षिक निर्यात टर्नओवर (केवल हथकरघा) की पात्रता की गणना वाणिज्य विभाग की मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
- बी2सी प्रदर्शनी सह बिक्री कार्यक्रमों के लिए, न्यूनतम प्रतिभागी 20 अर्थात् एचईपीसी/ईपीसी के 15 सदस्य निर्यातक और 05 गैर-सदस्य निर्माण हथकरघा एजेंसियां/व्यक्तिगत बुनकर होंगे।
- होनहार और आगामी गैर-सदस्य निर्माण हथकरघा एजेंसियों को इस आयोजन में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। व्यक्तिगत बुनकरों का चयन संत कबीर, राष्ट्रीय पुरस्कार/राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, आईएचबी पंजीकृत धारकों और एसएचजी, पीसी आदि जैसे हथकरघा संगठनों के प्रतिनिधियों में से किया जाएगा।

- भागीदारी के लिए गैर-सदस्य विनिर्माण हथकरघा एजेंसियों को शामिल किया जाएगा, जिनमें निर्यात क्षमता रखने वाले व्यक्तिगत बुनकर शामिल हैं। क्षेत्रीय निदेशकों की एक समिति ऐसी सूची को अंतिम रूप देगी और सीधे आईए को प्रदान करेगी, जिसमें उनके सदस्य निर्यातकों के नाम शामिल होंगे तथा डीसीएचएल कार्यालय से अग्रिम रूप से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- कार्यान्वयन एजेंसी अनिवार्य रूप से गैर-सदस्य निर्माण हथकरघा एजेंसियों/व्यक्तिगत बुनकरों को कार्यक्रम से पहले ब्रीफिंग करेगी और संबंधित डब्ल्यूएससी के परामर्श से कार्यक्रम के बाद पुनः डी-ब्रीफिंग करेगी तथा कार्यक्रम समाप्त होने के तुरंत बाद प्रतिपूर्ति दावे सहित मुख्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

#### फंडिंग पैटर्न (फिजिकल मोड):

- **स्थान का किराया :**
  - स्थान किराया, स्टॉल साज-सज्जा/निर्माण, प्रशासनिक व्यय सहित रख-रखाव आदि के लिए अधिकतम 60.00 लाख रुपये।
  - स्थान किराया एक निश्चित लागत होने के कारण प्रतिभागियों की संख्या से जुड़ा नहीं होगा।
  - प्रशासनिक व्यय 60.00 लाख रुपये के 10% से 20% के बीच रखा जाना चाहिए।
- **प्रचार:** निधियां भारत सरकार और आयोजनकर्ता एजेंसी के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी।
- **प्रतिभागियों को यात्रा अनुदान:** विदेश में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने वाली प्रत्येक एजेंसी से यात्रा अनुदान का भुगतान वास्तविक आधार पर अथवा 50,000/- रुपए प्रति प्रतिभागी, जो भी कम हो, भुगतान किया जाएगा। यात्रा अनुदान का संवितरण आयोजन एजेंसी के माध्यम से होगा।
- केवल विदेश में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए ही एचईपीसी, एनएचडीसी, ईपीसीएच आदि के अधिकारियों को यात्रा, डीए, आवास हेतु 100% अनुदान प्रदान किया जाएगा। किसी भी मेले/प्रदर्शनी में जहां 20 से अधिक प्रतिभागी भाग लेते हैं, उसके लिए एचईपीसी/एनएचडीसी/ईपीसीएच आदि के दो अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा।

#### ख.2.1 (ii) मेलें और प्रदर्शनियाँ- अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू (वर्चुअल मोड)

- इन इवेंट्स के लिए न्यूनतम 200 प्रतिभागियों वाले आयोजनों हेतु, बाजारों और उत्पादों का पहले से ही अच्छी तरह से चयन किया जाना चाहिए और प्रतिभागियों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि खरीदारों / खरीद एजेंटों की प्रतिक्रिया अच्छी रहे।
- अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों के संबंध में, एचईपीसी/ईपीसी के हथकरघा सदस्य निर्यातक, भरोसेमंद और उभरते गैर-सदस्यीय उत्पादक विनिर्माण हथकरघा एजेंसियां और व्यक्तिगत बुनकर भागीदार होंगे।

- घरेलू इवेंट्स और एक्सपो के लिए, शीर्ष और प्राथमिक सोसायटी, निगम, संघ, पीसी, एसएचजी, जेएलजी, हथकरघा पुरस्कार विजेता, आईएचबी धारक, बुनकर उद्यमी आदि जैसी हथकरघा एजेंसियां भाग लेंगी।

#### तकनीकी अवसंरचना:

उपयुक्त तकनीकी/आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी उत्पाद श्रेणियों में प्रौद्योगिकी-संचालित मैचमेकिंग और व्यापारिक वस्तुओं का एक डिजिटल शोकेस शामिल होना चाहिए।

#### वित्तीय सहायता:

क्र.सं.	घटक	वर्चुअल मोड	
1.	वर्चुअल प्लेटफॉर्म/स्पेस, लाइसेंस शुल्क भागीदारी शुल्क आदि को किराए पर लेना।	प्रतिभागियों की संख्या	सहायता (रु. लाख में)
		200 से 300	15.00
		301-400	18.00
		401-500	20.00
		501 और उससे अधिक	22.00
2.	प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कैटलॉग/ई-ब्रोशर/वेब-बैनर और अन्य सामग्री के माध्यम से प्रचार व्यय	क्र.सं. 01 के व्यय का अधिकतम 20%।	
3.	टीए/डीए और भाड़ा	वर्चुअल इवेंट होने पर, कोई टीए/डीए और भाड़ा नहीं,	
4.	विविध जैसे उद्घाटन और वेबिनार सत्र, अनुवाद और इन्टरप्रिटेशन, बोर्डिंग / प्रशिक्षण और प्रशासनिक व्यय आदि पर।	क्र.सं. 01 के व्यय का अधिकतम 20%।	

#### ख.2.1 (iii) बिग टिकट इवेंट

#### मुख्य विशेषताएं

- हथकरघा सदस्य निर्यातकों, भरोसेमंद और आगामी गैर-सदस्य उत्पादक हथकरघा एजेंसियों और व्यक्तिगत बुनकरों, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, निर्यातक बुनकरों, आईएचबी धारकों को अन्तर्राष्ट्रीय खरीदारों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान करना।

- अन्तर्राष्ट्रीय खरीदार आमतौर पर एक निश्चित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय मार्केटिंग आयोजनों के कलैण्डर को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथियों पर निश्चित स्थान/स्थानों पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- ईपीसीएच द्वारा भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला (आईएचजीएफ), दिल्ली मेला और सीईपीसी द्वारा इंडिया कारपेट एक्सपो की तर्ज पर ये कार्यक्रम भारत में वर्ष में दो बार आयोजित किए जाएंगे।
- आयोजन में 200 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे और वित्तीय सहायता 400.00 लाख रु. होगी।
- बीएसएम/आरबीएसएम, समारोह/संगोष्ठी, आईएचबी, जीआई की प्रदर्शनी, लुप्त हो रहे शिल्प और अन्य विशिष्ट हथकरघा उत्पादों पर कार्यक्रम, निर्यात पुरस्कार आदि इस आयोजन की मुख्य विशेषताएं होंगी।

#### बिग टिकट इवेंट के प्रमुख घटक:

क्रम सं.	घटक	राशि लाख रु. में
1.	स्थान की लागत जिसमें आयोजन व्यय, स्टॉल निर्माण/सजावट, रख रखाव प्रशासनिक लागत आदि शामिल है।	160.00
2.	प्रचार व्यय	30.00
3.	कैटलॉग/मुद्रित और डिजिटल/सोशल मीडिया सामग्री।	5.00
4.	अनुवाद और दुभाषिया शुल्क।	5.00
5.	अन्तर्राष्ट्रीय खरीदारों को यात्रा अनुदान जिसमें उनके ठहरने और भोजन आदि शामिल हैं। (अमेरिकियों/लेटिन अमेरिकियों के लिए 1 लाख रु. प्रति खरीदार; अन्य देशों के लिए 75,000/- रु. प्रति खरीदार)	100.00
6.	प्रतिभागी सदस्य निर्यातकों/निर्यातक बुनकरों/पुरस्कार विजेताओं/आईएचबी धारकों, आई.ए. के अधिकारियों आदि को ठहरने और भोजन आदि सहित यात्रा अनुदान 18,000 रु. प्रति प्रतिभागी।	30.00
7.	आरबीएसएम, समारोह, संगोष्ठी का आयोजन, आईएचबी, जीआई की प्रदर्शनी, लुप्त हो रहे शिल्प और अन्य विशिष्ट हथकरघा उत्पादों पर कार्यक्रम, निर्यात पुरस्कार आदि का आयोजन।	30.00
8.	कार्यक्रमों के आयोजन में कोई अन्य विशिष्ट घटक	40.00
	कुल	400.00

#### ख.2.2 (i) बीएसएम/आरबीएसएम का आयोजन (फिजिकल मोड)

बीएसएम/आरबीएसएम के आयोजन का उद्देश्य प्रमुख खरीदारों और प्रमुख खरीद संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भारत में महत्वपूर्ण व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/बीएसएम में आमंत्रित करना है, ताकि



भारतीय हथकरघा उत्पादों के बाजार को बढ़ाने के लिए उनके समक्ष भारतीय बाज़ार को प्रदर्शित किया जा सके।

## वित्तीय सहायता

आयोजन स्थल की लागत, प्रशासनिक व्यय, स्टाल की सजावट/रख-रखाव, प्रचार, कैटलॉग की लागत, अनुवाद तथा दुभाषिया शुल्क और डीसी (एचएल) द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य घटक के लिए अधिकतम 30.00 लाख रु.।

विदेशी आगंतुकों के लिए यात्रा अनुदान वास्तविक अथवा 50,000/- रु., जो भी प्रति प्रतिभागी कम हो, के आधार पर होगा।

### ख.2.2 (ii) बीएसएम/आरबीएसएम का आयोजन (वर्चुअल मोड)

- भारत में महत्वपूर्ण व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/बीएसएम को वस्तुतः देखने के लिए मैं प्रमुख खरीदारों और प्रमुख खरीद संस्थाओं के प्रतिनिधियों को घुमने हेतु बुलाये जाने के लिए वर्चुअल मोड (फिजिकल मोड के अतिरिक्त) मैं बीएसएम/आरबीएसएम का आयोजन किया जाएगा ताकि भारतीय हथकरघा उत्पादों के बाजार को बढ़ाने के लिए उनके समक्ष भारतीय बाज़ार को प्रदर्शित किया जा सके।
- बीएसएम के मामले में न्यूनतम भागीदारी 50 और आरबीएसएम के मामले में 200 होगी।

### तकनीकी बुनियादी ढांचा:

उपयुक्त तकनीकी आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रौद्योगिकी-संचालित मैच मेकिंग और समस्त उत्पाद श्रेणियों की वस्तुओं का डिजिटल प्रदर्शन शामिल होना चाहिए।

## वित्तीय सहायता

- वर्चुअल प्रदर्शनियों/मेलों के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना लागत यानि वर्चुअल प्लेटफॉर्म का विकास, वर्चुअल स्पेस का किराया, लाइसेंस शुल्क, भागीदारी शुल्क आदि ।
  - बीएसएम के लिए 10.00 लाख रु. और
  - आरबीएसएम के लिए 12.00 लाख रु. ।
- प्रचार: प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कैटलॉग/ई-ब्रोशर/वेब-बैनर और अन्य सामग्री आदि के माध्यम से प्रचार व्यय: ऊपर उल्लिखित के अनुसार अधिकतम 2% तक वित्तीय सहायता।
- विविध व्यय जैसे उद्घाटन और वेबिनार सत्र (लाइव-स्ट्रीम/प्री-रिकॉर्डेड) अनुवाद और व्याख्या, बोर्डिंग/प्रशिक्षण पर प्रदर्शकों और परियोजना प्रबंधन/प्रशासनिक व्यय आदि:

ऊपर उल्लिखित अनुसार अधिकतम 20% तक वित्तीय सहायता।

### ख.2.3 विविध प्रचार कार्यक्रम/गतिविधियां

- शोर्सिंग शोज
- निर्यातकों के कैटलॉग/ब्रोशर/निर्देशिकाओं का प्रकाशन।
- भारत और विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/विशेष अवसरों और अभियान के दौरान बिक्री काउंटरों की स्थापना और लाइव प्रदर्शन के लिए बुनकरों की प्रतिनियुक्ति करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में प्रतिभागिता।
- कोई अन्य गतिविधि/उपाए, जो सूचना के प्रसार/संवर्धन और निर्यात बाजार के विकास में उपयोगी हो।
- निर्यात प्रक्रियाओं, विदेशी बाजार प्रवृत्तियों आदि पर बुनकरों/हथकरघा एजेंसियों की क्षमता निर्माण।

विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा कार्यक्रम/गतिविधियों और उसके लिए वित्तीय सहायता पर प्रत्येक प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

#### अंतिम दावा प्रस्तुत करना:

अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने और खातों निपटान के लिए, कार्यक्रम के पूरा होने के चार माह के भीतर डीसी (एचएल) के कार्यालय को निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाने चाहिए:

1. जारी की गई अग्रिम राशि के लिए जीएफआर 2017 (यथा लागू) के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी)।
2. चार्टर्ड एकाउंटेंट / सरकारी ऑडिटर द्वारा विधिवत ऑडिट किए हुए शीर्ष-वार ऑडिट अकाउंट (व्यय विवरण)।
3. कार्यक्रमों/मेलों की अंतिम रिपोर्ट।
4. बुनकर सेवा केंद्र की निरीक्षण रिपोर्ट (यदि भारत के भीतर आयोजित की जाती है)।
5. प्रचार सामग्री- अखबार में विज्ञापन का प्रमाण, ब्रोशर, होर्डिंग्स, ऑडियो-वीडियो, एफएम, सोशल मीडिया आदि।
6. कार्यक्रमों/मेलों के फोटो/वीडियो।
7. प्रतिभागियों की सूची।
8. टीए/डीए और माल दुलाई शुल्क, बोर्डिंग पास आदि का विवरण।

### ख.3. शहरी हाट:

#### उद्देश्य:

- देश के प्रमुख स्थानों पर शहरी हाट स्थापित करने की योजना 1997-98 में शुरू की गई थी ताकि भाग लेने वाले बुनकर/शिल्पकार अपने हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेच सकें।

- रोटेशन द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों प्रामाणिक भारतीय बुनाई एवं शिल्प को प्रोत्साहित करना और सुविधाजनक बनाना।

#### स्थान:

- शहरी क्षेत्र में सिटी सेंटर के 8 किमी. के भीतर रणनीति-संबंधी स्थानों को शहरी हाट के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिसके आसपास ग्रीन बेल्ट और पर्याप्त खुली जगह के साथ उपयुक्त वातावरण मौजूद हो।
- भूमि की उपलब्धता के आधार पर हाट के क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। हालाँकि, यह 8000 वर्ग मीटर से कम नहीं होने चाहिए।
- उपयुक्त स्थान पर विकसित भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/आईए की होगी। भूमि की लागत को परियोजना की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।
- भूमि का स्पष्ट शीर्षक आईए के नाम पर होना चाहिए और यह सभी भार/बाधाओं से मुक्त होना चाहिए।

#### डिलिवरेबल्स:

- स्टालों का निर्माण:- 70 - 80 सं. (10X8 वर्ग फुट)
- शिल्पकारों के लिए छात्रावास: कम से कम 100 लोगों के लिए प्रावधान (महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग शयनगृह)
- शौचालय:- महिलाओं और पुरुषों हेतु प्रत्येक के लिए 2
- भोजनालय
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु मंडप/मंच
- भंडार कक्ष
- बैठक/सम्मेलन कक्ष
- स्मारिका शॉप

#### डिजाइन अवधारणा

- क्षेत्र को पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा और इसमें परिसंचरण (सर्कुलेशन) के लिए पर्याप्त खुली जगह होनी चाहिए।
- हाट के डिजाइन में पर्याप्त भंडारण और प्रदर्शन स्थान के साथ प्लेटफार्मों पर दुकानें/स्टॉल की परिकल्पना होनी चाहिए।
- दृश्य कोमलता बनाए रखने के लिए दुकानों के बीच आंगन को पत्थर/उपयुक्त सामग्री के साथ घास लगा के पक्का किया जाएगा।
- पूरे परिसर को आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बनाये रखते हुए डिजाइन किया जाएगा और स्थानीय निर्माण संस्कृति को दर्शाने के लिए स्टालों का निर्माण किया जाएगा।
- परिसर की संरचना सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शन कलाओं आदि के लिए उपयुक्त भी होने चाहिए।

- हाट के भोजनालय में ठीक ढंग से बने हुए 5-7 काउंटर के साथ स्टाल और रसोई के उपकरणों के रखने के लिए स्थान बनाया जाना चाहिए।
- बुनकरों/कारीगरों/राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगमों/एनजीओ/पर्यटन निगमों को रोटेशन के आधार पर दोनों प्रकार के स्टॉल (शिल्प/खाद्य) मुख्यतः मासिक आधार पर प्रति दिन के मामूली शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्टालों के आवंटन की व्यवस्था पारदर्शी होगी, स्टालों के आवंटन में किसी भी व्यापारी या बिचैलिये को शामिल करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
- हाट की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्मारिका की दुकान और मध्यम आकार का एक बैठक/सम्मेलन कक्ष होगा।

### वित्तीय सहायता और वित्त पोषण (फंडिंग) पैटर्न

#### परियोजना की लागत

सामान्य लागत 800.00 लाख रु।

80.00 लाख रुपये की लागत तक की परियोजना की फंडिंग (वित्तपोषण) निम्नानुसार की जाएगी:

सरकार/आईए	शेयरिंग पैटर्न	कुल राशि
भारत सरकार	80%	640.00 लाख रु
राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी	20%	160.00 लाख रु एवं उससे ऊपर

- केंद्रीय सहायता 640 लाख रुपये प्रति शहरी हाट तक सीमित होगी, जिसे विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा शेयर) की जाएगी।
- 800.00 लाख रु. से कम की लागत के लिए, भारत सरकार और राज्यों के लिए शेयरिंग उपरोक्त निर्धारित अनुपात 80:20 के अनुसार होगी, और भारत सरकार के शेयर(अंश) हेतु विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के बीच 50:50 का अनुपात होगा।
- उपरोक्त के अलावा, परियोजना के प्रचार के लिए पहले वर्ष में 15.00 लाख रुपये और दूसरे वर्ष में 10.00 लाख रुपये के एकमुश्त अनुदान की अनुमति है।

- एनईआर, जम्मू/कश्मीर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में- स्वीकार्य राशि का 90% विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों द्वारा योगदान दिया जाएगा और 10% आईए द्वारा वहन की जाएगी।
- 250 लाख रुपये की अधिकतम वित्तीय सीमा के अधीन मौजूदा शहरी हाटों के सुदृढीकरण/नवीनीकरण के लिए भी सहायता प्रदान की जायेगी (100% सहायता विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा वहन की जाएगी।

### प्रस्ताव प्रस्तुत करना

कार्यान्वयन एजेंसी अपने कार्यवृत्त के साथ राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी) की सिफारिश सहित डीसीएचएल/डीसीएचसी कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स, सस्टेनेबिलिटी प्लान और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सृजित सुविधाओं को चलाने के लिए कार्य योजना का उल्लेख होगा। संबंधित राज्य सरकार के हथकरघा और वस्त्र आयुक्त/निदेशक की अध्यक्षता में एसएलपीसी द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश की जानी चाहिए। प्रस्ताव को पीआरसी के लिए प्रस्तुत करने से पहले तकनीकी समिति की पूर्व सिफारिश और सस्टेनेबिलिटी प्लान समर्थित होना चाहिए।

प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाना चाहिए।

1. आइए के नाम पर भूमि का स्पष्ट शीर्षक।
2. शहरी क्षेत्र में, विशेषतः प्राइम लोकेशन पर भूमि के स्थान के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र।
3. संबंधित राज्य सरकार की प्रारम्भ में ही अपना हिस्सा जारी करने के लिए प्रतिबद्धता।
4. वृद्धि लागत राज्य सरकार/आईए द्वारा वहन किये जाने के संबंध में एक प्रमाण पत्र।
5. विस्तृत ले-आउट योजना/वास्तुशिल्प डिजाइन और कारण प्रस्तुत करना।
6. हाट चलाने के लिए सस्टेनेबिलिटी प्लान।

राज्य सरकार से प्राप्त परियोजनाओं की एक तकनीकी समिति द्वारा जांच की जाएगी और अनुमोदन के लिए डीसी (एचएल) कार्यालय को सिफारिश की जाएगी।

**तकनीकी समिति:** तकनीकी समिति (टीसी) तकनीकी और वित्तीय रूप से प्रस्ताव की जांच करेगी और डीसी (एचएल/एचसी) कार्यालय, को अपनी टिप्पणियों यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट सिफारिश करेगी। तकनीकी समिति की संरचना इस प्रकार है:

1. क्षेत्रीय निदेशक डब्ल्यूएससी और संबंधित एचएससी के क्षेत्रीय निदेशक - अध्यक्ष
2. संबंधित निफ्ट के निदेशक के प्रतिनिधि
3. संबंधित राज्य हथकरघा निदेशक के प्रतिनिधि
4. संबंधित राज्य सिल्क उत्पादन विभाग/सीएसबी के प्रतिनिधि

5. संबंधित डब्ल्यूएससी और एचएससी के कार्यालय प्रमुख
6. विशेष आमंत्रित व्यक्ति, यदि कोई हो (परियोजना से संबंधित)

समिति अंतःक्षेप-वार आवश्यकता, क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग, व्यवहार्यता, वित्तीय आवश्यकता, डिलिवरेबल्स, सस्टेनेबिलिटी पूरा होने के बाद परियोजना को चलाने की कार्य योजना आदि पर विचार करते हुए प्रस्ताव की जांच करेगी। यदि कोई विसंगति है, तो समिति परियोजना प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/आईए को सूचित करेगी। राज्य सरकार अंतिम अनुशंसा के लिए संशोधित प्रस्ताव टीसी को प्रस्तुत करेगी।

समिति प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर डीसी (एचएल) कार्यालय को कार्यवृत्त के साथ अपनी अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करेगी।

### **परियोजना की स्वीकृति और निगरानी**

शहरी हाट की स्थापना के सभी प्रस्तावों को डीसी (एचएल) और डीसी (एचसी) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित और निगरानी की जाएगी:-

1. विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) - अध्यक्ष
2. राज्य सरकार के हथकरघा/हस्तशिल्प प्रभारी के सचिव- सदस्य
3. राज्य सरकार के पर्यटन प्रभारी के सचिव -सदस्य
4. निदेशक, राज्य सरकार के हथकरघा/हस्तशिल्प- सदस्य
5. उप. सचिव/निदेशक, आईएफ विंग, वस्त्र मंत्रालय -सदस्य

### **शहरी हाट का प्रबंधन**

आईए को पर्यटन, संस्कृति, खाद्य, प्रसंस्करण उद्योग आदि को बढ़ावा देने वाली विभिन्न एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी के साथ एसपीवी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और व्यापक आधार और सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु हथकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित कार्य करने वालों के अलावा टूर ऑपरेटर्स, होटल ऑपरेटर्स को भी शामिल किया जाएगा। आईए को मात्रात्मक सुपुर्दगी उल्लेख करने वाले समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना होगा।

### **ख. 4. मार्केटिंग प्रोत्साहन (एमआई)**

- एमआई हथकरघा उत्पादों के मार्केटिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करने के लिए हथकरघा एजेंसियों को दिया जाएगा।
- हथकरघा एजेंसियों को इस राशि का प्रयोग उन गतिविधियों के लिए करना होगा, जो उपभोक्ताओं को हथकरघा वस्तुओं की समग्र बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करेगी।
- इस अवधारणा से यह अपेक्षित है कि हथकरघा एजेंसियों को उत्पादों की बढ़ती लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, डिजाइन में सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए अपनी कीमतों को समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए है ताकि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हो सके।

- इन प्रोत्साहनों की गणना पिछले 3 वर्षों के हथकरघा उत्पादों की औसत बिक्री पर 10% की दर से की जाएगी जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा सिवाए, राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों/समितियों के मामलों को छोड़कर, जहां पूरी सहायता भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

#### पात्र हथकरघा एजेंसियां और वित्तीय सहायता की मात्रा:

पात्र हथकरघा एजेंसियां	प्रोत्साहन की मात्रा (अधिकतम मात्रा)	वित्तीय सहायता	भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी
राज्य स्तरीय संगठन जैसे हथकरघा निगम, शीर्ष सहकारी समितियां और राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठन।	100.00 लाख रूपए (केंद्रीय सरकार का हिस्सा)	पिछले 3 वर्षों के औसत बिक्री के कारोबार का 10%	50:50, राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों/समितियों के मामलों को छोड़कर, जहां पूरी सहायता भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां (पीएचडब्ल्यूसीएस), निर्माता कंपनियां, एसएचजी, जेएलजी, संघ, अन्य पात्र हथकरघा संस्थाएं।	15.00 लाख रूपए (केंद्रीय सरकार का हिस्सा)		

- राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को अनुशंसित राशि संबंधित राज्य सरकार द्वारा मैचिंग कॉन्ट्रिब्यूशन के अधीन है।
- 5 वर्ष की योजना अवधि के दौरान अधिकतम 3 वर्ष के लिए एमआई प्रदान किया जायेगा ।
- एमआई (10%) के लाभों को डीबीटी के माध्यम से संगठनों और सदस्य बुनकरों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। लाभार्थियों का विवरण (जब कभी भी एमआई जारी की जाएगी, राज्य के हिस्से के साथ-साथ भारत सरकार का हिस्सा) संबंधित राज्य सरकार और नोडल एजेंसी द्वारा सार्वजनिक डोमेन में अपलोड किया जाना चाहिए ।

#### एमआई का दावा करने की शर्तें और प्रक्रिया

- एमआई केवल एचएलएम/आईएचबी का उपयोग करने वाले हथकरघा उत्पादों की बिक्री पर ही दिया जाएगा।
- एमआई केवल उन हथकरघा एजेंसियों को दिया जायेगा जिन्होंने उत्पाद बिक्री का अंतिम ट्रांजैक्शन उपभोक्ता को कर दिया हो । एमआई का दावा करने के लिए, उपयुक्त राशि की गणना हेतु कुल वार्षिक बिक्री की गणना करते समय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए:-
- एक हथकरघा एजेंसी द्वारा दूसरी हथकरघा एजेंसी को या इसके विपरीत बिक्री को शामिल नहीं किया गया है।



- डुप्लीकेशन से बचने के लिए पीएचडब्ल्यूसीएस/किसी अन्य हथकरघा एजेंसी द्वारा शीर्ष सोसायटियों, संघों, पीसी, निगमों को हथकरघा उत्पादों की बिक्री से बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में, प्राथमिक सोसायटियों द्वारा शीर्ष सोसायटियों/संघों/निगमों आदि को की गई बिक्री एमआई के लिए पात्र नहीं होंगी क्योंकि शीर्ष सोसायटियां/संघ/निगम प्राइमरीज से खरीद के बाद अपनी बिक्री पर एमआई का दावा करने के लिए अलग से पात्र होंगी।
- किसी भी हथकरघा एजेंसी द्वारा सरकारी विभागों/एजेंसियों को की जाने वाली बिक्री को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- हथकरघा एजेंसियों द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत की गई बिक्री को शामिल नहीं किया गया है।
- एमआई के दावे हेतु प्रस्तुत किए गए बिक्री बिल/चालान और यार्न खरीद बिल जीएसटी के अनुरूप होने चाहिए।
- राज्य सरकार केवल उन एजेंसियों के एमआई दावों को प्राथमिकता देगी, जिन्हें केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के तहत इसी प्रकार की प्रोत्साहन/छूट नहीं मिली है।
- राज्य सरकार एमआई दावे को अपने मैचिंग हिस्से (5%) के जारी विवरण के साथ भारत सरकार को अग्रेषित करेगी। ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार ने बजटीय बाधाओं आदि के कारण अपना हिस्सा जारी नहीं किया हो, और यदि राज्य सरकार ने पिछले दावे तक अपना हिस्सा जारी कर दिया है तो किसी विशेष वर्ष के लिए भारत सरकार के 5% हिस्से को जारी किया जा सकता है।
- एमआई के दावे पात्र हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, पीएचडब्ल्यूसीएस, एसएचजी, जेएलजी, पीसी, फेडरेशन, अन्य पात्र हथकरघा संस्थाओं द्वारा संबंधित राज्य सरकार को निर्धारित प्रपत्र अनुबंध-ख8 में प्रस्तुत किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठन अपने दावे निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-ख8) में सीधे विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
- राज्य सरकार (अनुबंध-ख9) में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिगत दावों को एक प्रमाण पत्र के साथ विधिवत रूप से पूर्ण और सत्यापित करके पात्र एजेंसियों के एमआई दावों को विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय को अग्रेषित करेगी।
- इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को एक समेकित विवरण, एसएलपीसी की सिफारिशें, राज्य के हिस्से को जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश, लाभार्थियों को हस्तांतरित राशि का दस्तावेजी प्रमाण और (अनुलग्नक-ख 10) में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार एक प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।
- राज्यों में बड़ी संख्या में पीएचडब्ल्यूसीएस और अन्य पात्र हथकरघा एजेंसियों के मामले में, राज्य सरकार प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय एक उपयुक्त नोडल एजेंसी की पहचान भी करेगी, जिसके द्वारा केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ-साथ राज्य का हिस्सा पात्र एजेंसियों को आगे जारी करने के लिए जमा किया जायेगा।
- एमआई के लिए राज्य हथकरघा संगठनों/समितियों को सहायता संबंधित राज्य सरकार की नोडल एजेंसी को जारी की जाएगी जबकि राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों को सहायता सीधे उन्हें जारी की जाएगी।
- नोडल एजेंसी को एमआई की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर पात्र हथकरघा एजेंसियों और उनके सदस्य बुनकरों को डीबीटी के माध्यम से राशि अनिवार्य रूप से जारी करनी चाहिए। राज्य सरकार इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

- उपयोग प्रमाण पत्र नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

## ग. आवश्यकता आधारित विशेष अवसंरचना परियोजनाएं

### ग.1 उद्देश्य

गतिशील बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्पाद विकास/विविधीकरण, हथकरघा उत्पादों की उत्पादकता/गुणवत्ता में सुधार, हथकरघा उत्पादों के मूल्यवर्धन, मार्केटिंग आदि के लिए परियोजनाओं की स्थापना हेतु 12.00 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा) तक की आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

### ग.2 फंडिंग पैटर्न

भूमि की लागत राज्य सरकार / कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी और यह प्रोजेक्ट लागत का हिस्सा नहीं होगी।

साधारण राज्यों में - भारत सरकार: राज्य सरकार / आई.ए. : - 80:20

एनईआर राज्यों , हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, - भारत सरकार: राज्य सरकार/आईए - 90:10

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में

केंद्र सरकार के संगठनों (डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी) द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले किसी प्रोजेक्ट की भूमि लागत सहित प्रोजेक्ट की पूरी लागत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी।

### ग.3 विशेष अवसंरचना प्रोजेक्ट्स

#### I. डिजाइन उन्मुख प्रोजेक्ट्स :

- i. डब्ल्यूएससी में डिजाइन संसाधन केंद्रों (डीआरसी) की स्थापना
- ii. निफ्ट / एनआईडी / डब्ल्यूएससी के माध्यम से पारंपरिक डिजाइनों, जनजातीय बुनाई, छोटे शिल्प आदि के लिए अभिलेखागार बनाना ।
- iii. हथकरघा को फैशन से जोड़ना, जैसे क्लस्टरों में निफ्ट के छात्रों को शामिल करना, केंद्रीय स्तर पर क्लस्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेशेवर टेक्सटाइल डिजाइनरों / मास्टर डिजाइनरों / डिजाइन एजेंसियों / हाउस को शामिल करना, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय डिजाइन एजेंसी / हाउस के माध्यम से डिजाइनरों को शामिल करना
- iv. वस्त्र/परिधान डिजाइनिंग और परिधान बनाना
- v. डिजाइन, उत्पाद विकास और विविधीकरण / मार्केटिंग परीक्षण
- vi. डिजाइन स्टूडियो की स्थापना
- vii. थीम आधारित डिजाइन संग्रह

## II. मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स :

- i. मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स / स्मारिका शॉप की स्थापना
- ii. शोरूम / मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का नवीनीकरण
- iii. शिल्प हथकरघा ग्राम का विकास

शिल्प हथकरघा ग्राम को प्रमुख पर्यटन परिपथों के आसपास/रास्ते में स्थापित किया जाना है। इसकी स्थापना के लिए, कार्यान्वयन एजेंसी को भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव के साथ सस्टेनेबिलिटी प्लान योजना में क्राफ्ट हैंडलूम विलेज को राज्य के संबंधित विभाग अथवा स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को दीर्घावधि में गांव के मामलों के प्रबंधन और संचालन के लिए सौंपने हेतु परियोजना शुरू करने के कदमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। संबंधित शिल्प हथकरघा ग्रामों की आवश्यकता के अनुसार, शिल्प हथकरघा ग्रामों हेतु निम्नलिखित में से घटक/गतिविधियां चुने जाने चाहिए:

- प्रवेश द्वार
- हवाई अड्डे/राजमार्ग/चिन्हित पर्यटन स्थल पर प्रचार, साइनेज और होर्डिंग
- वीवर हाउस में सुधार, व्हाइट वॉशिंग और वॉल पेंटिंग
- प्रस्तावित हथकरघा ग्राम के संपर्क सड़क का निर्माण/सुधार
- साइट विकास के साथ लॉन का सौंदर्यीकरण
- ड्रेनेज एंड ड्रेन कवर, पाथ पेवर
- पेवर, मार्ग, लैंडस्केप
- कैफेटेरिया की स्थापना
- प्री-लूम, ऑन-लूम और पोस्ट-लूम गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना
- डिस्प्ले-कम-सेल काउंटर का निर्माण
- बुनकर वर्कशेड (व्यक्तिगत)
- सामान्य वर्कशेड
- बेंचों और कूड़ेदानों की स्थापना
- बागवानी और वृक्षारोपण
- ड्रेन एंड ड्रेन कवर
- लूम और सहायक उपकरण तथा वारपिंग एम/सी का वितरण
- बुनाई, रंगाई और डिजाइन आदि विषयों में बुनकरों का आवश्यकता आधारित कौशल उन्नयन।
- वीवर हाउस में सोलर लाइट लगाना
- वीवर क्लस्टर एक्सपोजर विजिट
- सीएटीडी सिस्टम, डिस्प्ले एरिया, करघे और डिजाइन स्टूडियो, कम्प्यूटरीकृत पंचिंग कार्ड मशीनें
- विविध और आकस्मिक व्यय
- तकनीकी समिति/परियोजना अनुशांसा समिति/पीएएमसी की सिफारिश के अनुसार आवश्यकता आधारित अन्य अतिरिक्त घटकों/अंतःक्षेपों को शामिल किया जा सकता है।

- iv. ई-कॉमर्स पहल

- v. निर्यात योग्य उत्पादों और उसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए प्रोजेक्ट्स
- vi. निर्माता कंपनियाँ (पीसी) का गठन और हैंडहोल्डिंग
  - निर्माता कंपनी को भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव के साथ सस्टेनेबिलिटी प्लान प्रस्तुत करना होगा।
  - हथकरघा क्षेत्र में पीसी को उसके पंजीकरण में शामिल प्रशासनिक और आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए 0.50 लाख रुपये तक, कार्यशील पूंजी के लिए 10 लाख रुपये तक और कार्यालय स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- vii. शिल्प गांवों / हथकरघा पॉकेट्स में अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों (आर.बी.एस.एम. प्रतिभागियों) के दौरे का परिचय।
- viii. हथकरघा गतिविधियों में लगे केंद्र सरकार के संगठनों/उद्यमों को मार्केटिंग और प्रचार के लिए सहायता

### III. निम्नलिखित क्षेत्रों में बुनकरों, पीसी, एसएचजी, स्टैकहोल्डर्स का क्षमता निर्माण :

- i. एंटरप्रेन्योरशिप
- ii. बैंकिंग संपर्क और वित्त के औपचारिक स्रोत
- iii. कानून और कानूनी शब्दावली
- iv. डिजिटल साक्षरता
- v. निर्यात प्रक्रियाएं
- vi. विदेशी बाजार के रुझान
- vii. ई- व्यापार

#### iv. प्रौद्योगिकी उन्नयन:

- i. प्री - लूम, लूम पर और पोस्ट - लूम की प्रक्रियाओं के लिए आधुनिक उपकरणों को अपनाना
- ii. लूम का आधुनिकीकरण करना स्टील, गियर आदि का उपयोग करके, लूम के आसान संचालन के लिए
- iii. पंचिंग की लागत बचाने के लिए हथकरघा पॉकेट्स में इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड लाना
- iv. प्राकृतिक / वनस्पति रंगों को बढ़ावा देना
- v. प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा देना
- vi. हथकरघा क्षेत्र में मशीनरी में उन्नति के लिए तकनीकी एक्सपोजे
- vii. सामाजिक जागरूकता - पुनर्वास केंद्रों, सुधार गृहों, अनाथालयों और स्कूलों को हथकरघा बुनाई, रंगाई, छपाई आदि का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करना।

#### v. सामान्य अवसंरचना प्रोजेक्ट्स

- i. संतकबीर और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के लिए ट्रिस्ट होम स्टे का प्रावधान
- ii. मूल्य संवर्धन केंद्र- गारमेंटिंग इकाइयाँ, प्रोसेसिंग इकाइयाँ, आदि।
- iii. रीलिंग यूनिट
- iv. स्पून सिल्क यूनिट
- v. वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला
- vi. ईटीपी के साथ डाई हाउस

vii. प्री-लूम, ऑन-लूम और पोस्ट-लूम गतिविधियों के लिए आधारभूत अवसंरचना की स्थापना

नोट: मंत्रालयों में कंवरजन्स के लिए और डुप्लीकेसन से बचने हेतु, एनएचडीपी के तहत केवल सीएफसी आधारित हार्ड इंटरवेंशन्स के लिए वित्तीय सहायता बंद कर दी गई है और अब यह एमएसएमई मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के तहत प्रदान की जाएगी। हालांकि, एनएचडीपी के तहत स्फूर्ति समर्थित क्लस्टरों में यदि आवश्यक हो तो मार्केटिंग सहायता, उत्पाद और डिजाइन विकास, क्षमता निर्माण आदि जैसे सॉफ्ट इंटरवेंशन्स प्रदान किए जाएंगे। एनएचडीपी के तहत सीएफसी को छोड़कर सभी इंटरवेंशन्स जारी रहेंगे।

VI. आई.आई.एच.टी. से संबंधित प्रोजेक्ट्स, उन्हें हथकरघा और हस्तशिल्प केंद्रों के रूप में फिर से उन्मुख करने के लिए

- i. निफ्ट, एनआईडी, विकास आयुक्त (एचसी) और डब्ल्यूएससी के साथ तालमेल बनाएं - पाठ्यक्रम, संकाय, संसाधनों आदि को साझा करना और उन्नत करना।
- ii. कोर्स पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी का परिचय
- iii. आईआईएचटी छात्रों के साथ फैशन और हस्तशिल्प के ज्ञान को साझा करना
- iv. निफ्ट, एनआईडी और आईआईएचटी के छात्रों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान
- v. उद्योग अटैचमेंट/इंटरनशिप और प्लेसमेंट के लिए आईआईएचटी का निफ्ट और एनआईडी के साथ सहयोग।

VII. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रोजेक्ट्स

ग.4 प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत करने और अनुमोदन करने की प्रक्रिया

परियोजना की डीपीआर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से परियोजना के डिलिवरेबल्स, सस्टेनेबिलिटी प्लान और परियोजना के पूरा होने के बाद सृजित सुविधाओं को चलाने के लिए कार्य योजना का उल्लेख होगा। संबंधित राज्य सरकार के हथकरघा और वस्त्र आयुक्त/निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी) द्वारा डीपीआर की सिफारिश की जानी चाहिए और इसे एसएलपीसी के कार्यवृत्त के साथ विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्ताव को पीआरसी के लिए प्रस्तुत करने से पहले तकनीकी समिति की पूर्व सिफारिश और सस्टेनेबिलिटी प्लान के साथ समर्थित होना चाहिए।

केंद्र सरकार के संगठनों (डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी) द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले प्रोजेक्ट्स के मामले में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीधे विकास आयुक्त (एचएल) कार्यालय में जमा किया जाएगा।

राज्य / केंद्र सरकार के संगठनों से प्राप्त प्रोजेक्ट्स की एक तकनीकी समिति द्वारा जांच की जाएगी और यह समिति इसके अनुमोदन के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय को सिफारिश करेगी।

तकनीकी समिति

तकनीकी समिति तकनीकी और वित्तीय रूप से प्रत्येक प्रोजेक्ट की तकनीकी रूप से जांच करेगी और विकास आयुक्त (एचएल) को अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट सिफारिश करेगी। तकनीकी समिति की संरचना इस प्रकार है:

- क) निदेशक, आईआईएचटी / संबंधित डब्ल्यूएससी के क्षेत्रीय निदेशक - अध्यक्ष
- ख) संबंधित निफ्ट, निदेशक के प्रतिनिधि
- ग) संबंधित राज्य हथकरघा निदेशक के प्रतिनिधि
- घ) संबंधित राज्य सिल्क उत्पादन विभाग/सीएसबी के प्रतिनिधि
- ड) संबंधित डब्ल्यूएससी के कार्यालय प्रमुख
- च) प्रतिनिधि, विकास आयुक्त (एचसी) कार्यालय
- छ) विशेष आमंत्रित व्यक्ति, यदि कोई हो (प्रोजेक्ट संबंधी)

आईआईएचटी से संबंधित प्रोजेक्ट्स के मामले में, समिति की अध्यक्षता संबंधित आईआईएचटी निदेशक, द्वारा की जाएगी, जबकि शेष प्रोजेक्ट्स के लिए समिति की अध्यक्षता संबंधित डब्ल्यूएससी के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा की जाएगी।

समिति अंतःक्षेप-वार आवश्यकता, क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग, व्यवहार्यता, वित्तीय आवश्यकता, डिलिवरेबलस, सस्टेनेबिलिटी, पूरा होने के बाद परियोजना को चलाने की कार्य योजना आदि पर विचार करते हुए प्रस्ताव की जांच करेगी। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर, समिति परियोजना प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/आईए को सूचित करेगी। राज्य सरकार अंतिम अनुशंसा के लिए संशोधित प्रस्ताव टीसी को प्रस्तुत करेगी।

समिति प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कार्यवृत्त के साथ अपनी अंतिम सिफारिश विकास आयुक्त (एचएल) कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।

### **प्रोजेक्ट सिफारिश समिति (पी.आर.सी.)**

पी.आर.सी. की अध्यक्षता विकास आयुक्त (एचएल) द्वारा की जाएगी, 10.00 करोड़ रुपये तक के निम्नलिखित संरचना वाले प्रोजेक्ट्स प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए सचिव (वस्त्र) से सिफारिश करेगा:

- क) डीएस / निदेशक आईएफडब्ल्यू (वस्त्र)
- ख) निफ्ट के प्रतिनिधि
- ग) डीसी (एचसी) के प्रतिनिधि
- घ) अतिरिक्त विकास आयुक्त (हथकरघा),
- ड) राज्य निदेशक, संबंधित हथकरघा के
- च) संबंधित निदेशक, आईआईएचटी/ क्षेत्रीय निदेशक, डब्ल्यूएससी
- छ) डीएस/निदेशक (सिल्क), वस्त्र मंत्रालय
- ज) डीएस/निदेशक (सिल्क), एमएसएमई वस्त्र मंत्रालय
- झ) विशेष आमंत्रित व्यक्ति, यदि कोई हो (प्रोजेक्ट संबंधी)

### **प्रोजेक्ट अनुमोदन और निगरानी समिति (पीएमसी)**

सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में निम्नलिखित संरचना वाली समिति, 10.00 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी देगी और नियमित आधार पर परियोजनाओं की निगरानी करेगी:

- क) वस्त्र मंत्रालय, एएस और एफए
- ख) विकास आयुक्त (एचएल)
- ग) डीजी, निफ्ट या उनके प्रतिनिधि
- घ) विकास आयुक्त (एचसी)
- ङ) संबंधित राज्य सचिव (हथकरघा)
- च) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
- छ) संयुक्त सचिव (सिल्क), वस्त्र मंत्रालय
- ज) संयुक्त सचिव, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय
- झ) विशेष आमंत्रित व्यक्ति, यदि कोई हो (प्रोजेक्ट संबंधी)।

पीएएमसी परियोजना लागत में संशोधन पर भी विचार करेगा और अनुमोदन करेगा, यदि आवश्यक हो, इस शर्त के अधीन कि लागत में वृद्धि नियंत्रण से परे कारणों के कारण है।

#### **ग.5 फंड जारी करना**

कार्यान्वयन एजेंसी को फंड दो समान किशतों में जारी किया जायेगा।

- i. पहली किस्त 50% अग्रिम के रूप में।
- ii. पहली किस्त की 70% राशि के उपयोग पर दूसरी किस्त के रूप में 50%, जीएफआर 12 (ए) में यूसी और सी.ए. द्वारा प्रमाणित ऑडिट खाता जमा करने पर।

#### **ग.6 निगरानी**

फील्ड स्तर पर, प्रोजेक्ट्स की निगरानी बुनकर सेवा केंद्र और संबंधित हथकरघा और वस्त्र राज्य निदेशालय के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।

मुख्यालय स्तर पर, प्रोजेक्ट्स की निगरानी पीएएमसी द्वारा की जाएगी, सचिव (वस्त्र) द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।



## घ. मेगा क्लस्टर विकास कार्यक्रम

### घ.1 पात्रता मानदंड

देश के विभिन्न हिस्सों में मेगा हैंडलूम क्लस्टरों को उनके समग्र विकास के लिए लिया जाएगा, जिसमें व्यापक विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रत्येक मेगा हैंडलूम क्लस्टर में कम से कम 10,000 हथकरघा शामिल होंगे, जिसमें प्रति मेगा क्लस्टर 30.00 करोड़ रुपये तक का भारत सरकार का योगदान होगा। प्रत्येक मेगा क्लस्टर के लिए प्रकृति और सहायता का स्तर आवश्यकता आधारित होगा।

### घ.2 परियोजना की अवधि

मेगा हैंडलूम क्लस्टर परियोजना की अवधि 5 वर्ष है।

### घ.3 फंडिंग पैटर्न

साधारण राज्य - भारत सरकार : राज्य सरकार/आईए - 80 : 20

एनईआर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, - भारत सरकार : राज्य सरकार/आईए - 90 : 10  
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, कश्मीर और लद्दाख,

भूमि की लागत राज्य सरकार / कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी और यह प्रोजेक्ट लागत का हिस्सा नहीं होगी।

यदि परियोजना को डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, तो भूमि लागत सहित परियोजना की पूरी फंडिंग भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

### घ.4 घटक:

#### आधारभूत सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन, डीपीआर तैयार करना

हथकरघा केंद्रित क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशिष्ट हस्तक्षेपों की आवश्यक जरूरतों का पता लगाना आवश्यक है। डीपीआर के आवश्यक अंतःक्षेप में, वित्तीय निहितार्थ, वित्तपोषण के साधन, कार्यान्वयन अनुसूची, अवधि आदि शामिल होंगे। मेगा क्लस्टर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए सभी हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बेसलाइन सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। मेगा हथकरघा क्लस्टर के मानदंडों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय हथकरघा संगणना 2019 के आंकड़ों पर विचार किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एजेंसी को बेसलाइन सर्वे, डायग्नोस्टिक स्टडी और डीपीआर तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

**व्यक्तिगत अंतःक्षेप से बुनकरों को सीधे लाभ होता है**

निम्नलिखित के वितरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :

i. वस्त्र की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने और हथकरघा बुनकरों/कामगारों की कड़ी मेहनत को कम करने के लिए करघे/सहायक सामान के उन्नयन के लिए एचएसएस आइटम

ii. लाइटिंग यूनिट्स

फंड शेयरिंग:

भारत सरकार द्वारा 90% और लाभार्थी द्वारा 10%।

iii. हथकरघा बुनकरों को उनके करघे की स्थापना, व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए प्रति यूनिट 1,20,000/- (25 वर्ग मीटर नापकर)।

फंड शेयरिंग :

बीपीएल / एससी / एसटी / महिला /ट्रांसजेंडर/दिव्यांग लाभार्थियों के लिए- भारत सरकार द्वारा 100%; अन्य लाभार्थियों के लिए - भारत सरकार द्वारा 75% और लाभार्थी द्वारा 25%।

### **डिजाइन विकास और उत्पाद विविधीकरण**

डिजाइन विकास और गुणवत्ता सुधार के माध्यम से वर्तमान उत्पाद श्रृंखला के उन्नयन और विविधीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि समकालीन बाजार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सीएटीडी प्रणाली के साथ डिजाइन स्टूडियो स्थापित करने और पेशेवर रूप से योग्य डिजाइनर को नियुक्त करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। डिजाइनर को शामिल करने के लिए सहायता पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

### **बाजार का विकास**

इसका उद्देश्य रणनीतिक स्थानों पर कई मार्केटिंग कार्यक्रमों का आयोजन करके भारतीय हथकरघा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता और ब्रांड पैदा करना है और शिल्पकारों को उनके उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए आमंत्रित करके उन्हें मार्केटिंग बाजार प्रदान करना है। मार्केटिंग कार्यक्रमों में बीएसएम/आरबीएसएम, प्रदर्शनियां, बुनकरों का अन्य राज्यों के हथकरघा पॉकेट्स का एक्सपोजर दौरा, वेबसाइट का विकास और होस्टिंग, ई-कॉमर्स, बाजार आसूचना/सर्वेक्षण आदि शामिल होंगे। योजना के तहत मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, रिटेल बाजार आदि की स्थापना भी स्वीकार्य है।

### **निर्यात**

ब्रांड प्रचार, प्रदर्शनियों, बीएसएम/आरबीएसएम, वस्त्र इकाई की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, गोदामों, डिजाइन स्टूडियो आदि में भागीदारी के माध्यम से निर्यात बाजारों को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

### **बुनियादी और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर**

रैपिंग, रंगाई, करघे से प्री एंड पोस्ट लूम के उपकरणों को चलाने हेतु प्री-लूम/ऑन-लूम/पोस्ट-लूम सुविधाओं की स्थापना, जल उपचार संयंत्र की स्थापना, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, परीक्षण प्रयोगशालाएं, सामान्य वर्कशेड, प्रदर्शनी हॉल, डिस्प्ले-कम-शोरूम, सम्मेलन कक्ष, गोदाम और अन्य किसी आइटम के लिए सहायता उपलब्ध होगी। राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी, ऐसा न होने की स्थिति में कार्यान्वयन एजेंसी भूमि खरीदेगी। सुविधाएं उपयोगकर्ता शुल्क के आधार पर चलाई जाएंगी और क्लस्टर तथा उसके आसपास के सभी बुनकरों के लिए उपलब्ध होंगी।

सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी सहायता उपलब्ध होगी, जिससे बुनकरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और मेगा क्लस्टर में जारी की जाने वाली कुल सहायता के 10% से अधिक नहीं होगी। यह समग्र कामकाजी परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाकर उत्पादकता में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देगा। बुनकरों के इलाके में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं :-

- i) क्लस्टर से सड़क संपर्क, जहां सड़कें नहीं हैं
- ii) सड़कों की मरम्मत
- iii) स्ट्रीट लाइटिंग
- iv) बोर वेल
- v) प्राथमिक विद्यालय भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण,
- vi) डीपीआर में सुझाये गए कोई अन्य आइटम

## प्रचार

वीडियो फिल्मों का निर्माण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार, शहरों में रणनीतिक स्थानों पर होर्डिंग, ब्लो-अप, बैनर, आईटी से संबंधित माध्यम जैसे समर्पित वेबसाइटों, कैटलॉग, फैशन शो, सीडी के माध्यम से प्रचार-आरओएम आदि और भारतीय दूतावासों की सिफारिश पर हथकरघा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों के संबंध में भारत में होने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सामान्य विज्ञापन के लिए, ब्रोशर मुद्रण / कैटलॉग / फोल्डर / राज्य के नक्शे का हथकरघे पर प्रकाशन आदि पर प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

## मूल्यवर्धन (परिधान / वस्त्र यूनिट्स / पर्यावरण अनुकूल प्रोसेसिंग यूनिट्स आदि)

हथकरघा क्षेत्र रनिंग यार्डज प्रोड्यूस करता है, जिनके विविध उपयोग हैं। इस प्रकार, प्रोसेसिंग / वस्त्र इकाइयाँ जैसी मूल्यवर्धन इकाइयों की आवश्यकता है जहाँ उत्पादित फैब्रिक को मूल कपड़े की तुलना में अधिक मूल्य की प्राप्ति के लिए परिधान, सजावट की चीजों आदि में परिवर्तित किया जाएगा।

**नोट:** बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, आईए के पास अपनी जमीन होनी चाहिए या कम से कम 15 वर्ष के लिए सरकार / सरकारी एजेंसी से लीज पर होना चाहिए।

## घ.5 डिलिवरेबल्स

1. उत्पादकता में सुधार।

- II. उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार।
- III. एक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि;
- IV. हथकरघा बुनकरों की आय/माह में वृद्धि;

## घ.6 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत करना

डायग्नोस्टिक स्टडी के आधार पर, मेगा क्लस्टर की डीपीआर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें परियोजना के पूरा होने के बाद बनाई गई सुविधाओं को चलाने के लिए डी-6 के अनुसार, परियोजना के डिलिवरेबल्स, सस्टेनेबिलिटी प्लान और कार्य योजना को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। डीपीआर की अनुशंसा हथकरघा संगठन (सर्वोच्च बुनकर सहकारी समिति अथवा राज्य हथकरघा निगम), प्रमुख निर्यातक, डब्ल्यूएससी के कार्यालय प्रमुख के प्रतिनिधि, हथकरघा और वस्त्र राज्य आयुक्त/निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी), आईए के प्रतिनिधि, एसएचजी समूह से बुनकर, विशेष आमंत्रित व्यक्ति (यदि कोई हो) आदि द्वारा की जानी चाहिए। प्रस्ताव को पीआरसी के लिए प्रस्तुत करने से पहले तकनीकी समिति की पूर्व-सिफारिश और सस्टेनेबिलिटी प्लान के साथ समर्थित होना चाहिए।

एसएलपीसी के कार्यवृत्त के साथ डीपीआर विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।

राज्य सरकार से प्राप्त डीपीआर की किसी तकनीकी समिति द्वारा जांच की जाएगी और अनुमोदन के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय को सिफारिश की जाएगी।

### तकनीकी समिति

तकनीकी समिति (टीसी) तकनीकी और वित्तीय रूप से प्रत्येक परियोजना की जांच करेगी और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, यदि कोई हो, को अपनी टिप्पणियों के साथ विशिष्ट सिफारिश करेगी। तकनीकी समिति की संरचना इस प्रकार है:

- क) निदेशक, आईआईएचटी/संबंधित डब्ल्यूएससी के क्षेत्रीय निदेशक - अध्यक्ष
- ख) संबंधित निफ्ट के निदेशक के प्रतिनिधि
- ग) संबंधित राज्य हथकरघा निदेशक के प्रतिनिधि
- घ) संबंधित राज्य सिल्क उत्पादन विभाग/सीएसबी के प्रतिनिधि
- ङ) संबंधित डब्ल्यूएससी के कार्यालय प्रमुख
- च) प्रतिनिधि, डीसी (एचसी) का कार्यालय
- छ) विशेष आमंत्रित व्यक्ति, यदि कोई हो (परियोजना से संबंधित)

समिति अंतःक्षेप-वार आवश्यकता, क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग, व्यवहार्यता, वित्तीय आवश्यकता, डिलिवरेबल्स, सस्टेनेबिलिटी, पूरा होने के बाद परियोजना को चलाने की कार्य योजना आदि पर विचार करते हुए प्रस्ताव की जांच करेगी। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर, समिति परियोजना प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/आईए को सूचित करेगी। राज्य सरकार अंतिम अनुशंसा के लिए संशोधित प्रस्ताव टीसी को प्रस्तुत करेगी।

राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित डीपीआर अनुमोदन के लिए सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में पीएएमसी के समक्ष रखी जाएगी। अनुमोदन होने पर, परियोजना-वार रिपोर्ट आईए द्वारा तैयार की जाएगी और इसे हथकरघा राज्य निदेशक की सिफारिश के साथ डीसी (एचएल) को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा तथा निधि आईए को जारी की जाएगी।

#### घ.7 प्रोजेक्ट्स का अनुमोदन

मेगा हथकरघा क्लस्टरों की डीपीआर पर सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता वाली परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति (पीएएमसी) द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाएगा। पीएएमसी की संरचना इस प्रकार है:

सचिव (वस्त्र)	अध्यक्ष
अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय।	सदस्य
विकास आयुक्त (हथकरघा)	सदस्य
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	सदस्य
डीएस/निदेशक, एमएसएमई मंत्रालय	सदस्य
आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
संबंधित हथकरघा राज्य निदेशक	सदस्य
संबंधित डब्ल्यू.एस.सी. के क्षेत्रीय निदेशक	सदस्य
संबंधित डब्ल्यू.एस.सी. के कार्यालय प्रमुख	सदस्य
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)	सदस्य - सचिव

यदि आवश्यक हो, तो इस शर्त के अधीन कि लागत में वृद्धि नियंत्रण से बाहर के कारणों से हैं और किसी विशेष मेगा हथकरघा क्लस्टर के लिए भारत सरकार के योगदान की ऊपरी सीमा के भीतर है, ऐसी स्थिति में पीएएमसी घटक-वार परियोजना लागत में संशोधन पर विचार और अनुमोदन करेगी।

#### घ.8 अंतःक्षेप-वार प्रस्तावों को प्रस्तुत करना और उनका अनुमोदन

परियोजना/अंतःक्षेप-वार प्रस्ताव एसएलपीसी की सिफारिश के साथ राज्य हथकरघा वस्त्र निदेशालय द्वारा कार्यालय डीसी (एचएल) को प्रस्तुत किया जाएगा।

केंद्र सरकार के संगठनों (डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के मामले में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीधे डीसी (एचएल) कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।

राज्य/केंद्र सरकार के संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव की एक तकनीकी समिति द्वारा जांच की जाएगी और अनुमोदन के लिए डीसी (एचएल) कार्यालय को सिफारिश की जाएगी। समिति प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर डीसी (एचएल) कार्यालय को कार्यवृत्त के साथ अपनी अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करेगी।

टीसी द्वारा अनुशंसित अंतःक्षेप-वार परियोजनाओं का पूरा प्रस्ताव डीसी (एचएल) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

स्वीकृत लागत के भीतर इंटर-कंपोनेंट/इंटरवेंशन डायवर्जन और परियोजना की कार्यान्वयन अवधि का विस्तार, यदि कोई हो, डीसी (एचएल) के अनुमोदन से किया जाएगा।

## घ.9 फंड जारी करना

विकास आयुक्त (हथकरघा) के अनुमोदन से फंड दो समान किश्तों में जारी किया जायेगा :

i) 50% अग्रिम पहली किस्त के रूप में ।

ii) पहली किस्त की 70% राशि के उपयोग पर दूसरी किस्त के रूप में 50% और जीएफआर 12 (ए) में यूसी जमा करने और सी.ए. द्वारा प्रमाणित खाता ऑडिट होने पर जारी की जाएगी।

नोट: योजना में संशोधन से पहले सीएचसीडीएस-मेगा क्लस्टर के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की देनदारियों के लिए निधि योजना के उस समय के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

## घ. 10 निगरानी

क्लस्टर स्तर पर, प्रोजेक्ट की निगरानी बुनकर सेवा केंद्र के कार्यालय प्रमुख और संबंधित राज्य हथकरघा एवं वस्त्र निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।

प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन की समय-समय पर पी.ए.एम.सी. द्वारा समीक्षा भी की जाएगी।

## **ड. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना**

### **ड.1 उद्देश्य**

इस योजना का उद्देश्य देश भर के हथकरघा क्षेत्र को बैंकों के माध्यम से सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के लिए एक लचीले और लागत प्रभावी तरीके से पर्याप्त एवं समय पर ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

### **ड.2 ऋण लेने के लिए पात्र लाभार्थी**

- (i) व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी
- (ii) स्वयं सहायता समूह
- (iii) संयुक्त देयता समूह
- (iv) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों, शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों, राज्य हथकरघा निगमों सहित हथकरघा संगठन
- (v) मेगा क्लस्टर/हथकरघा पार्क आदि में हथकरघा बुनकरों द्वारा प्रोत्साहित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)/संघ।
- (vi) हथकरघा उत्पादक कंपनियां

### **ड.3 घटक**

#### **ड.3.1 मार्जिन मनी सहायता**

(i) व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी - ऋण राशि के 20% की दर से मार्जिन मनी सहायता, अधिकतम रु.25,000/- के अधीन।

(ii) हथकरघा संगठन - ऋण राशि के 20% की दर से मार्जिन मनी सहायता, अधिकतम रु. 20.00 लाख (प्रत्येक 100 बुनकर/कामगार के लिए रु. 2.00 लाख की मार्जिन राशि) के अधीन।

अतिरिक्त मार्जिन मनी की आवश्यकता, यदि कोई हो, बैंकिंग मानदंडों के अनुसार लाभार्थी एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी।

(iii) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों/शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों/राज्य हथकरघा निगमों को राज्य हथकरघा निदेशक की अनुसंशा पर मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाएगी।

### ड.3.2 ब्याज सहायता (सबवैशन)

तीन वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर रियायती ऋण केवल पात्र हथकरघा संगठनों के लिए ही उपलब्ध होंगे। हालाँकि, यह भारत सरकार द्वारा केवल 7% तक ब्याज सहायता सीमा के अधीन है। लागू ब्याज सहायता वितरण की पहली तारीख से अधिकतम 3 वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी।

### ड.3.3 क्रेडिट गारंटी

- (i) संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के निर्णय के अनुसार पात्र हथकरघा संगठनों को दिए गए ऋण की गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी)/सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा दी जाएगी। 3 वर्ष के लिए गारंटी कवर ऋण के संवितरण की तारीख से प्रभावी होगा।
- (ii) यदि स्वीकृत ऋण राशि 1.00 करोड़ रुपये है, तो हथकरघा संगठन 20.00 लाख रुपये की अधिकतम मार्जिन मनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है (प्रत्येक हथकरघा बुनकर/कामगार के लिए 2.00 लाख रुपये की दर से मार्जिन राशि)। इसलिए, क्रेडिट गारंटी 1.00 करोड़ रुपये तक वितरित ऋण राशि पर कवर की जाएगी।
- (iii) वितरित ऋण राशि पर क्रेडिट गारंटी शुल्क 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

### ड.4 भागीदार बैंक

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और कोई भी वित्तीय संस्थान।

### ड.5 परिचालन विवरण

- (i) पात्र लाभार्थियों को मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आवेदक को आवेदन भरना होता है और निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ बैंक में जमा करना होता है:-

- विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र
- यार्न पासबुक
- राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र।
- हथकरघा संगठन - पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, संगठन के साथ पंजीकृत बुनकरों का नाम आदि।



- (ii) आवेदन की तिथि के एक (1) महीने के भीतर आवेदक को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
- (iii) सभी पात्र हथकरघा लाभार्थियों को 3 वर्षों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
- (iv) व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर जिन्होंने दिशा-निर्देश जारी होने की तिथि तक ऋण लिया है, वे ऋण राशि के पहले संवितरण की तिथि से 3 वर्ष तक ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी शुल्क का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके बाद व्यक्तिगत बुनकरों को नया ऋण मंजूर करने के लिए ये लाभ बंद कर दिए जाएंगे।
- (v) बैंकों द्वारा 10.00 लाख रुपये तक के ऋण को मुद्रा के तहत कवर किया जाएगा और 10.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण को रियायती ऋण के तहत कवर किया जाएगा।
- (vi) व्यक्तिगत बुनकर जिन्होंने पहले ही मार्जिन मनी सहायता प्राप्त कर ली है, वे हथकरघा संगठन, एसएचजी आदि के तहत मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी शुल्क के रूप में वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (vii) हथकरघा संगठन को मार्जिन मनी सहायता यथानुपात आधार पर प्रदान की जाएगी। मार्जिन मनी सहायता का निम्न पक्ष अर्थात् प्रत्येक 100 बुनकरों/कामगारों के लिए 2.00 लाख रुपये की दर से अथवा स्वीकृत ऋण राशि का 20% अधिकतम 20.00 लाख रुपये, जो भी कम हो, पर विचार किया जाएगा।
- (viii) योजना के तहत ऋण लाभ प्राप्त करने के लिए हथकरघा संगठन को आवश्यक दस्तावेजों आदि के साथ भागीदार बैंकों से संपर्क करना आवश्यक है।
- (ix) भागीदार बैंक हथकरघा संगठनों को ऋण स्वीकृत करेंगे और हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी शुल्क के वितरण के लिए दावा दायर करना होगा।
- (x) मार्जिन मनी सहायता सीधे हथकरघा संगठन के ऋण खाते में स्थानांतरित की जाएगी जबकि ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क संबंधित बैंक को हस्तांतरित किए जाएंगे।
- (xi) ऐसे हथकरघा लाभार्थियों को जिन्होंने पूर्व में ऋण लिया था और पुनर्भुगतान कर चुके हैं उन्हें पिछले मुद्रा ऋण के पुनर्भुगतान के एक वर्ष के बाद नया ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। मार्जिन मनी सभी लाभार्थियों को उपलब्ध होगी, जबकि ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क केवल हथकरघा संगठनों को उपलब्ध होगा।

### 3.6 निधियां जारी करना

- (i) एक केंद्रीकृत ऑनलाइन दावा संवितरण प्रणाली "हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल यानी <https://www.mypnb.in/cocd/login.aspx>" को पंजाब नेशनल बैंक फॉर बैंक्स के सहयोग से आर्थिक सहायता के संबंध में वित्तीय दावों मार्जिन मनी, ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी शुल्क को प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है।
- (ii) सिस्टम के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए वस्त्र मंत्रालय और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और पंजाब नेशनल बैंक को वितरित मार्जिन राशि का 1.4% सेवा शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा।

(iii) भागीदीर बैंकों से प्राप्त दावों को निपटाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के समर्पित खाते में धनराशि स्थानांतरित करने हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के तहत उप एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड के बैंक खाते में अग्रिम के रूप में निधियां भेजी जाएगी।

(iv) भागीदीर बैंक हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल के माध्यम से दावे प्रस्तुत करेंगे। मार्जिन मनी सहायता सभी लाभार्थियों के ऋण खाते में सीधे तौर पर स्थानांतरित की जाएगी, जबकि पोर्टल के माध्यम से केवल हथकरघा संगठनों के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी शुल्क संबंधित बैंक में सीधे स्थानांतरित किया जाएगा।

### **ड.7 पंजाब नेशनल बैंक की भूमिका**

- (i) पंजाब नेशनल बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के बीच इस योजना का प्रचार करेगा कि सभी भाग लेने वाले बैंक अपने द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी के लिए दावा करें।
- (ii) पंजाब नेशनल बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि एमआईएस पोर्टल सभी सहभागी बैंकों द्वारा प्रत्येक लाभार्थी के लिए दावा किए गए मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- (iii) पंजाब नेशनल बैंक, विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें प्राप्त सभी दावों, पोर्टल पर किए गए डेबिट/क्रेडिट लेनदेन के साथ-साथ मासिक आधार पर इस उद्देश्य के लिए समर्पित खाते का विवरण होगा।
- (iv) पोर्टल के माध्यम से पात्र हथकरघा संगठनों को मार्जिन मनी सहायता वितरित करने से पहले पीएनबी विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय से मंजूरी लेगा।

### **ड.8 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार की भूमिका**

- (i) संबंधित बुनकर सेवा केंद्र के साथ निकट समन्वय से राज्य भर में हथकरघा क्षेत्रों से अधिकतम संख्या में ऋण आवेदनों को प्रायोजित करना।
- (ii) हथकरघा क्षेत्रों में संबंधित बुनकर सेवा केंद्र और बैंकों के समन्वय से जागरूकता शिविर आयोजित करना।
- (iii) योजना की प्रगति की निगरानी के लिए भाग लेने वाले बैंकों के साथ नियमित बैठकें करने के लिए और पोर्टलों पर दावा दर्ज करने में बैंकों के सामने आने वाली किसी भी समस्या के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय को फ़्लैग किया जाना चाहिए।
- (iv) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SIBC) को ऋण मंजूर करने और मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क के दावे दाखिल करने में बैंकों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए।

(v) जिला कलेक्टर जिनके जिलों में बुनकरों की अधिक संख्या हो, द्वारा अग्रणी बैंक प्रबंधक के सहयोग से हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल पर ऋण स्वीकृत करने और दावों को दाखिल करने में बैंकों की प्रगति की निगरानी।

(vi) प्रगति की निगरानी के लिए संबंधित बुनकर सेवा केंद्र को एक प्रति के साथ विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय को मासिक रिपोर्ट भेजना।

### **ड.9 प्रचार और जागरूकता**

(i) राज्य के हथकरघा निदेशक द्वारा समाचार पत्रों, जागरूकता शिविरों के माध्यम से और अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध लाभों को प्रचारित करते हुए बुनकर क्षेत्रों में पैम्फलेट वितरित करके व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।

(ii) एचएसएस, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण जैसे व्यक्तिगत लाभ हस्तक्षेपों के माध्यम से एकत्र किए गए बुनकरों को संबंधित हथकरघा और बुनकर सेवा केंद्र के निदेशक द्वारा रियायती ऋण / बुनकर मुद्रा योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा।

(iii) बुनकरों से ऋण आवेदनों के वितरण और संग्रह के लिए यार्न डिपो का उपयोग केंद्र बिंदु के रूप में किया जाएगा।

(iv) राज्य हथकरघा निदेशालय और संबंधित बैंकों के सहयोग से लाभार्थियों के ऋण आवेदनों के संग्रह के लिए बुनकर सेवा केंद्र द्वारा शिविरों/चौपालों का आयोजन किया जाएगा।

(v) राज्य हथकरघा निदेशालय के प्रतिनिधि के साथ बुनकर सेवा केंद्र के अधिकारियों को हथकरघा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। वे बुनकर/कामगार के घर जाकर ऋण आवेदनों को उनके दरवाजे से एकत्र करेंगे।

(vi) एनईआर में हथकरघा बुनकरों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए उत्तर पूर्व परिषद (एनईसी) से सहयोग मांगा जाएगा।

### **ड.10 निगरानी:**

10.1 निम्नलिखित समितियां कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी और योजना की समीक्षा करेंगी:

#### **I. राष्ट्रीय कार्यान्वयन निगरानी और समीक्षा समिति (एनआईएमआरसी):**

क. सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार- अध्यक्ष

- ख. विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार - संयोजक
- ग. व्यय विभाग के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- घ. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि
- ङ. नीति आयोग के प्रतिनिधि
- च. प्रधान सचिव/ हथकरघा राज्य निदेशक
- छ. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा उनके प्रतिनिधि
- ज. प्रबंध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक अथवा उनके प्रतिनिधि
- झ. अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा उनके प्रतिनिधि
- ञ. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रतिनिधि
- ट. इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के प्रतिनिधि
- ठ. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली अथवा उनके प्रतिनिधि
- ड. डब्ल्यूएससी के क्षेत्रीय निदेशक
- ढ. सभी डब्ल्यूएससी के कार्यालय प्रमुख

**II. राज्य कार्यान्वयन निगरानी और समीक्षा समिति (एसआईएमआरसी):**

- क. राज्य के प्रधान सचिव (हथकरघा और वस्त्र)- अध्यक्ष
- ख. प्रबंध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक
- ग. एपेक्स वीवर्स सोसाइटी के प्रबंध निदेशक
- घ. राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक के प्रतिनिधि
- ङ. विशेष आमंत्रित (आवश्यकता के अनुसार एसआईएमआरसी द्वारा निर्णय लिया जाएगा)
- च. संबंधित राज्य हथकरघा निदेशक (नोडल विभाग) - संयोजक
- छ. डब्ल्यूएससी के क्षेत्रीय निदेशक
- ज. डब्ल्यूएससी के कार्यालय के प्रमुख

10.2 एनआईएमआरसी की बैठक सालाना आयोजित की जाएगी। डीसी (एचएल) का कार्यालय तिमाही प्रगति की निगरानी करेगा।

## च. हथकरघा बुनकर कल्याण

### च.1 उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में हथकरघा बुनकरों/कामगारों को एक सार्वभौमिक और सस्ती सामाजिक सुरक्षा और आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

### च.2 घटक

1. पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और कन्वर्ड एमजीबीबीवाई के तहत जीवन, दुर्घटना और दिव्यांगता बीमा कवरेज।

2. संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरस्कार विजेता बुनकर (पद्म/संत कबीर/राष्ट्रीय/राज्य) जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम है, को विकट परिस्थितियों में, 8,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।

(iii) वस्त्र मंत्रालय के संस्थानों में अध्ययन के लिए हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों को प्रति वर्ष प्रति बच्चा 2.00 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता।

#### च.2.1 प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

पीएमजेजेबीवाई एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। जीवन बीमा 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए है और वर्ष दर वर्ष के आधार पर नवीकरणीय है।

#### पात्रता

18-50 वर्ष के आयु वर्ग के सभी हथकरघा बुनकर/कामगार।

#### लाभ

1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की बीमा कवरेज अवधि के लिए किसी भी कारण से लाभार्थी की मृत्यु पर 2.00 लाख रुपये देय होंगे।

#### प्रीमियम

436/- रुपये का वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार साझा किया जाएगा:

भारत सरकार का शेयर	रु.198/-
--------------------	----------

राज्य सरकार/लाभार्थी का हिस्सा	रु. 238/-
कुल प्रीमियम	रु. 436/-

### च. 2.2 प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

पीएमएसबीवाई एक बीमा योजना है जो मृत्यु या विकलांगता के लिए दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। यह कवर 1 जून से 31 मई तक एक साल के लिए है। प्रत्येक वर्ष के आधार पर नवीकरणीय है।

#### पात्रता

18-70 वर्ष के आयु वर्ग के सभी हथकरघा बुनकर/कामगार।

#### लाभ

आकस्मिक मृत्यु	2,00,000/- रुपये
स्थायी कुल दिव्यांगता	2,00,000/- रुपये
स्थायी आंशिक दिव्यांगता	1,00,000/- रुपये

#### प्रीमियम

रु.20/- का संपूर्ण वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

### च.2.3 महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (कन्वर्ज्ड एमजीबीबीवाई)

कन्वर्ज्ड एमजीबीबीवाई एक बीमा योजना है जो हथकरघा बुनकरों/कामगारों के एक समूह के लिए मृत्यु या विकलांगता के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। यह कवर 1 जून से 31 मई तक एक साल के लिए है और साल दर साल आधार पर नवीकरणीय है।

#### पात्रता

51-59 वर्ष के आयु वर्ग के हथकरघा बुनकर/कामगार, जो पहले से ही 31.05.2017 को एमजीबीबीवाई के तहत नामांकित थे। योजना के तहत 51-59 वर्ष आयु वर्ग के बुनकरों का कोई नया नामांकन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, एमजीबीबीवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या हर साल कम हो जाएगी।

#### लाभ

लाभ	
प्राकृतिक मृत्यु	रु.60,000/-

आकस्मिक मृत्यु	रु.1,50,000/-
कुल विकलांगता	रु.1,50,000/-
आंशिक विकलांगता	रु.75,000/-

### प्रीमियम

रु.470/- का वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार साझा किया जाएगा:

भारत सरकार का शेयर	रु.290/-
राज्य सरकार/लाभार्थी का हिस्सा	रु.180/-
<b>कुल प्रीमियम</b>	<b>रु.470/-</b>

### च. 2.4 पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और परिवर्तित एमजीबीबीवाई के संचालन के तौर-तरीके

- (i) बीमा कवर हर वर्ष नवीकरणीय है और प्रीमियम के भुगतान पर कवरेज की निरंतरता सुनिश्चित की जाती है। कवरेज अवधि 1 जून से 31 मई तक है।
- (ii) पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई की प्रीमियम राशि भारत सरकार (जीओआई) और राज्य सरकार/लाभार्थियों के बीच मौजूदा अनुपात (5:6) में साझा की जाएगी और जब भी प्रीमियम राशि संशोधित की जाएगी, तो यह उसी अनुपात में जारी रखा जाएगा।
- (iii) पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और कन्वर्ज्ड एमजीबीबीवाई के तहत हथकरघा बुनकरों/कामगारों के नामांकन के लक्ष्य के बारे में प्रत्येक वर्ष सभी राज्य सरकारों/संघ- राज्य क्षेत्रों को सूचित किया जाएगा।
- (iv) राज्य सरकार नामांकित किए जाने वाले हथकरघा बुनकरों/कामगारों की संख्या बताएगी, चाहे इस प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अथवा हथकरघा बुनकर/कामगार अथवा दोनों के द्वारा किया गया हो।
- (v) उपरोक्त की प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार के हिस्से का प्रीमियम अग्रिम रूप में संबन्धित राज्य सरकार को स्कीम के अंतर्गत पॉलिसी वर्ष के आधार पर स्वीकृत/जारी किया जाएगा।
- (vi) राज्य हथकरघा निदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां होंगे। बीमा कवर से संबंधित सभी मामलों में नोडल एजेंसी बीमित सदस्यों के लिए और उनकी ओर से कार्य करेगी।
- (vii) बुनकर/कामगार संबंधित बैंक/एलआईसी द्वारा निर्धारित नामांकन फॉर्म को भरेंगे और इसे नोडल एजेंसी को जमा करेंगे तथा अपना प्रीमियम नोडल एजेंसी के बैंक खाते में जमा करेंगे।
- (viii) उपरोक्त के प्राप्त होने पर, नोडल एजेंसी आवेदन की जांच करेगी और हथकरघा बुनकर/कामगार के बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक के खाते में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई, कन्वर्ज्ड एमजीबीबीवाई और एलआईसी के संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा तय की गई प्रीमियम राशि को अग्रेषित करेगी।
- (ix) यदि हथकरघा बुनकर/कामगार अपने हिस्से के अंशदान का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो संबंधित राज्य सरकार इसका भुगतान कर सकती है।

## एफ.2.5 राज्य सरकार की भूमिका

### विकल्प - I

(i) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के 13 मई 2020 के पत्र में कहा गया है, मौजूदा कन्वर्ज्ड योजनाओं की समाप्ति की स्थिति में, "पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत नामांकित होने वाले इच्छित लाभार्थियों को बैंक खाते के माध्यम से नामांकित करना होगा और दावों का निपटान इच्छित दावेदारों के बैंक खाते के माध्यम से होगा।"

(ii) उपरोक्त के अनुसार, राज्य हथकरघा निदेशक भारत सरकार के हिस्से के प्रीमियम के अग्रिम को जमा करने के लिए एक अलग एकल बैंक खाता खोलेगा।

(iii) यदि लाभार्थी अपना हिस्सा जमा करने की स्थिति में नहीं है, तो राज्य सरकारें उनके और भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का हिस्सा जमा कर सकते हैं। लाभार्थी के बैंक खाते में, राज्य हथकरघा निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के खाते से इसे डेबिट किया गया है अथवा नहीं।

### विकल्प - II

(iv) नोडल एजेंसी प्रीमियम के भारत सरकार के शेयर और प्रीमियम के राज्य सरकार एवं लाभार्थी के शेयर दोनों के अग्रिम जमा करने के लिए एक अलग एकल बैंक खाता खोलेगी।

(v) भारत सरकार के शेयर का प्रीमियम लाभार्थी/राज्य सरकार के शेयर के साथ पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के संबंध में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए संबंधित बैंक के खाते में और लाभार्थियों की सूची के साथ परिवर्तित एमजीबीबीवाई के संबंध में एलआईसी को राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा।

## च.2.6 बैंक (बैंकों)/एलआईसी की भूमिका

(i) बैंक/एलआईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयोजित जागरूकता शिविरों के दौरान प्राप्त आवेदनों पर 15 दिनों/महीने के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

## च.2.7 दावा प्रक्रिया

(i) दावेदार/नामित/कानूनी उत्तराधिकारी के लिए बैंक/एलआईसी द्वारा निर्धारित विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जैसे लागू दस्तावेजों के साथ जमा करना आवश्यक है।



(ii) आंशिक या पूर्ण विकलांगता के मामले में, नामित व्यक्ति अपने बीमा का दावा करने के लिए अनुरोध पत्र के साथ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी बीमा प्रमाणपत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(iii) योजना के तहत लाभ बैंक/एलआईसी (एलाआईसी) द्वारा दावेदार/नामित/कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में डीबीटी के रूप में स्थानांतरित किया जाएगा।

### च.2.8 निधियों का जारीकरण

कार्यालय विकास आयुक्त (हथकरघा) बीमा अवधि/वर्ष के लिए पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और कन्वर्ड एमजीबीबीवाई के तहत निर्धारित नामांकन लक्ष्य के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रीमियम का 70% भारत सरकार के हिस्से के अग्रिम के रूप में जारी करेगा। जारी की गई राशि का 70% उपयोगिता प्रमाण पत्र और लाभार्थियों के नामांकन से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने के भारत सरकार के हिस्से के प्रीमियम की शेष राशि जारी की जाएगी।

### च.3 सम्मानित बुनकरों/कामगारों को विकट परिस्थितियों में वित्तीय सहायता:

- (i) संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरस्कार विजेता बुनकर (पद्म/संत कबीर/राष्ट्रीय/राज्य) जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम है, को विकट परिस्थितियों में, 8,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।
- (ii) इसे डब्ल्यूएससी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- (iii) पुरस्कार विजेता हथकरघा बुनकर/कार्यकर्ता अपना आवेदन पत्र के साथ पूरा पत्राचार पता, बुनकर का विवरण, आधार कार्ड, बैंक विवरण, पुरस्कार प्रमाण-पत्र की प्रति, पते का प्रमाण, परिवार का विवरण, जन्म तिथि आदि के साथ संबंधित डब्ल्यूएससी को प्रस्तुत करेगा।
- (iv) पुरस्कार प्राप्तकर्ता हथकरघा बुनकर/कामगार का समेकित विवरण आदि अनुबंध-च2 प्रारूप में भरकर जोकि मूल दस्तावेजों के साथ विधिवत सत्यापित और आवेदन पत्र पर उसकी फोटो, पुरस्कार प्रमाण-पत्र के साथ अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र/सूचना आदि को कार्यालय प्रमुख, डब्ल्यूएससी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद डीबीटी के माध्यम से निधि की मंजूरी/जारी करने के लिए एक माह के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- (v) संबंधित डब्ल्यूएससी द्वारा निधि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर डीबीटी के रूप में संबंधित डब्ल्यूएससी को संबंधित पुरस्कार विजेता हथकरघा बुनकर/कामगार के बैंक खाते में सीधे आगे भेजने के लिए वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।
- (vi) पुरस्कृत हथकरघा बुनकर/कामगार को वित्तीय सहायता उसके जीवन काल के दौरान संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पर ही वर्ष दर वर्ष आधार पर बढ़ाई जाएगी।
- (vii) सरकार से सहायता या तो मासिक भत्ता या एकमुश्त अनुदान या दोनों के रूप में प्रदान की जा सकती है।

- (viii) पुरस्कार प्राप्तकर्ता हथकरघा बुनकर/कामगार संबंधित डब्ल्यूएससी को किसी अन्य स्रोत से समान वित्तीय सहायता प्राप्त न होने के संबंध में एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।
- (ix) पुरस्कृत हथकरघा बुनकर/कामगार संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र की अनुशंसा की तिथि से आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

#### च.4 छात्रवृत्ति:

- (i) केंद्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त, केंद्र/राज्य सरकार के वित्त पोषित वस्त्र संस्थान के 3/4 वर्षीय डिप्लोमा/स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों (2 बच्चों तक) को छात्रवृत्ति के रूप में अधिकतम 2.00 लाख रु. प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी।
- (ii) उन्हें शैक्षणिक संस्थान द्वारा शुल्क के रूप में ट्यूशन फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, अन्य वार्षिक शुल्क/प्रभार का भुगतान किया जाएगा और साथ ही, 5,000/- रुपये प्रति माह वजीफा के रूप में, अधिकतम 2.00 लाख रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष अथवा वास्तविक, जो भी कम हो।
- (iii) अनुलग्नक-च3 में भरे गए हथकरघा बुनकरों/कामगारों के प्रवेश पत्र, शिक्षण शुल्क रसीद, बुनकर/कामगार पहचान कार्ड, बैंक विवरण आदि सहित समेकित विवरण, आवेदन पत्र पर उनकी प्रमाणित फोटो सहित संबंधित डब्ल्यूएससी को उनकी सिफारिश के साथ संबंधित अंचल कार्यालय को आगे प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेजों के साथ जाँच/सत्यापित किया जाना चाहिए।
- (iv) संबंधित डब्ल्यूएससी निर्धारित समय के भीतर संबंधित अंचल कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में संबंधित दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। संबंधित अंचल कार्यालय प्रस्ताव की जांच करेगा और डीसी (एचएल) द्वारा निधियों की मंजूरी/जारी करने के लिए एक माह के भीतर इस कार्यालय (मुख्यालय) को निर्धारित प्रारूप में संलग्नक-च3 प्रारूप और प्रासंगिक विवरण के साथ आवश्यक निधि का विवरण भेजेगा।
- (v) डीबीटी के रूप में संबंधित हथकरघा बुनकर/कामगार अथवा उसके बच्चों के बैंक खाते में सीधे निधि के आगे संचरण के लिए संबंधित अंचल कार्यालय को धनराशि जारी की जाएगी।
- (vi) हथकरघा बुनकरों/कामगार के बच्चों के प्रवेश के बाद प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा, जबकि बाद के वर्षों में, छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित संस्थान से शैक्षणिक सत्र की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अंक पत्र की प्रति और अगले वर्ष के प्रवेश प्रमाण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
- (vii) हथकरघा बुनकर/कामगार अथवा उसके बच्चे किसी अन्य स्रोत से समान वित्तीय सहायता प्राप्त न होने के संबंध में एक वचनबद्धता संबंधित डब्ल्यूएससी को प्रस्तुत करेंगे।

## च.5 प्रचार और जागरूकता

- (i) एचएसएस, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण जैसे व्यक्तिगत लाभ अंतःक्षेपों के दौरान जुटाए गए बुनकरों/कामगारों को योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा।
- (ii) समाचार पत्रों, जागरूकता शिविरों के माध्यम से गहन प्रचार किया जाएगा और उक्त योजना के तहत उपलब्ध लाभों पर प्रकाश डालते हुए बुनकर पॉकेट्स में पैम्फलेट वितरित किए जाएंगे।
- (iii) बुनकरों/ कामगारों से नामांकन प्रपत्रों के वितरण और संग्रह के लिए यार्न डिपो का उपयोग केंद्र बिंदु के रूप में किया जाएगा।
- (iv) डब्ल्यूएससी द्वारा राज्य सरकारों (नोडल एजेंसियों) और संबंधित बैंकों के सहयोग से योजना के तहत लाभार्थियों के नामांकन के लिए शिविर/चौपाल आयोजित किए जाएंगे तथा बुनकरों को विभिन्न हथकरघा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए शिक्षित किया जाएगा।
- (v) डब्ल्यूएससी के अधिकारियों को नोडल एजेंसी के साथ हथकरघा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। वे बुनकरों/कामगारों के घर जाकर उनका नामांकन उनके घर पर करेंगे।
- (vi) योजना में शामिल होने के लिए हथकरघा बुनकरों/कामगारों को सुग्राही बनाकर योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों, राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा बुनकर/कामगार सहकारी समितियों, संघों/संघों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा।
- (vii) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों/कामगारों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) से सहयोग मांगा जाएगा।
- (viii) हथकरघा बुनकरों/ कामगारों के नामांकन के लिए वस्त्र मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग के प्रयासों में तालमेल विकसित किया जाएगा।
- (ix) हथकरघा कामगारों पर सकारात्मक प्रभाव के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सांसदों/विधायकों/एमएलसी आदि) को जागरूकता शिविरों/चौपालों में आमंत्रित किया जाना चाहिए।

## च.6 निगरानी

- (i) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय डब्ल्यूएससी/राज्य सरकारों से आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से प्रगति की निगरानी करेगा और समय-समय पर उनके साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा।
- (ii) राज्य हथकरघा निदेशक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और कन्वर्ज्ड एमजीबीबीवाई के तहत कवरेज और दावों के निपटान का विवरण दर्शाते हुए मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- (iii) डब्ल्यूएससी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें निर्धन पुरस्कार प्राप्त बुनकरों/कामगारों को प्रदान किए गए कवरेज और छात्रवृत्ति दावों और प्रतिपूर्ति आदि की स्थिति का उल्लेख होगा।

## छ. विविध घटक

### I. अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी)

अनुसंधान एवं विकास में हथकरघा क्षेत्र का सर्वेक्षण और अध्ययन शामिल है और हथकरघा की बाजार हिस्सेदारी में सुधार के लिए कदमों की सिफारिश करना, हथकरघा शिल्प के पुनरुद्धार और दस्तावेज़ीकरण, हथकरघा प्रौद्योगिकी में नवाचार, नए फाइबर / प्राकृतिक रंगों / कार्बनिक कपास के उपयोग पर प्रयोग / अनुसंधान, डब्ल्यूएससी आदि में मौजूदा/विकसित डिजाइन का दस्तावेज़ीकरण।

### II. हथकरघा संगणना

हथकरघा बुनकरों की संख्या, हथकरघा की संख्या, वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग में लगे हथकरघों की संख्या आदि के संबंध में अद्यतन डेटा और इसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से हथकरघा गणना आयोजित की जाती है ताकि योजना और सब्सिडी का लाभ वास्तविक हथकरघा बुनकरों को मिले। साथ ही, बुनकरों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।

### III. योजना का प्रचार, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और मूल्यांकन

इसका व्यय क) प्रचार, ख) विज्ञापन, ग) निगरानी, घ) पर्यवेक्षण, ङ) विकास आयुक्त (हथकरघा), राज्य हथकरघा निदेशालय, कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं च) योजना/कार्यक्रम के मूल्यांकन (समवर्ती निगरानी/प्रभाव सहित) के मद में किया जाएगा।

### IV. बुनकरों/उनके बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)/इग्नू के माध्यम से शिक्षा

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हथकरघा बुनकरों और उनके बच्चों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हथकरघा से संबंधित विषयों में उनके कैरियर की प्रगति के लिए शिक्षा प्रदान करेंगे। इग्नू/एनआईओएस द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और महिला शिक्षार्थियों के लिए शुल्क में सब्सिडी दी जाएगी।

### V. परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ

हथकरघा योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय में परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी, जिसमें निगरानी, राज्य सरकारों/आईए के साथ संपर्क करना, प्रस्तावों की जांच करना, वित्तीय सहायता जारी करना, डेटा रखरखाव/अद्यतन, आदि होगा। साथ ही, सभी राज्यों में फील्ड स्तर पर सलाहकारों/मॉनिटरों को भी राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह देने, अनुवर्ती

कार्रवाई करने, निगरानी करने और इस कार्यालय को प्रगति की रिपोर्ट देने इत्यादि के लिए लगाया जाएगा।

#### VI. हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र

हेल्पलाइन का उद्देश्य बुनकरों को उनके तकनीकी मुद्दों/योजनाबद्ध स्पष्टीकरण के समाधान के लिए एकल संपर्क बिंदु प्रदान करना है। जिसके लिए "हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र" स्थापित किया गया है जहां विशेषज्ञों द्वारा बुनकरों के पेशेवर प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। हेल्पलाइन नं. 0120-69167000 (पीआरआई नंबर) और 18002089988 (टोल फ्री नंबर) सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक काम करती है, जहां हिंदी, अंग्रेजी और 5 क्षेत्रीय भाषाएं (तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली और असमिया) तथा 7 भाषाओं में जानकारी प्रदान की जाती है।

#### VII. एनएचडीपी, एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस, सीएचसीडीएस, एनईआरटीपीएस आदि की पहले की प्रतिबद्ध देनदारियां

2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए एनएचडीपी के संशोधित दिशा-निर्देशों को लागू करने से पहले लागू किए गए एनएचडीपी, एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस, सीएचसीडीएस, एनईआरटीपीएस आदि की पूर्व में प्रतिबद्ध देनदारियों को भी पूरा किया जाएगा।

#### ज. कोई अन्य घटक

योजना के लिए आवंटित निधि का उपयोग डीसी (एचएल) के अनुमोदन से किसी अन्य घटक के लिए भी किया जाएगा, जो योजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हो सकता है और अनुमोदन के समय योजना में शामिल नहीं किया गया हो।

आधारभूत सर्वेक्षण के लिए प्रोफार्मा

1. कार्यान्वयन एजेंसी का नाम .....
2. पंजीकरण सं.....  
(एनजीओ के मामले में, नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण संख्या दी जानी चाहिए)
3. क्लस्टर का नाम .....
4. राज्य .....
5. जिला .....
6. ब्लॉक .....
7. शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित बुनकरों की संख्या .....
8. बुनकरों का विवरण

क्र. सं.	बुनकर का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)	बुनकर पहचान पत्र नं. (हथकरघा गणना 2019-20 के अनुसार)	मोबाइल नंबर	आयु (वर्ष में)	एजेंसी जिसके तहत बुनकर शामिल/पंजीकृत है		परिवार की औसत वार्षिक आय (रु. लाख में)	धर्म	श्रेणी (एससी/एसटी/दिव्यांग / सामान्य/ओबीसी, अल्पसंख्यक)	एक वर्ष में लगे दिनों की संख्या	इस्तेमाल किए गए करघे का प्रकार	इस्तेमाल किए गए धागे का प्रकार	निर्मित उत्पाद	
							सहकारी/एसएचजी/एनजीओ/मास्टर बुनकर/उत्पादक सह./कोई अन्य	स्वतंत्र								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(हस्ताक्षर)  
कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रतिहस्ताक्षरित (हस्ताक्षर)  
प्रभारी राज्य निदेशक हथकरघा

नैदानिक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र और क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए कार्य योजना

क्र. सं.	मापदंड																																				
1.	क्लस्टर और जिले का नाम																																				
2	आईए का नाम																																				
3	आईए का विवरण	मापदंड	वर्ष ( )	वर्ष ( )																																	
		पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक में बिक्री कारोबार (लाख रुपये में)																																			
		पिछले दो वर्षों में प्रत्येक में शुद्ध लाभ (रु. लाख में)																																			
		कृपया लाभ और हानि खाते की बैलेंस शीट, संलग्न करें (केंद्र सरकार/राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठन के कार्यालयों के मामले में लागू नहीं)																																			
4	क्लस्टर में करघों की कुल संख्या																																				
5	क्लस्टर में उपयोग किए जाने वाले करघों का प्रकार																																				
6	क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों की संख्या	<table border="1"> <thead> <tr> <th>श्रेणी</th> <th>पुरुष</th> <th>महिलाएं</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामान्य</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जाति</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जनजाति</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>दिव्यांग</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अन्य पिछड़ा वर्ग</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अल्पसंख्यक</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				श्रेणी	पुरुष	महिलाएं	कुल	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				दिव्यांग				अन्य पिछड़ा वर्ग				अल्पसंख्यक				कुल			
		श्रेणी	पुरुष	महिलाएं	कुल																																
		सामान्य																																			
		अनुसूचित जाति																																			
		अनुसूचित जनजाति																																			
		दिव्यांग																																			
		अन्य पिछड़ा वर्ग																																			
		अल्पसंख्यक																																			
		कुल																																			
7.	प्राथमिकता क्षेत्र																																				
i)	हथकरघा और हस्तशिल्प के बीच इन्टर्सैक्शन का विवरण	हथकरघा बुनकरों की संख्या- उत्पादों का नाम -																																			
		हस्तशिल्प कामगारों की संख्या - उत्पाद का नाम -																																			
ii)	निर्यात क्षमता/बाजार की संभावना	वर्तमान निर्यात (रु. लाख में) -																																			
		प्रत्याशित निर्यात (रु. लाख में) -																																			
iii)	निस्तेज शिल्प के पुनरुद्धार	न्यायोचित के साथ पुनर्जीवित किए जाने वाले शिल्प का नाम																																			



	की आवश्यकता?			
iv)	विवरण, यदि क्लस्टर व्यावसायीकरण से अछूता है?	घरेलू करघों की मौजूदा संख्या - वाणिज्यिक करघों की मौजूदा संख्या - घरेलू करघों की प्रत्याशित संख्या - वाणिज्यिक करघों की प्रत्याशित संख्या -		
v)	प्रतिभाशाली व्यक्तिगत बुनकरों/कामगारों वाले क्लस्टर का विवरण जो किसी औपचारिक संगठन के दायरे से बाहर हैं?	किसी औपचारिक संगठन की तह से बाहर के बुनकरों की संख्या -		
			वर्तमान	अपेक्षित
8	क्लस्टर में हथकरघा उत्पादों का बिक्री कारोबार (लाख रुपये में)			
9	बुनकर की प्रतिदिन की औसत कमाई (रुपये में)			
10	एक वर्ष में कार्य दिवसों की औसत संख्या			
11	क्लस्टर के मुख्य हथकरघा उत्पाद			
12	प्रत्येक हस्तक्षेप के लिए वित्तीय परिव्यय के साथ, 3 वर्षों की अवधि में विकास के लिए आवश्यक हस्तक्षेप।			

क्र. सं.	घटक का नाम	शामिल किए गए बुनकरों की संख्या	राशि (लाख रु.में)			पहली किस्त के रूप में आवश्यक निधि
			भारत सरकार का अंश	लाभार्थी का अंश	कुल	
1.	आधारभूत सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन, संघ और स्वयं सहायता समूहों का गठन, जागरूकता कार्यक्रम					
	उत्पाद विकास	-				
	एक्सपोजर विजिट					
	प्रदर्शनी/बीएसएम/प्रचार में भागीदारी					
	क्लस्टर गतिविधियों का दस्तावेज़ीकरण	-				
	आईए को प्रोत्साहन (क्लस्टर पर लागू, भारत सरकार की हिस्सेदारी 1.50 करोड़ रुपये से अधिक है)					
	कोई अन्य हस्तक्षेप	-				
	पूर्ण-योग (i)					
2.	व्यक्तिगत हस्तक्षेप					
i.	एचएसएस मर्दे					

	पूर्ण-योग (ii)					
ii.	लाइटिंग यूनिट					
iii	व्यक्तिगत वर्कशेड का निर्माण					
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग (भारत सरकार द्वारा 100%)					
	अन्य (भारत सरकार द्वारा 75% और लाभार्थी द्वारा 25%)					
iv	सामान्य वर्कशेड का निर्माण					
v	सामान्य वर्कशेड के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम					
	पूर्ण-योग (iii)					
3.	नियुक्त किए गए डिजाइनर	-				
4.	परियोजना प्रबंधन लागत	-				
	पूर्ण-योग (iv)					
	कुल-योग (i+ii+iii+iv)					

- स्थानीय समिति ने पहले ही लाभार्थियों की पहचान कर ली है और आईडी प्रूफ अर्थात आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या आदि के साथ लिखित में सहमति प्राप्त कर ली है, जो व्यक्तिगत अंतःक्षेप के लिए उनके हिस्से का सहयोग करेंगे। स्थानीय समिति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लाभार्थियों की सूची संलग्न है।
- लाभार्थी ने राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के तहत समान सहायता का लाभ नहीं लिया है।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि आईए अस्तित्व में है, कार्य कर रहा है और पिछले 2 वर्षों में उसको शुद्ध लाभ हुआ है।
- प्रमाणित किया जाता है कि योजना के तहत सहायता से सृजित संपत्ति का निपटान डीसी (एचएल) कार्यालय के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।
- यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आईए भ्रष्ट आचरण में शामिल है।
- प्रमाणित किया जाता है कि डीसी (एचएल) हथकरघा कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी भी योजना के तहत प्राप्त किसी भी अनुदान के संबंध में उपरोक्त अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन का कोई भी यूसी (उपयोगिता प्रमाणपत्र) लंबित नहीं है।
- प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी सहायता के संवितरण के संबंध में राज्य सरकार को विगत समय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- प्रमाणित किया जाता है कि आईए का चयन योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार किया गया है।
- एसएलपीसी ने दिनांक \_\_\_\_\_ को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव की सिफारिश की है। बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न है।

10. प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए भूमि का मालिकाना हक बुनकर के नाम पर है।

(हस्ताक्षर)

कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रतिहस्ताक्षरित (हस्ताक्षर)

प्रभारी राज्य निदेशक हथकरघा

क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा भरा जाने वाला प्रोफार्मा

कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) का प्रोफाइल:

1.	आईए का नाम (पूरे पते के साथ)													
2.	संगठन की स्थिति (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/सहकारी/निजी/एनजीओ आदि)													
3.	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (एनजीओ के मामले में, नीति आयोग दर्पण पोर्टल पंजीकरण संख्या)													
4.	उपनियम/संगठन का संकल्प (प्रति संलग्न करें)													
5.	मोबाइल नंबर और ई-मेल आदि के साथ पदाधिकारियों के नाम और पदनाम।													
6.	पैन/टैन नं.													
7.	जीएसटी संख्या													
8.	बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि)													
9.	आईए की रेगूलर मानवशक्ति की कुल संख्या													
10.	आईए का कार्य-निष्पादन	<table border="1"> <thead> <tr> <th>मापदण्ड</th> <th>वर्ष</th> <th>वर्ष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पिछले प्रत्येक दो वर्षों में में बिक्री कारोबार (लाख रुपये में)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>पिछले प्रत्येक दो वर्षों में शुद्ध लाभ (लाख रुपये में)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">कृपया बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता संलग्न करें (केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के मामले में लागू नहीं)</td> </tr> </tbody> </table>	मापदण्ड	वर्ष	वर्ष	पिछले प्रत्येक दो वर्षों में में बिक्री कारोबार (लाख रुपये में)			पिछले प्रत्येक दो वर्षों में शुद्ध लाभ (लाख रुपये में)			कृपया बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता संलग्न करें (केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के मामले में लागू नहीं)		
मापदण्ड	वर्ष	वर्ष												
पिछले प्रत्येक दो वर्षों में में बिक्री कारोबार (लाख रुपये में)														
पिछले प्रत्येक दो वर्षों में शुद्ध लाभ (लाख रुपये में)														
कृपया बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता संलग्न करें (केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के मामले में लागू नहीं)														
11.	वस्त्र / हथकरघा क्षेत्र में अनुभव यदि कोई हो													
12.	क्लस्टर विकास में पूर्व का अनुभव													
13.	एनजीओ के मामले में आईए का स्कोरिंग) ग्रेडिंग के पैटर्न के अनुसार।													

प्रमाणित किया जाता है कि:

1. एसएलपीसी द्वारा इसकी दिनांक \_\_\_\_\_ को आयोजित बैठक में आईए की सिफारिश की गई है। बैठक के कार्यवृत्त संलग्न हैं।
2. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आईए भ्रष्ट आचरण में शामिल है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि डीसी (एचएल) अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी भी योजना के तहत प्राप्त किसी अनुदान के लिए अनुदानग्राही संगठन का कोई यूसी लंबित नहीं है।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि आईए मौजूद है और कार्य कर रही है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही हैं।
6. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी सहायता के संवितरण के संबंध में राज्य सरकार को विगत समय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
7. स्थानीय समिति ने पहले ही लाभार्थियों की पहचान कर ली है और आईडी प्रूफ अर्थात आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या आदि के साथ लिखित में सहमति प्राप्त कर ली है, जो व्यक्तिगत अंतःक्षेप के लिए उनके हिस्से का सहयोग करेंगे।
8. निधि जारी करने से पहले उस लाभार्थी ने सरकारी/गैर-सरकारी संगठन से समान उद्देश्य के लिए समान वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है और भारत सरकार की ओर से प्रयासों का दोहराव नहीं होगा।

(हस्ताक्षर)

कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रतिहस्ताक्षरित (हस्ताक्षर)

प्रभारी राज्य निदेशक हथकरघा

एनजीओ के चयन के लिए मापदंड

क.	अनिवार्य रूप से भरा जाए			
I.	एनजीओ का नाम (तीन वर्ष से अधिक समय से मौजूद)			
II.	पंजीकृत कार्यालय का पता			
III.	पंजीकरण संख्या			
IV.	नीति आयोग दर्पण पोर्टल में पंजीकरण संख्या			
V.	संगठन का पैन और टैन तथा जीएसटी नंबर			
VI.	ट्रस्टियों / पदाधिकारियों का नाम, पैन और आधार संख्या			
VII.	किसी भी प्राधिकरण (केंद्रीय, राज्य, स्थानीय, आदि) द्वारा संगठन / ट्रस्टियों / पदाधिकारियों पर (पिछले 5 वर्षों में) लगाया गया कोई दंड			
VIII.	संगठन/ट्रस्टी/पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई भी लंबित अभियोजन (पिछले 5 वर्षों में)			
IX.	किसी भी प्राधिकरण (केंद्रीय, राज्य, स्थानीय, आदि) द्वारा लगाया गया डिबारमेंट, यदि कोई हो, का विवरण			
X.	वित्त पोषण के स्रोतों का विवरण (पिछले 5 वर्ष)			
XI.	अनुरक्षित बैंक खातों का विवरण (पिछले 5 वर्षों में)			
ख.	स्कोर पैरामीटर्स	अधिकतम स्कोर	राज्य सरकार द्वारा दिया गया स्कोर।	डीसी (एचएल) द्वारा दिया गया स्कोर
i.	किसी अन्य सरकारी संगठन/विभाग के साथ पंजीकरण	3		
ii.	अध्यक्ष/कार्यकारी अधिकारी का प्रोफाइल और फील्ड स्टाफ का अनुभव और योग्यता	10		
iii.	आधारभूत सर्वेक्षण, कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन और निगरानी तथा मूल्यांकन पद्धति का अनुभव	10		
iv.	हथकरघा अथवा किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में क्लस्टर विकास का अनुभव	15		
v.	मार्केटिंग, नेटवर्किंग का अनुभव	13		
vi.	तकनीकी और तकनीकी मार्गदर्शन का अनुभव	5		
vii.	हथकरघा क्षेत्र/ग्रामीण विकास में उपलब्धियां	20		
viii.	पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित खाते और नियमित रूप से आईटी रिटर्न दाखिल करना और पैन प्राप्ति	5		
ix.	सरकार द्वारा वित्त पोषण	2		
x.	प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अनुभव	5		
xi.	महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों की बोर्ड/कर्मचारियों में भागीदारी	7		

xii.	परियोजना में शामिल होने वाले पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या	5		
	कुल	100		
	क्या पात्र है ? (हां/नहीं)			

(हस्ताक्षर)

हथकरघा आयुक्त/निदेशक प्रभारी

नोट: उपरोक्त मापदंडों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, अन्यथा वेटेज नहीं दिया जाएगा। कुल 100 अंकों में से कम से कम 60 अंक हासिल करने वाले एनजीओ पर ही विचार किया जाएगा।

सं. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(कार्यान्वयन एजेंसी का नाम पता सहित)

**रुचियों की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना (ईओआईएस)**

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एससीडीपी) -----  
----- में टेक्सटाइल डिजाइनर को शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है।

डिजाइनर का चयन उसके प्रोफाइल और संबंधित क्षेत्र में अनुभव के मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा। पात्रता मानदंड का विवरण, व्यापक संदर्भ की शर्तें (टीओआर), ईओआई जमा करने के लिए दिशानिर्देश और अन्य नियम और शर्तें वेबसाइट \_\_\_\_\_ पर उपलब्ध हैं।

डिजाइनर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने में रुचि रखने वाले पात्र संगठन/एजेंसियां/व्यक्ति विज्ञापन की तारीख से 21 दिनों के भीतर श्री \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ को सीलबंद लिफाफे में ईओआई प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें "एससीडीपी \_\_\_\_\_ में डिजाइनर को नियुक्त करने के लिए ईओआई" शीर्षक होगा। यदि 21वें दिन छुट्टी होती है, तो अगले कार्य दिवस को अंतिम दिन माना जाएगा।

ह./-



राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एससीडीपी) -----  
----- में टेक्सटाइल डिजाइनर को शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को आमंत्रित करने की सूचना, \_\_\_\_\_ द्वारा कार्यान्वित

ईओआई प्राप्त करने की अंतिम तिथि: विज्ञापन की तिथि से 21 दिन। यदि 21वें दिन छुट्टी होती है, तो अगले कार्य दिवस को अंतिम दिन माना जाएगा।

## परिचय

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एससीडीपी) में, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा क्लस्टर के लिए नवीन डिजाइन और मार्केटिंग योग्य उत्पादों के विकास के लिए एक योग्य डिजाइनर/एजेंसी को लगाया जाएगा। डिजाइनर डिजाइन पोर्टफोलियो विकसित करेगा, जिसे हथकरघा बुनकरों द्वारा बिक्री योग्य उत्पादों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनका बाजार में अधिक जोखिम नहीं है और इस प्रकार उपभोक्ता पसंद और अन्य बाजार प्रवृत्तियों से अवगत नहीं हैं।

एक बार डिजाइन पोर्टफोलियो विकसित हो जाने के बाद, उत्पाद विकास की प्रक्रिया कार्यान्वयन एजेंसी के समर्थन से शुरू होगी। उत्पाद क्लस्टर की कार्यान्वयन एजेंसी के बुनकरों द्वारा विकसित किए जाएंगे। डिजाइन और नमूना विकास की कुल लागत भारत सरकार द्वारा आईए को उत्पाद विकास हस्तक्षेप के तहत प्रदान की गई निधि से वहन की जाएगी। डिजाइनरों द्वारा बनाए गए डिजाइन क्लस्टर के इच्छुक बुनकरों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

## 1. उद्देश्य

एससीडीपी में डिजाइनर की नियुक्ति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- वस्त्र और उत्पाद के नमूनों के डिजाइन, रंग संयोजन और बनावट को संशोधित करने में कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की सहायता करना।
- बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार हथकरघा उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित करना।
- कार्यान्वयन एजेंसी के बुनकरों और तकनीकी कर्मचारियों को कागज के डिजाइनों को कपड़े/अंतिम उत्पादों में बदलने के लिए प्रशिक्षित करना।
- डिजाइन के चरण से उत्पादों में परियोजना के तहत विकसित उत्पादों के मार्केटिंग के लिए आयातकों/खरीद एजेंटों/विदेशी खरीदारों के साथ बाजार संबंध स्थापित करने के लिए मार्केटिंग सलाहकार और कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समन्वय करना।
- विकसित डिजाइनों और उत्पादों का दस्तावेजीकरण करना।
- डिजाइन विकास गतिविधियों में कपड़ा तकनीकों, रूपांकनों, डिजाइन और रंग प्रवृत्ति और कपड़ों के पुनर्परिभाषित उपयोग, मौजूदा परिधान शैलियों का उपयोग, नई तकनीकों का उपयोग करके उत्पाद विकास के लिए डिजाइनर इनपुट शामिल हैं।

## 2. पात्रता मानदंड

एक फर्म/एजेंसी पात्रता मानदंडों को पूरा करके अपने डिजाइनर को प्रदान करके क्लस्टर का समर्थन करने के लिए पात्र है। ऐसे मामले में, डिजाइनर का सीवी संबंधित एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को अग्रोषित किया जाना चाहिए। यदि एजेंसी द्वारा अनुशंसित डिजाइनर क्लस्टर में लगा हुआ है, तो वह क्लस्टर में काम करना जारी रखेगा। हालाँकि, क्लस्टर में डिजाइनर के परिवर्तन की अनुमति केवल दो अवसरों पर दी जाती है और वह भी आईए की पूर्व अनुमति से। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला व्यक्ति भी सीधे आईए को आवेदन कर सकता है।

### पात्रता मानदंड:

आवेदक को ख्यातिप्राप्त टेक्सटाइल डिजाइन इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए। आवेदक के पास टेक्सटाइल डिजाइनर के रूप में काम करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, प्राथमिकता के तौर पर, हथकरघा में काम करने का अनुभव और हथकरघा सहित कपड़ा के प्रचार और विकास के लिए ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

## 3. परियोजना की अवधि

परियोजना की अवधि 3 वर्ष के लिए है। डिजाइनर को शुरू में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा जो संतोषजनक प्रदर्शन के शर्त पर बढ़ाया जा सकता है। यदि डिजाइनर का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं किसी भी समय बंद कर दी जाएंगी, यहां तक कि एक वर्ष पूरा करने से पहले भी।

## 4. कार्य का दायरा

### क) डिजाइन विकास

डिजाइन और उत्पादों को ध्यान में रखते हुए सही यार्न का चयन करना। डिजाइन (यदि आवश्यक हो)/प्रोटोटाइप (नमूना) विकास के साथ प्रदान किए जाने वाले पैन्टोन नंबर या थ्रेड कार्ड नंबर के रूप में बुनाई/आकृति और पैटर्न/रंग के तरीके/मूल्यवर्धन/डिजाइन अवधारणाओं/रंग संदर्भों के संयोजन पर काम करना।

### ख) उत्पाद विकास

क्लस्टर की बुनाई और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यार्डज, साड़ी, फर्निशिंग आर्टिकल जैसे विभिन्न उत्पाद रेंज विकसित करना और इसे कैसे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। डिजाइनर क्लस्टर पर जाकर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले

उत्पादों की पहचान करेगा। डिजाइनर केवल उन्हीं उत्पादों की श्रेणी प्रदान करेगा, जो लक्षित बाजार/खरीदार को स्वीकार्य हों और उत्पादों की सफलता के लिए जिम्मेदार हों।

#### ग) बुनकरों को प्रशिक्षित करना

कपड़े पर कागज के डिजाइनों को बनाने के लिए बुनकरों को प्रशिक्षित/नामांकित करना।

#### घ) हथकरघा उत्पादों का विकास

डिजाइनर द्वारा विकसित नए उत्पादों की मार्केटिंग सुनिश्चित करना।

#### ङ) विकसित डिजाइनों और उत्पादों का दस्तावेजीकरण

डिजाइनर द्वारा विकसित डिजाइन और उत्पादों का दस्तावेजीकरण करना।

### 5. परियोजना कार्य

च) विभिन्न बुनकर समूहों के विभिन्न प्रकार के डिजाइन कौशल की पहचान करने के लिए क्लस्टर में व्यापक क्षेत्र दौरा करना।

छ) क्लस्टर के मौजूदा डिजाइन पैटर्न और उत्पादों का आकलन करना और उत्पाद रैंज का सुझाव देना।

ज) प्रत्येक डिजाइन को कम से कम दो रंग तरीकों से विकसित किया जाना है।

झ) विकसित उत्पादों के मार्केटिंग में कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता करना।

ञ) डिजाइनर को सौंपे गए गतिविधियों को करने के लिए क्लस्टर में हर महीने कम से कम 15 दिनों के लिए रहना होगा।

ट) संबंधित बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी) नियुक्त किए हुए डिजाइनर के काम के पर्यवेक्षण में सक्रिय रूप से शामिल होगा।

### 6. परियोजना शुल्क

डिजाइनर को निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा:

क) निश्चित पारिश्रमिक 30000/- रु प्रति माह की दर से।

ख) स्थानीय यात्रा, टेलीफोन आदि के खर्च को पूरा करने के लिए एकमुश्त 500/- रु. प्रति माह की दर से भुगतान

ग) राज्य आयुक्त/हथकरघा निदेशक/बुनकर सेवा केंद्र के कार्यालय प्रमुख द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की प्रतिपूर्ति 800/- रूपए प्रति दिन की दर से होटल में ठहरने और सार्वजनिक परिवहन अर्थात् तीसरी एसी ट्रेन/डीलक्स बस से यात्रा करने के लिए, प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर वास्तविक खर्च के अधीन होगा।

#### तालिका 1: डिजाइनर के लिए मासिक लक्ष्य/डिलिवरेबल्स:

क्रम सं.	न्यूनतम लक्ष्य/ डिलिवरेबल्स	मात्रा
1	विकसित किए जाने वाले नए डिजाइनों की संख्या (प्रत्येक डिजाइन कम से कम 2 रंगों में होना चाहिए)	10
2	नमूने/प्रोटोटाइप सहित विकसित किए जाने वाले उत्पादों की संख्या	02
3	मार्केटिंग/उत्पादन आदेश प्राप्त करने के लिए डिजाइन/उत्पादों की संख्या	01
4	नमूने/प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए क्लस्टर बुनकरों को प्रशिक्षण	05

\*आईए को नमूने/प्रोटोटाइप विकसित करने में पूरी तरह से सहयोग करना होगा

#### नोट:

क) डिजाइनर को विकसित किए गए नए उत्पाद/नमूनों की बिक्री के लिए मार्केटिंग, प्रचार और समर्थन सुनिश्चित करना होता है। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर डिजाइनरों का त्रैमासिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। हालांकि डिजाइन की गुणवत्ता, डिजाइन हस्तक्षेप और बिक्री/आदेशों में वृद्धि पर जोर दिया जाना चाहिए।

ख) आईए को संबंधित हथकरघा और डब्ल्यूएससी के आयुक्त/निदेशक को डिजाइनर कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

### 7. डिजाइनर चयन मानदंड

- डिजाइनर का चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा
- डिजाइनर के प्रोफाइल के आकलन के आधार पर चयन किया जाएगा।
- समान परियोजनाओं को संभालने के लिए योग्यता और प्रासंगिक अनुभव।
- समिति प्रस्तावित परियोजना में संशोधन की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। उस मामले में चयन उन संशोधनों को शामिल करने के अधीन होगा।
- समिति का निर्णय अंतिम और सभी आवेदकों के लिए बाध्यकारी होगा

#### 7.1 मार्किंग मापदंड

- योग्यता (20%)
- वर्षों का अनुभव (20%)

- हथकरघा क्षेत्र में काम करने का अनुभव (30%)
- प्रस्तावित क्लस्टर आदि के विकास के प्रति दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली (30%)

## 7.2 रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

निम्नलिखित को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए:

- हथकरघा/वस्त्र क्षेत्र में डिजाइनिंग, प्रचार और उत्पाद विकास में अनुभव के विवरण के साथ डिजाइनर का प्रोफाइल, जिसमें जीते गए पुरस्कार और इसकी रचनात्मकता का विवरण, सुझाए गए कार्य के स्कोप के संबंध में अतीत में किए गए कार्यों का विवरण हो।
- अनुभव का प्रमाण और प्रासंगिक गतिविधियों को संभालने का उल्लेख।
- परियोजना के लिए प्रासंगिक कोई अन्य सहायक दस्तावेज
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में डिजाइन इनपुट्स और प्रचार उपलब्ध कराके हथकरघा के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और चित्रण करने की अवधारणा की प्रति

## 8. अन्य सूचना

आवेदक हमारे पते \_\_\_\_\_ पर एक ईमेल भेजकर इस ईओआई के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। स्पष्टीकरण अनुरोध \_\_\_\_\_ तक प्राप्त हो जाने चाहिए। चयनित एजेंसी/व्यक्ति को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।

## 9. ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विज्ञापन की तिथि से 21वें दिन (अपराह्न 3.00 बजे तक) है। नियत तारीख के बाद प्राप्त ईओआई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईओआई श्री \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ को संबोधित किया जाना चाहिए। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से '\_\_\_\_\_ क्लस्टर के लिए डिजाइनर/एजेंसी को नियुक्त करने का प्रस्ताव' लिखा होना चाहिए। आवेदन विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

## 10. कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकार

कार्यान्वयन एजेंसी के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, अथवा यदि आवश्यक हो तो कोई अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांग सकता है।

## 11. न्यायालय क्षेत्राधिकार

यह स्थानीय न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

## 12. विविध

यदि किसी और स्पष्टीकरण अथवा जानकारी की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित से संपर्क किया जा सकता है:

श्री \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_। दूरभाष - \_\_\_\_\_,

## 13. ईओआई के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संलग्नक

- i) आवेदक का सीवी
- ii) डिजाइनर की साख स्थापित करने वाले दस्तावेज- डिजाइनर की योग्यता, अनुभव के वर्ष, हथकरघा क्षेत्र में काम करने का अनुभव, क्लस्टर के विकास के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली आदि को ईओआई के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- iii) यदि कोई कंपनी/एजेंसी किसी डिजाइनर की सिफारिश कर रही है, तो डिजाइनर के सीवी के साथ कंपनी/एजेंसी का प्रोफाइल जमा किया जाना चाहिए।

एनएचडीपी के तहत स्वीकृत क्लस्टरों के भीतर और बाहर कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश

1. विषय

- (i) **बुनाई** - नई बुनाई प्रौद्योगिकी/नई बुनाई तकनीक सीखने के लिए।
- (ii) **डिजाइनिंग** - विभिन्न रंगों के तरीकों में नए डिजाइनों के विकास के लिए, पैन्टोन रंग, रंगों के आधार, कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन (सीएटीडी) सिस्टम, ग्राफ मेकिंग आदि।
- (iii) **रंगाई और छपाई** - पर्यावरण के अनुकूल रंगों का उपयोग सीखने के लिए, उपयोग किए जाने वाले रंगों के उपयुक्त वर्ग की समझ के साथ रंगाई/छपाई की उपयुक्त विधि, नए रंगों/शेड्स का विकास और उनके मिलान, छपाई की विधि और शैली आदि।
- (iv) **प्रबंधन** - प्रबंधन प्रथाओं अर्थात् लेखांकन, कंप्यूटर का संचालन, मार्केटिंग, मानव संबंध, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रलेखन आदि सीखने के लिए।
- (v) **सूचना प्रौद्योगिकी** - कंप्यूटर, इंटरनेट/ई-मेलिंग, स्कैनिंग, ई-कॉमर्स आदि से परिचित होना।

2. पात्रता

अर्ध-कुशल अथवा कुशल बुनकर/कामगार।

8.3 अवधि, बैच आकार और लागत की ऊपरी सीमा

क्र. सं.	अध्ययन का विषय	अवधि	बैच का आकार (प्रशिक्षुओं की संख्या)	प्रति बैच की ऊपरी लागत सीमा (रु. लाख में)
1	बुनाई	45 दिन	20	पहला बैच 5.27 लाख रुपए की दर से, बाद के बैच 3.56 लाख रुपए प्रति बैच की दर से
2	डिजाइनिंग	30 दिन	20	पहला बैच 1.59 लाख रुपए की दर से, बाद के बैच 2.49 लाख रुपए प्रति बैच की दर से
3	रंगाई और छपाई	15 दिन	20	पहला बैच 5.27 लाख रुपए की दर से, बाद के बैच 1.35 लाख रुपए प्रति बैच की दर से
4	प्रबंधन	05 दिन	20	0.54 लाख रुपए
5	आईटी	05 दिन	20	0.54 लाख रुपए

**बुनाई**

क्र. सं.	घटक	प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत निधियों का प्रावधान (रुपये में)
1.	20 बुनकरों के लिए वजीफा	300/-* रु. प्रति दिन की दर से 45 दिनों के लिए 2,70,000/-रु.
2.	प्रशिक्षक को मानदेय	800/- रु. प्रति दिन की दर से 45 दिनों के लिए 36,000/-रु.
3.	सहायक को मानदेय	400/- रु. प्रति दिन की दर से 45 दिनों के लिए 18,000/-रु.
4.	उपकरणों और औजारों की लागत (वारपिंग ड्रम, अटैचमेंट के साथ पांच करघे (डॉबी/जैक्वार्ड/अन्य सहायक उपकरण)	1,50,000/-
5.	कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं	20,000/-
6.	शेड, बिजली और पानी के शुल्क का किराया	10,000/-
7.	नमूनों का दस्तावेज़ीकरण	3,000/-
	कुल लागत	5,07,000/-
8.	प्रशासनिक और विविध व्यय	20,400/-
	कुल	<b>5,27,400/-</b> 5,27,000/- तक पूर्णांकित

### नोट

i) यदि आवश्यक हो, डब्ल्यूएससी उपकरणों और औजारों की लागत/शेड को किराए पर लेने, बिजली और पानी के शुल्क/प्रशासनिक लागत से हटाकर, कुल लागत को बरकरार रखते हुए कच्चे माल की खरीद के लिए 20,000/- रुपये प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिक का खर्च वहन कर सकता है। प्रति प्रशिक्षण कच्चे माल की खरीद की ऊपरी सीमा इस प्रकार है:

क) कॉटन के लिए	: 30,000/- रुपये तक प्रति कार्यक्रम
ख) कॉटन + अन्य फैब्रिक	: 35,000/- रुपये तक प्रति कार्यक्रम
ग) प्योर सिल्क के लिए	: 50,000/- रुपये तक प्रति कार्यक्रम

ii) हथकरघा पॉकेट में, पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 5.27 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। बाद के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु पहले बैच के लिए खरीदे गए उपकरणों और औजारों का उपयोग किया जाएगा। बाद के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशासनिक और विविध व्यय में कमी के साथ उपकरणों और औजारों की लागत को समाप्त करके प्रति कार्यक्रम 3.56 लाख रुपये की दर से वित्त पोषित किया जाएगा।

### डिजाइनिंग

क्र. सं.	घटक	निधियों का प्रावधान (रुपये में)
1.	20 बुनकरों के लिए वजीफा	300/-* रु. प्रति दिन की दर से 30 दिनों के लिए 1,80,000/-रु.
2.	प्रशिक्षक को मानदेय	800/-* रु. प्रति दिन की दर से 30 दिनों के लिए



		24,000/-रू.
3.	सहायक को मानदेय	400/-* रू. प्रति दिन की दर से 30 दिनों के लिए 12,000/-रू.
4.	उपकरणों और औजारों की लागत	12,000/-
5.	कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं	25,000/-
6.	किराये के शेड, बिजली और पानी का शुल्क	6,000/-
7.	डिजाइनों का दस्तावेजीकरण	3,000/-
	कुल लागत	2,62,000/-
8.	प्रशासनिक और विविध व्यय	9,800/-
	कुल	2,71,800/- 2,71,000/- तक पूर्णांकित

### नोट

हथकरघा पॉकेट में, पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 2.71 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। बाद के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु पहले बैच के लिए खरीदे गए उपकरणों और औजारों का उपयोग किया जाएगा। बाद के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशासनिक और विविध व्यय में कमी के साथ उपकरणों और औजारों की लागत को समाप्त करके प्रति कार्यक्रम 2.49 लाख रुपये की दर से वित्त पोषित किया जाएगा।

### रंगाई एवं छपाई

क्र. सं.	घटक	निधियों का प्रावधान (रुपये में)
1.	20 बुनकरों के लिए वजीफा	300/-* रू. प्रति दिन की दर से 15 दिनों के लिए 90,000/- रू.
2.	प्रशिक्षक को मानदेय	800/-* रू. प्रति दिन की दर से 15 दिनों के लिए 12,000/-रू
3.	सहायक को मानदेय	400/-* रू. प्रति दिन की दर से 15 दिनों के लिए 6,000/-रू.
4.	उपकरणों और औजारों की लागत	18,000/-
5.	कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं	20,000/-
6.	किराये के शेड, बिजली और पानी का शुल्क	4,000/-
7.	डिजाइनों का दस्तावेजीकरण	3,000/-
	कुल लागत	1,53,000/-
8.	प्रशासनिक और विविध व्यय	6,000/-
	कुल	1,59,000/-

### नोट

हथकरघा पॉकेट में, पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 1.59 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। बाद के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु पहले बैच के लिए खरीदे गए उपकरणों और औजारों का उपयोग किया जाएगा।

बाद के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशासनिक और विविध व्यय में कमी के साथ उपकरणों और औजारों की लागत को समाप्त करके प्रति कार्यक्रम 1.35 लाख रुपये की दर से वित्त पोषित किया जाएगा।

#### **प्रबंधन/आईटी**

क्र. सं.	घटक	निधियों का प्रावधान (रुपये में)
1.	20 बुनकरों/प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा	300/-* रु. प्रति दिन की दर से 5 दिनों के लिए 30,000 रु.
2.	प्रशिक्षक को मानदेय	1500/-* रु. प्रति दिन की दर से 5 दिनों के लिए 75,000 रु.
3.	कंप्यूटर हार्डवेयर सहित प्रशिक्षण संस्थान के परिसर को किराए पर लेना	10,000/-
4.	स्टेशनरी की खरीद	2,000/-
5.	प्रलेखन	2,000/-
	कुल लागत	51,500/-
6.	प्रशासनिक और विविध व्यय	2,500/-
	<b>कुल</b>	<b>54,000/-</b>

#### **4 प्रक्रिया:**

**4.1** राज्य हथकरघा निदेशालय के अधिकारियों और हथकरघा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ डब्ल्यूएससी के कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में एक स्थानीय समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

**4.2** डब्ल्यूएससी लोकल में व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों और/अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में शिविरों/विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा।

**4.3** पात्र बुनकरों/कामगारों की पहचान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की विषय-वार जांच की जाएगी।

**4.4** समिति द्वारा बुनकरों/कामगारों का चयन विषय-वार किया जाएगा। यदि प्रशिक्षुओं की संख्या आवंटित लक्ष्य से अधिक है, तो प्रशिक्षुओं के चयन में निम्नलिखित प्राथमिकता होगी:

i) 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग,

ii) एक परिवार से केवल एक सदस्य (कनिष्ठ को प्राथमिकता दी जाएगी)

**4.5** तकनीकी विषयों में कौशल उन्नयन डब्ल्यूएससी द्वारा संचालित किया जाएगा। प्रबंधन/आईटी में कौशल उन्नयन समिति के निर्णयानुसार केंद्र/राज्य सरकार के संस्थान के माध्यम से किया जाएगा।

इसके अलावा, यदि क्लस्टर में बड़ी संख्या में बुनकरों को प्रशिक्षित किया जाना है, तो डीसी (एचएल) के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कौशल उन्नयन मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ऐसे प्रशिक्षित बुनकर कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

**4.6** ट्रेनर निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री धारक अथवा आईआईएचटी डिप्लोमा धारक, जिसके पास हथकरघा क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो,

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रदान की जाने वाली प्रासंगिक तकनीक/प्रौद्योगिकी में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति,

(ग) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षक के रूप में अनुमोदित,

(घ) राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार विजेता,

4.7 कौशल उन्नयन कार्यक्रम की मंजूरी के लिए प्रस्ताव डब्ल्यूएससी द्वारा डीसी (एचएल) कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.8 कौशल उन्नयन के लिए डब्ल्यूएससी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, डीसी (एचएल) कार्यालय द्वारा डब्ल्यूएससी को अग्रिम तौर पर धनराशि जारी की जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों को बुनाई के लिए वजीफा दो किस्तों में दिया जाएगा अर्थात् 21 दिनों के लिए वजीफा की पहली किस्त का भुगतान प्रशिक्षण शुरू होने के 22वें दिन किया जाएगा; और दूसरी किस्त का भुगतान प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने से पहले किया जाएगा।

4.9 प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण एजेंसी के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

मूल्यांकन की योजना काफी पहले से बनाई जानी चाहिए ताकि कौशल उन्नयन कार्यक्रम के पूरा होने के अगले दिन आयोजित की जा सके।

i) प्रशिक्षुओं के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन व्यावहारिक परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक पैरामीटर पर मूल्यांकन के लिए आवंटित अंक इस प्रकार हैं:

i.	कार्य गुणवत्ता	40 अंक
ii.	दक्षता	20 अंक
	कुल	60 अंक

30 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे।

ii) यदि प्रशिक्षुओं के किसी बैच में, 50% से अधिक प्रशिक्षु 30 अंक से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो प्रशिक्षक को कम से कम अगले दो वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षक के रूप में डिबार कर दिया जाएगा और इसकी सूचना राज्य निदेशालय और आंचलिक निदेशक को दी जाएगी।

iii) प्रत्येक बैच की मूल्यांकन रिपोर्ट डब्ल्यूएससी द्वारा डीसी (एचएल) कार्यालय, राज्य निदेशालय और डब्ल्यूएससी के आंचलिक निदेशक को मूल्यांकन के 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी।

**4.10** कौशल उन्नयन के दौरान विकसित नमूनों की खरीद के लिए प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता दी जाएगी। शेष नमूने डब्ल्यूएससी द्वारा प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से बेचे जाएंगे। नमूने की लागत कच्चे माल, रंगों/रसायनों की लागत और 10% ओवरहेड जोड़कर निकाली जा सकती है।

**4.11** कौशल उन्नयन के लिए खरीदे गए उपकरणों और औजारों का उपयोग कौशल उन्नयन के बाद वाले बैच के लिए किया जाना चाहिए। क्लस्टर, में सभी कौशल उन्नयन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, हथकरघे प्रशिक्षित करघा रहित बुनकरों को उचित पावती के साथ सौंपे जा सकते हैं। यदि ऐसा कोई बुनकर उपलब्ध नहीं है, तो उत्पादन के लिए करघे सहकारी समितियों को सौंपे जा सकते हैं। करघों को सौंपने का अंतिम निर्णय समिति द्वारा लिया जा सकता है।

सहायता प्राप्त क्लस्टरों के अलावा हथकरघा पॉकेट्स में व्यक्तिगत अंतःक्षेप के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

क्र.सं.	पैरामीटर	ब्योरा				
1.	राज्य का नाम					
2.	हथकरघा पॉकेट का नाम					
3.	आईए का नाम (पूरे पते के साथ)					
4.	संगठन की स्थिति (केन्द्रीय/राज्य सरकार)					
5.	मोबाईल नंबर और ई-मेल (अनिवार्य) सहित पदाधिकारियों के नाम व पदनाम					
6.	पैन/टैन नंबर					
7.	जीएसटी नंबर					
8.	बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि)					
9.	हथकरघा पॉकेट में बुनकरों की संख्या	श्रेणी	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल
		सामान्य				
		अनुसूचित जाति				
		अनुसूचित जनजाति				
		दिव्यांग				
		अन्य पिछड़ा वर्ग				
		अल्पसंख्यक				
		कुल				

(रु. लाख में)

क्र. सं.	घटक का नाम	कवर किए जाने वाले बुनकरों की संख्या	राशि			अपेक्षित निधि
			भारत सरकार का हिस्सा	लाभार्थी का हिस्सा	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	इंजीनियर की नियुक्ति					
2.	उत्पाद विकास					
3.	व्यक्तिगत अंतःक्षेप					
i.	एचएचएस मदें					
ii.	लाइटिंग यूनिट					
iii.	व्यक्तिगत वर्कशेड का निर्माण					
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / ट्रांसजेंडर / बीपीएल / दिव्यांग (भारत सरकार द्वारा 100%)					
	अन्य (75% भारत सरकार द्वारा और 25% लाभार्थी द्वारा)					
iv.	सोलर लाइटिंग सिस्टम					
	<b>कुल</b>					

1. स्थानीय समिति ने पहले ही लाभार्थियों की पहचान कर ली है और उनसे आईडी प्रूफ अर्थात आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या आदि के साथ लिखित रूप में सहमति प्राप्त कर ली है, जो व्यक्तिगत अंतःक्षेप के लिए अपने हिस्से का योगदान देंगे। स्थानीय समिति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लाभार्थियों की सूची अनुबंध-क7(1) के अनुसार संलग्न है।

2. लाभार्थी ने राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के तहत समान सहायता का लाभ नहीं उठाया है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि योजना के तहत सहायता से सृजित संपत्ति का डीसी (एचएल) कार्यालय के पूर्व अनुमोदन के बिना निपटान नहीं किया जाएगा।
4. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आईए भ्रष्ट आचरण में शामिल है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी भी योजना के तहत प्राप्त किसी भी अनुदान के लिए उपरोक्त अनुदानग्राही संगठन के संबंध में कोई उपयोगित प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने के लिए लंबित नहीं है।
6. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी सहायता राशि के संवितरण के संबंध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
7. प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए भूमि का स्वामित्व बुनकर अथवा उसकी पत्नी के नाम पर है।

(कार्यालय मुहर के साथ हस्ताक्षर)

प्रभारी निदेशक राज्य हथकरघा / संबंधित बुनकर सेवा केंद्र के प्रभारी अधिकारी



			ट्रान्सजेंडर)	ल/दिव्यांग/अन्य)					
1									
2									
कुल									

(कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर)

प्रभारी निदेशक राज्य हथकरघा

(कार्यालय की मुहर

सहित हस्ताक्षर)

प्रभारी अधिकारी,

डब्ल्यूएससी



योजना के तहत लागत मानदंडों सहित स्वीकार्य मदों की सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.	मद	कुल लागत (रु. तक)
1.	क) 2 हैंडलूम के एक सेट के लिए न्यूमेटिक जैक्वार्ड सिस्टम	35000/-
	ख) 4 हैंडलूम के एक सेट के लिए न्यूमेटिक जैक्वार्ड सिस्टम	50,000/-
2.	क) जेकक्वार्ड (सिंगल लीवर) के लिए मोटराइज्ड लिफ्टिंग डिवाइस	18,000/-
	ख) जेकक्वार्ड (दो लीवर) के लिए मोटराइज्ड लिफ्टिंग डिवाइस	21,000/-
	ग) जेकक्वार्ड (तीन लीवर) के लिए मोटराइज्ड लिफ्टिंग डिवाइस	23,000/-
3.	मौजूदा हथकरघा पर टेक-अप और लेट ऑफ मोशन (फिटिंग शुल्क सहित)	7,000/-
4.	मल्टीपल बॉक्स मोशन डिवाइस	4,500/-
5.	मल्टीपल बूटी (स्पॉट मोटिफ) वीविंग स्ली (09 बूटी, 50" वर्किंग स्पेस, 60" रीड स्पेस)	9,500/-
6.	क) 66" तक ट्विन क्लोथ वीविंग (फिटिंग शुल्क सहित)	7,000/-
	ख) 72" तक ट्विन क्लोथ वीविंग तन्त्र (फिटिंग शुल्क सहित)	9,000/-
7.	जैकार्ड	
	क) जैकार्ड का पूरा सेट (100 हुक)	15,000/-
	ख) जैकार्ड का पूरा सेट (200 हुक)	22,000/-
	ग) जैकार्ड का पूरा सेट (300 हुक)	35,000/-
8.	पूर्ण सेट के साथ डॉबी (32 लीवर तक)	7,000/-
9.	लूम एक्सेसरीज: हील, रीड, बॉबिन, शटल, चरखा आदि का सेट।	6,000/-
10.	क) फ्रेम लूम - 56" रीड स्पेस तक (आरएस)	30,000/-
	ख) फ्रेम लूम - 60" आरएस	32,000/-
	ग) फ्रेम लूम - 66" आरएस	36,000/-
	घ) फ्रेम लूम -72" आरएस	45,000/-
	ड) फ्रेम लूम - 96" आरएस /102" आरएस	57,000/-
11.	क) पिट लूम - 56" आरएस (रीड, हील्ड सहित)	30,000/-
	ख) पिट लूम - 60" आरएस (रीड, हील्ड सहित)	32,000/-
12.	क) फ्रेम लूम (आयरन) - 56" आरएस तक (रीड, हील्ड सहित)	26,000/-
	ख) फ्रेम लूम (आयरन) - 60" आरएस (रीड, हील्ड सहित)	32,000/-
	ग) फ्रेम लूम (आयरन) - 66" आरएस (रीड, हील्ड सहित)	35,000/-
	घ) फ्रेम लूम (आयरन) -72" आरएस (रीड, हील्ड सहित)	38,000/-
	ड) फ्रेम लूम (आयरन) - 96" आरएस /102" आरएस (रीड, हील्ड सहित)	45,000/-
13.	क) लोई लूम (पारंपरिक) (रीड, हील्ड सहित)	5,000/-
	ख) संशोधित लोई लूम (अरुणाचल प्रदेश टाइप)	10,000/-
14.	क) जम्मू और कश्मीर के लिए पश्मीना करघे 60" तक (सहायक सामान सहित)	23,000/-

	ख) जम्मू और कश्मीर के लिए पश्मीना करघे 60" से ऊपर (सहायक सामान सहित)	26,000/-
15.	क) एएसयू मशीन (मैन्युअल रूप से संचालित)	10,000/-
	ख) एएसयू मशीन (मोटर चालित)	30,000/-
16.	वार्प बीम और क्लोथ बीम	
	क) वार्प बीम (5" व्यास) 56" लूम के लिए	5,000/-
	ख) क्लोथ बीम (4" व्यास) 56" लूम के लिए	3,500/-
	ग) वार्प बीम (5" व्यास) 60"- 66" लूम के लिए	5,300/-
	घ) क्लोथ बीम (4" व्यास) 60"- 66" लूम के लिए	4,000/-
	ड) वार्प बीम (5" व्यास) 72" लूम के लिए	6,000/-
	च) क्लोथ बीम (4" व्यास) 72" लूम के लिए	4,500/-
	छ) वार्प बीम (6" व्यास) 96"/102" लूम के लिए	11,500/-
	ज) क्लोथ बीम (5" व्यास) 96"/102" लूम के लिए	8,300/-
17.	क) वार्षिक मशीन - 72"	30,000/-
	ख) वार्षिक मशीन (कास्ट आयरन व्हील) - 72"	37,000/-
18.	मोटर चालित वार्षिक मशीन - 72"	60,000/-
19.	क) मोटर चालित पिर्न वाइन्डिंग मशीन	4,000/-
	ख) मोटर चालित पिर्न - कम-बॉबिन/डब्बा वाइन्डिंग मशीन	5,000/-
20.	स्ट्रीट साइजिंग किट (ब्रश, स्टिक, स्प्रे गन आदि)	10,000/-
21.	मोटराइज्ड लिफ्टिंग डिवाइस सहित इलेक्ट्रॉनिक जैकवार्ड (अधिकतम 5 यूनिट/क्लस्टर)	3,00,000/-
22.	क) चितरंजन लूम-56"आरएस	33,000/-
	ख) चितरंजन लूम-60" रुपये	34,500/-
23.	क) कोरवर्ड बुनाई स्ली अटैचमेंट (एल्यूमीनियम)	10,000/-
	ख) कोरवर्ड बुनाई स्ली अटैचमेंट (स्टेनलेस स्टील)	14,000/-
24.	क) सिल्क रीलिंग और ट्विस्टिंग मशीन-2 स्पिंडल (इलेक्ट्रिक चालित)	26,500/-
	ख) सिल्क रीलिंग और ट्विस्टिंग मशीन-2 स्पिंडल (सोलर और इलेक्ट्रिक चालित)	33,500/-
	ग) सिल्क रीलिंग और ट्विस्टिंग मशीन-4 स्पिंडल (इलेक्ट्रिक चालित)	32,000/-
	घ) सिल्क रीलिंग और ट्विस्टिंग मशीन-4 स्पिंडल (सौर और इलेक्ट्रिक चालित)	55,000/-
25.	क) सौर ऊर्जा चालित वाइन्डिंग मशीन (सौर ऊर्जा प्रणाली सहित)	5,000/-
	ख) मैन्युअल जैकार्ड के लिए जैकार्ड लिफ्टिंग तंत्र के संचालन हेतु सौर ऊर्जा प्रणाली	84,000/-
	ग) इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड के संचालन हेतु सौर ऊर्जा प्रणाली	84,000/-
	घ) वार्षिक मशीन के संचालन हेतु सौर ऊर्जा प्रणाली	91,000/-
26.	जैकार्ड कार्ड कम्प्यूटरीकृत पंचिंग मशीन (कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा सहायक उपकरणों सहित)	3,50,000/-
	50 जैकार्ड हथकरघा के हथकरघा पॉकेट्स के लिए अधिकतम एक इकाई	

जहां तक संभव हो, जैकार्ड के लिए प्रस्ताव मोटराइज्ड लिफ्टिंग डिवाइस के साथ सिंगल यूनिट के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर लागत मानदंडों के साथ-साथ मदों की सूची अद्यतन की जाती है।

नोट: यदि किसी वस्तु की कीमत निर्धारित लागत से अधिक है तो उसे बुनकर द्वारा वहन किया जाएगा।

राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो- "गाँधी बुनकर मेला", राज्य हथकरघा एक्सपो - "हथकरघा" और जिला हथकरघा एक्सपो - "ताना-बाना", शिल्प मेलों और अन्य विविध आयोजनों हेतु आवेदन करने के लिए प्रोफार्मा।

क्र.सं.	मद/सूचना	विवरण	
1	आयोजन के प्रकार	एनएचई/एसएचई/डीएचई/शिल्प मेला/विविध।	
2	आयोजन का शीर्षक (यदि कोई हो)		
3	शहर		
4	जिले का नाम		
5	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		
6	आयोजन की अवधि	से:	तक:
7	आयोजन का महत्व	3-4 वाक्यों से अधिक नहीं।	
8	इवेंट की एक्सपेक्टेड मार्केटिंग पोर्टेंशिएल	1. ग्राहकों की संख्या	
		2. सृजित बिक्री	
		3. प्रतिभागियों की संख्या	
9	आईए/मेला प्राधिकरण/कार्यक्रम के आयोजन का विवरण	1. कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	
		2. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	
		3. पूरा पता	
		4. संपर्क नंबर एवं ईमेल	
		5. एमडी/ईडी/एचओओ का नाम	
10	क्षेत्र के साथ स्टालों की प्रस्तावित संख्या		
11	प्रचार प्रणाली (समाचार पत्र, ब्रोशर, बैनर, स्टैंडी, पैम्फलेट, होर्डिंग्स, ऑडियो-वीडियो, एफएम, सोशल मीडिया आदि)		
12	घटकवार अनुमानित व्यय (दिशानिर्देशों के अनुसार)		
13	क्या आयोजन में सिर्फ हथकरघा उत्पादों की बिक्री होगी		
14	पिछले वर्षों के दौरान आईए द्वारा आयोजित मार्केटिंग कार्यक्रमों का विवरण (यदि कोई हो)	1. आयोजन का नाम	
		2. आयोजनों की संख्या	
		3. की गई बिक्री	
		4. औसत फुटफॉल	

		5. प्रतिक्रिया	
15	अन्य कोई जानकारी		
16	संलग्न दस्तावेज (संगठन पंजीकरण, राज्य/ डब्ल्यूएससी सिफारिश पत्र, बैंक मॉडेट फॉर्म आदि, यदि लागू हो)		

राज्य सरकार प्राधिकर्ता /एमडी/  
सीईओ/एचओओ - कार्यान्वयन एजेंसी के हस्ताक्षर  
(कार्यालय की स्टाम्प और सील सहित अधिकारी का नाम और पदनाम)

फाइनल रिपोर्ट

प्रोफार्मा: एनएचई/एसएचई/डीएचई/शिल्प मेलों/विविध आयोजनों हेतु

क्र.सं.	मद/सूचना	विवरण
1	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	
1	आयोजन के प्रकार	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो - "गांधी बुनकर मेला", राज्य हथकरघा एक्सपो - "हथकरघा" और जिला हथकरघा एक्सपो - "ताना-बाना"/शिल्प मेला/विविध
2	आयोजन का शीर्षक (यदि कोई हो)	
3	स्थान/शहर	
4	जिले का नाम	
5	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
6	आयोजन की अवधि	
7	रिक्त स्थान सहित कुल एरिया	
8	स्टालों की संख्या और स्टाल का साइज़	
9	आईएचबी और एचएलएम आदि के प्रचार सहित डीसीएचएल कार्यालय की योजनाओं के प्रसार के लिए लगाए गए विशेष स्टालों का विवरण।	
10	प्रतिभागियों की संख्या	
11	एचएलएम/आईएचबी पंजीकरण वाले प्रतिभागियों की संख्या	
12	एचएलएम/आईएचबी गैर पंजीकृत प्रतिभागियों की संख्या	
13	की गई बिक्री (रु.)	
14	निधियों का अंतर्वाह और बहिर्वाह	
15	प्रचार मोड (समाचार पत्र, ब्रोशर, बैनर, स्टैंडी, होर्डिंग्स, ऑडियो-वीडियो, एफएम, सोशल मीडिया आदि)	
16	कवर किए गए बुनकरों/लाभार्थियों की संख्या	
17	आगंतुकों के फुटफॉल्स/नं.	
18	एक्सपो का प्रदर्शन-सह-उपलब्धि	
	भविष्य के प्रदर्शनियों के लिए सुझाव	

राज्य सरकार प्राधिकर्ता/चेयरमेन/एमडी/सीईओ/एचओओ - कार्यान्वयन एजेंसी के हस्ताक्षर  
(कार्यालय की स्टाम्प और सील सहित अधिकारी का नाम और पदनाम)

निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा: एनएचई/एसएचई/डीएचई/विविध आयोजन

क्र.सं.	मद/सूचना	विवरण
1.	आयोजन के प्रकार	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो - "गांधी बुनकर मेला", राज्य हथकरघा एक्सपो - "हथकरघा" और जिला हथकरघा एक्सपो - "ताना-बाना"/शिल्प मेला/विविध
2.	आयोजन का शीर्षक (यदि कोई हो)	
3.	स्थान/शहर	
4.	जिले का नाम	
5.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
6.	आयोजन की अवधि	
7.	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	
8.	रिक्त स्थान सहित कुल एरिया	
9.	स्टालों की संख्या और स्टाल का साइज़	
10.	प्रतिभागियों की संख्या (राज्य-वार)	
11.	आईएचबी और एचएलएम पंजीकरण वाले प्रतिभागियों की संख्या	
12.	एचएलएम/आईएचबी गैर पंजीकृत प्रतिभागियों की संख्या	
13.	की गई बिक्री (रु.)	
14.	प्रचार मोड (समाचार पत्र, ब्रोशर, बैनर, स्टैंडी, होर्डिंग्स, ऑडियो-वीडियो, एफएम, सोशल मीडिया आदि)	
15.	कवर किए गए बुनकरों/लाभार्थियों की संख्या	
16.	आगंतुकों के फुटफॉल्स/नं.	
17.	निष्कर्ष, यदि कोई हो	
18.	भविष्य के प्रदर्शनियों के लिए सुझाव	

निरीक्षण एजेंसी के हस्ताक्षर  
(कार्यालय की स्टाम्प और सील सहित अधिकारी का नाम और पदनाम)

शिल्प मेले में भाग लेने के लिए आवेदन करने हेतु प्रोफार्मा

शिल्प मेले के लिए प्रतिभागी का बायो-डेटा

अनुशंसा करने  
वाले अधिकारी  
द्वारा विधिवत  
सत्यापित फोटो

1. शिल्प/उत्पाद का नाम \_\_\_\_\_
2. आईएचबी/एचएलएम पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_
3. प्रतिभागी का नाम (बड़े अक्षरों में) \_\_\_\_\_
4. डाक का पूरा पता (बड़े अक्षरों में) \_\_\_\_\_
5. पिता/पति का नाम \_\_\_\_\_
6. आयु/जन्म तिथि \_\_\_\_\_
7. क्या एससी/एसटी/ओबीसी हैं \_\_\_\_\_
8. शारीरिक रूप से विकलांग \_\_\_\_\_
9. क्या संत कबीर/राष्ट्रीय/राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण पत्र/राज्य पुरस्कार विजेता धारक \_\_\_\_\_
10. परिवार में बुनाई में लगे हुए  
सदस्यों की संख्या, यदि कोई हो \_\_\_\_\_
11. आवेदक द्वारा उत्पादित हथकरघा उत्पादों का विवरण  
उत्पादों का नाम \_\_\_\_\_ वार्षिक उत्पादन (मात्रा) \_\_\_\_\_
12. शिल्प मेले में बिक्री के लिए लाए जा सकने वाले सामानों की कुल राशि \_\_\_\_\_
13. शिल्प मेले में बेचे जाने वाले शिल्प/उत्पाद का नाम \_\_\_\_\_
14. क्या डीसी (एचएल) के कार्यालय या दिल्ली हाट द्वारा प्रायोजित किसी शिल्प मेले में भाग लिया है।  
यदि हां, तो भागीदारी का विवरण जैसे मेले का नाम, स्थान और अवधि/स्लॉट \_\_\_\_\_
15. क्या किसी बुनकर सहकारी समिति/संगठन के सदस्य के रूप में किसी शिल्प मेले में भाग लिया है?  
यदि हां, तो समिति/संगठन का नाम, स्थान और भागीदारी का विवरण जैसे मेले का नाम, स्थान और  
अवधि/स्लॉट \_\_\_\_\_
16. कुल अनुभव  
(क) हथकरघा में \_\_\_\_\_

नोट: कृपया निम्नलिखित की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें:

- (i) एचएलएम/आईएचबी पंजीकरण प्रमाणपत्र
- (ii) पुरस्कार प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो
- (iii) पहचान और पता प्रमाण



प्रतिभागी का नाम और हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
(संगठन के मामले में संगठन की मुहर के साथ)

अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
कार्यालय मुहर के साथ नाम और पदनाम

शिल्प मेले में भाग लेने के लिए अंडरटेकिंग प्रोफार्मा

में \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी, \_\_\_\_\_ अपने  
घर पर (पूरा पता) \_\_\_\_\_ उत्पादन  
(शिल्प का विवरण) \_\_\_\_\_ मैं केवल हथकरघा पक्ष से ही भाग  
लूंगा। आवेदन में मेरे द्वारा दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है।  
मैं केवल उन्हीं उत्पादों को प्रदर्शित/बिक्री करूंगा/करूंगी जिनके लिए मुझे भाग लेने की अनुमति दी गई है।  
मैं दिशा-निर्देशों में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

(हथकरघा बुनकरों/एजेंसी का पूरे पते के साथ  
नाम और हस्ताक्षर)

प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_,  
पता \_\_\_\_\_ एक वास्तविक हथकरघा  
एजेंसी/ बुनकर है और शिल्प का अभ्यास करते हैं \_\_\_\_\_ यह भी प्रमाणित किया जाता  
है कि श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ दिल्ली हाट/शिल्प मेलों में पिछले वर्ष  
\_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक भाग लिया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

(i) हथकरघा एजेंसी/बुनकर द्वारा बायो डेटा में नोट किया गया नाम, पता, विषय वास्तविक है; तथा

(ii) यह कि नामांकन असली बुनकर का है न कि व्यापारी/बिचौलिये का

अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
कार्यालय मुहर के साथ नाम और पदनाम

अनुलग्नक - ख6

अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/बीएसएम/आरबीएसएम में वास्तविक भागीदारी के लिए  
प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा

क्र.सं.	मद/सूचना	विवरण	
1.	ईपीसी/आईए का नाम		
2.	आयोजन का नाम		
3.	क्या आयोजन स्वयं का अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है (बाद के मामले में, एजेंसी का नाम भी इंगित करें)		
4.	आयोजन की अवधि		
5.	कमोडिटी/सेक्टर		
6.	बाजार लक्ष्य		
7.	नाम और पते और उत्पादों के साथ भारतीय प्रतिभागियों की संख्या (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)	1. हथकरघा सदस्य निर्यातक	
		2. गैर-सदस्यीय विनिर्माण हथकरघा एजेंसियां। (पंजीकरण का ब्यौरा)	
		3. व्यक्तिगत बुनकर	
8.	विदेशी खरीदारों की संख्या (बीएसएम/आरबीएसएम के मामले में)		
9.	घटकों की सांकेतिक सूची और लागत का कुल अनुमान: -		
	1. स्थान का किराया	रु.	
	2. प्रचार	रु.	
	3. प्रतिभागियों को यात्रा अनुदान	रु.	
	4. अन्य	रु.	
10.	कुल	रु.	

ईडी/एमडी/एचओओ, कार्यान्वयन एजेंसी के हस्ताक्षर  
(कार्यालय की मुहर और सील सहित अधिकारी का नाम और पदनाम)

अनुलग्नक - ख7

वर्चुअल मेले/प्रदर्शनियों/बीएसएम/आरबीएसएम के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा

क्र.सं.	मद/सूचना	विवरण																		
1.	ईपीसी/आईए का नाम																			
2.	आयोजन का नाम																			
3.	क्या आयोजन स्वयं का या किसी अन्य एजेंसी द्वारा आयोजन आयोजित किया जा रहा है (बाद के मामले में, एजेंसी का नाम भी इंगित करें)																			
4.	आयोजन की अवधि																			
5.	कमोडिटी/सेक्टर																			
6.	बाजार लक्ष्य																			
7.	नाम और पते और उत्पादों के साथ भारतीय प्रतिभागियों की संख्या (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)	<table border="1"> <tr> <td>1. हथकरघा सदस्य निर्यातक</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. गैर-सदस्यीय विनिर्माण हथकरघा एजेंसियां। (पंजीकरण का ब्यौरा)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. व्यक्तिगत बुनकर</td> <td></td> </tr> </table>	1. हथकरघा सदस्य निर्यातक		2. गैर-सदस्यीय विनिर्माण हथकरघा एजेंसियां। (पंजीकरण का ब्यौरा)		3. व्यक्तिगत बुनकर													
1. हथकरघा सदस्य निर्यातक																				
2. गैर-सदस्यीय विनिर्माण हथकरघा एजेंसियां। (पंजीकरण का ब्यौरा)																				
3. व्यक्तिगत बुनकर																				
8.	विदेशी खरीदारों की संख्या																			
9.	घटकों की सांकेतिक सूची एवं अनुमानित लागत :-																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>घटक</th> <th>वर्चुअल प्रणाली (रु. लाख में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>वर्चुअल प्लेटफॉर्म का विकास, वर्चुअल स्पेस को किराए पर लेना, लाइसेंस शुल्क भागीदारी शुल्क आदि (वर्चुअल मोड में - प्रतिभागियों की संख्या का उल्लेख किया जाना है)।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कैटलॉग/ई-ब्रोशर/वेब-बैनर और अन्य सामग्री आदि के माध्यम से प्रचार व्यय।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>यात्रा अनुदान</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>विविध उद्घाटन और वेबिनार सत्र (लाइव स्ट्रीम/प्री-रिकॉर्डेड) अनुवाद और व्याख्या, बोर्डिंग/प्रशिक्षण और परियोजना प्रबंधन/प्रशासनिक खर्च आदि पर इग्जिबिटर जैसे खर्च।</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>कुल</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	घटक	वर्चुअल प्रणाली (रु. लाख में)	1.	वर्चुअल प्लेटफॉर्म का विकास, वर्चुअल स्पेस को किराए पर लेना, लाइसेंस शुल्क भागीदारी शुल्क आदि (वर्चुअल मोड में - प्रतिभागियों की संख्या का उल्लेख किया जाना है)।		2.	प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कैटलॉग/ई-ब्रोशर/वेब-बैनर और अन्य सामग्री आदि के माध्यम से प्रचार व्यय।		3.	यात्रा अनुदान	-	4.	विविध उद्घाटन और वेबिनार सत्र (लाइव स्ट्रीम/प्री-रिकॉर्डेड) अनुवाद और व्याख्या, बोर्डिंग/प्रशिक्षण और परियोजना प्रबंधन/प्रशासनिक खर्च आदि पर इग्जिबिटर जैसे खर्च।		5.	कुल		
क्र. सं.	घटक	वर्चुअल प्रणाली (रु. लाख में)																		
1.	वर्चुअल प्लेटफॉर्म का विकास, वर्चुअल स्पेस को किराए पर लेना, लाइसेंस शुल्क भागीदारी शुल्क आदि (वर्चुअल मोड में - प्रतिभागियों की संख्या का उल्लेख किया जाना है)।																			
2.	प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कैटलॉग/ई-ब्रोशर/वेब-बैनर और अन्य सामग्री आदि के माध्यम से प्रचार व्यय।																			
3.	यात्रा अनुदान	-																		
4.	विविध उद्घाटन और वेबिनार सत्र (लाइव स्ट्रीम/प्री-रिकॉर्डेड) अनुवाद और व्याख्या, बोर्डिंग/प्रशिक्षण और परियोजना प्रबंधन/प्रशासनिक खर्च आदि पर इग्जिबिटर जैसे खर्च।																			
5.	कुल																			

(कार्यालय की स्टाम्प और सील सहित अधिकारी का नाम और पदनाम)

**मार्केटिंग प्रोत्साहन**

एमआई का दावा करने के लिए हथकरघा निगमों / शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों, उत्पादक कंपनियों, एसएचजी, जेएलजी, संघों, अन्य पात्र हथकरघा संस्थाओं और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रोफार्मा

1. राज्य का नाम :
2. वर्ष के लिए दावा :
3. एजेंसी/समिति का नाम और पता:
4. एजेंसी/सोसाइटी द्वारा कवर किए गए बुनकरों की संख्या:-

क्र. सं.	श्रेणी का नाम	पुरुष	महिलाएं	कुल
1	सामान्य			
2	अनुसूचित जाति			
3	अनुसूचित जनजाति			
4	अन्य पिछड़ा वर्ग			
5	अल्पसंख्यक			
6	अन्य			
	कुल			

5. पिछले तीन वर्षों के लिए बिक्री कारोबार:

(जीएसटी बिलों (यार्न खरीद और बिक्री बिल / इन्वॉइस) के आधार पर गणना सभी जीएसटी कानूनों का पालन करती है और इसमें शीर्ष समितियों, संघों, निगमों, सरकारी विभागों की एजेंसियों को बिक्री, हथकरघा एजेंसियों को बिक्री / वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत बिक्री और केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के तहत इसी तरह के प्रोत्साहन/छूट के तहत सहायता का दावा करने के उद्देश्य से गणना की गई बिक्री शामिल नहीं है।)

वर्ष	फैब्रिक्स	मेड-अप्स	गारमेंट्स	अन्य	कुल
<b>कुल</b>					

6. पिछले तीन वर्षों का औसत बिक्री कारोबार :

7. मार्केटिंग प्रोत्साहन 10% की दर से पात्र :
8. राज्यों की हिस्सेदारी 5% की दर से :
9. केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 5% की दर से :

प्रमाणित किया जाता है कि हमारा संगठन एचएलएम/आईएचबी का पंजीकृत उपयोगकर्ता है और उत्पादों में एचएलएम/आईएचबी लेबल का उपयोग करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि एमआई के आंकड़ों की गणना ऊपर बिंदु -5 में दिए गए खंड के अनुसार की गई है।

अध्यक्ष के हस्ताक्षर/  
एजेंसी/समिति के सचिव  
सील सहित

पंजीकरण सं. -----सहित चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर/  
सांविधिक लेखा-परीक्षक  
सील सहित

मार्केटिंग प्रोत्साहन

नोडल एजेंसी और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत दावे के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि

1. एमआई का दावा करने वाली हथकरघा एजेंसियां मौजूद हैं और कार्य कर रही हैं ।
2. अनुबंध-ख (8) के तहत क्र.सं. के प्वाइंट 1 से 9 सही हैं और एमआई हेतु पात्रता की गणना के लिए नोडल एजेंसी द्वारा ध्यान में रखते हुए विधिवत सत्यापित हैं।
3. पात्र हथकरघा एजेंसियों को एमआई की गणना जीएसटी बिलों (यार्न खरीद और बिक्री बिल) के आधार पर की गई है जो सभी जीएसटी कानूनों का पालन करते हैं।
4. एमआई के दावों को केवल उन हथकरघा एजेंसियों के लिए प्राथमिकता दी गई है जिन्होंने उपभोक्ता को उत्पाद बिक्री का अंतिम लेनदेन किया है और पात्र राशि के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार की गणना करते समय निम्नलिखित बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं:
  - i) एक हथकरघा एजेंसी द्वारा दूसरी हथकरघा एजेंसी को अथवा इसके विपरीत बिक्री को शामिल नहीं किया गया है।
  - ii) पीएचडब्ल्यूसीएस/किसी अन्य हथकरघा एजेंसी द्वारा शीर्ष समितियों, संघों, निगमों को हथकरघा उत्पादों की बिक्री को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
  - iii) किसी भी हथकरघा एजेंसी द्वारा सरकारी विभागों/एजेंसियों को की जाने वाली बिक्री को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
  - iv) हथकरघा एजेंसियों द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत की गई बिक्री को बाहर रखा गया है।
5. एमआई का दावा करने के उद्देश्य से परिकल्पित की गई बिक्री की गणना केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के तहत इसी तरह के प्रोत्साहन/छूट के तहत अन्य सहायता के लिए नहीं की गई है।
6. राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी) की दिनांक \_\_\_\_\_ को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके कार्यवृत्त संलग्न हैं।
7. राज्य सरकार के मंजूरी आदेश संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के तहत राज्य का हिस्सा पहले ही जारी किया जा चुका है।
8. एमआई का लाभ उठाने के लिए एजेंसी द्वारा एनएचडीपी के तहत एमआई के योजना दिशा-निर्देशों के मानदंडों के अनुसार सभी पात्रता शर्तों को पूरा किया गया है और एजेंसी द्वारा कोई अतिरिक्त राशि का दावा नहीं किया गया है।
9. दावा करने वाली एजेंसी को 5 साल की योजना अवधि के दौरान इस प्रस्ताव सहित 3 वर्षों से अधिक के लिए एमआई दावों के लिए प्राथमिकता नहीं दी गई है।
10. डीसी (एचएल) अथवा वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय की किसी भी योजना के तहत प्राप्त किसी भी अनुदान के लिए उपरोक्त अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के संबंध में कोई यूसी लंबित नहीं है।



11. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि एजेंसी किसी भ्रष्ट आचरण में शामिल है ।
12. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी विवरण सही हैं और अनुदानग्राही एजेंसी के बही खातों से सत्यापित हैं ।
13. प्रमाणित किया जाता है कि एजेंसी एचएलएम/आईएचबी की पंजीकृत उपयोगकर्ता है और अपने उत्पादों में एचएलएम/आईएचबी लेबल का इस्तेमाल करती है ।

(हस्ताक्षर)

\_\_\_\_\_राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल एजेंसी

हथकरघा

(मुहर के साथ)

(हस्ताक्षर)

प्रभारी निदेशक

\_\_\_\_\_सरकार

(मुहर के साथ)

**मार्केटिंग प्रोत्साहन**

एमआई के तहत हथकरघा एजेंसियों के दावों को अग्रेषित करते समय नोडल एजेंसी और निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के साथ समेकित विवरण।

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	वर्ष के लिए दावे	कुल एमआई पात्रता	एसएलपीसी द्वारा अनुमोदित एमआई	राज्य का हिस्सा	केंद्र का हिस्सा	राज्य सरकार द्वारा जारी राशि	केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि
1								
2								
कुल								

श्रेणी-वार हथकरघा एजेंसियों द्वारा कवर किए गए बुनकरों की कुल संख्या:

हथकरघा एजेंसियों द्वारा कवर किए गए बुनकरों की कुल संख्या:													
सामान्य		एससी		एसटी		ओबीसी		अल्पसंख्यक		अन्य		कुल	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला

**हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र।**

प्रमाणित किया जाता है कि

1. उपरोक्त सभी अनुदानग्राही हथकरघा संगठन/सोसायटियां (एजेंसियां) अस्तित्व में हैं और कार्य कर रही हैं तथा हथकरघा एजेंसियों के रिकॉर्ड और रजिस्ट्रों की \_\_\_\_\_(संख्या) की \_\_\_\_\_सरकार के फील्ड अधिकारियों द्वारा वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए जाँच और सत्यापन किया गया है तथा उपलब्ध और सही पाया है।
2. दावे का समेकित विवरण एजेंसी/एजेंसियों द्वारा बिना किसी दोहराव के व्यक्तिगत दावों के आधार पर तैयार किया गया है और दावा की गई किसी भी सहायता को पहले अधिमानित नहीं किया गया है।
3. एसएलपीसी के अनुमोदन के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने के मंजूरी आदेश संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के माध्यम से संबंधित अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों को अपना मैचिंग शेयर जारी किया है, जिसे डीबीटी के माध्यम से संगठनों और सदस्य बुनकरों के बीच समान रूप से साझा किया गया है। मंजूरी आदेश की एक प्रति और हस्तांतरित राशि का दस्तावेजी प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट) संलग्न है।
4. एमआई के केंद्रीय हिस्से के लिए प्राप्त पिछली राशि को भी डीबीटी के माध्यम से संगठन/सदस्य बुनकरों के बीच/समान रूप से जारी/साझा किया गया है।

5. लाभार्थियों (राज्य का हिस्सा) का विवरण नोडल एजेंसी और राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसमें एमआई (भारत सरकार का हिस्सा) के केंद्रीय हिस्से के लिए प्राप्त पिछली राशि शामिल है।
6. भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा पहले जारी किए गए एमआई के वितरण अथवा लंबित रहने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
7. हथकरघा एजेंसियों द्वारा अब किए गए दावे \_\_\_\_\_ राज्य सरकार के संबंध में वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए पूर्ण और अंतिम हैं और भविष्य में इस अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा आगे कोई दावा नहीं किया जाएगा।
8. हथकरघा एजेंसियों द्वारा अधिमानित किए गए एमआई दावों का पहले से जारी एमआई के पिछले खाते और लाभार्थियों को दिए गए लाभ सहित ऑडिट सरकारी ऑडिटर्स द्वारा किया गया है (लेखापरीक्षा विवरण सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट ज्ञापन संलग्न)।
9. उपरोक्त विवरण ई-मेल / सीडी के माध्यम से अग्रेषित किया गया है।

(हस्ताक्षर)

\_\_\_\_\_ राज्य सरकार

द्वारा नामित नोडल एजेंसी

(मुहर के साथ)

(हस्ताक्षर)

भारी निदेशक हथकरघा

\_\_\_\_\_ सरकार

(मुहर के साथ)

नोडल एजेंसी द्वारा बैंक/एलआईसी को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

1.	बुनकर/कामगार का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	लिंग	
4.	जन्म तिथि (समर्थक दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	
5.	आधार संख्या (प्रति संलग्न करें)	
6.	पता (गांव, जिला, राज्य, पिन का नाम) (समर्थक दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	
7.	बुनकर/कामगार का बैंक विवरण (बैंक द्वारा हस्ताक्षरित मेंडेट फॉर्म/रद्द किया गया चेक संलग्न करें)	
	बैंक और शाखा का नाम	
	खाता संख्या	
	आईएफएससी कोड	
	मोबाइल नं.	
8.	लाभार्थी द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की राशि (रुपयों में)	रुपये

नोडल एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक.....

**पुरस्कार विजेता बुनकर के लिए वित्तीय सहायता का दावा करने हेतु प्रपत्र**

पुरस्कार प्राप्त बुनकर/कामगार के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता का दावा करने हेतु प्रपत्र		पुरस्कार विजेता का फोटो (संबंधित डब्ल्यूएससी द्वारा विधिवत सत्यापित)
पुरस्कार प्राप्त हथकरघा बुनकर/कामगार का विवरण		
1.	नाम	
2.	बुनकर/कामगार पहचान पत्र संख्या (पहचान प्रमाण की प्रति संलग्न करें)	
3.	जन्म तिथि (सहायक दस्तावेज़ की प्रति संलग्न करें)	
4.	आधार संख्या (प्रति संलग्न करें)	
5.	मोबाइल नंबर	
6.	पता (पते के प्रमाण की प्रति संलग्न करें)	
7.	लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)	
8.	श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी/अन्य)	
9.	क्या इसी उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता का दावा अन्य स्रोतों से किया गया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें और यदि नहीं, तो इस संबंध में एक वचन पत्र संलग्न करें	
10.	पुरस्कार का नाम और वर्ष (पुरस्कार प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	
11.	वार्षिक आय रुपये में (संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से	

	आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
12.	डब्ल्यूएससी को आवेदन जमा करने की तिथि	
13.	वह अवधि जिसके लिए वित्तीय सहायता का दावा किया गया है	
14.	दावा की गई कुल राशि	
15.	बैंक का नाम	
16.	खाता संख्या	
17.	शाखा का पता	
18.	आईएफएससी कोड	
19.	बैंक द्वारा हस्ताक्षरित मैनडेट फॉर्म/रद्द किया हुआ चेक/पासबुक के पहले पन्ने की प्रति संलग्न करें	
<b>केवल डब्ल्यूएससी उपयोग के लिए</b>		
1.	दावे की अनुशंसित अवधि	
2.	राज्य पुरस्कार के मामले में पुरस्कार की पुष्टि	
3.	अनुशंसा के लिए डब्ल्यूएससी का संक्षिप्त औचित्य	

**पुरस्कार प्राप्त हथकरघा बुनकर/कामगार के हस्ताक्षर**

**बुनकर/कामगार के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रपत्र**

हथकरघा बुनकर/कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति फॉर्म		हथकरघा बुनकर/कामगार का फोटो (संबंधित डब्ल्यूएससी द्वारा विधिवत सत्यापित)	बुनकरों/ कामगारों के बच्चे की फोटो (संबंधित डब्ल्यूएससी द्वारा विधिवत सत्यापित)
<b>हथकरघा बुनकर/कामगार का विवरण</b>			
1.	नाम		
2.	बुनकर/कामगार पहचान पत्र संख्या (प्रति संलग्न करें)		
3.	आधार कार्ड संख्या (प्रति संलग्न करें)		
4.	मोबाइल नंबर		
5.	पता (पते के प्रमाण की प्रति संलग्न करें)		
6.	लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)		
7.	श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी/अन्य)		
<b>हथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों का विवरण</b>			
8.	पुत्र/पुत्री का नाम जिसके लिए छात्रवृत्ति का दावा किया गया है		
9.	पिता का नाम		
10.	माता का नाम		
11.	जन्म तिथि (मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार)		
12.	लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)		
13.	श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी/अन्य)		
14.	आधार कार्ड संख्या (प्रति संलग्न करें)		

15.	मोबाइल नंबर	
16.	हथकरघा संस्थान सहित टेक्सटाइल डिजाइन/वस्त्र का नाम (जहां दाखिला है)	
17.	संस्थान का प्रकार चाहे केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा वित्त पोषित संस्थान हो। कृपया निर्दिष्ट करें और सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें	
18.	पाठ्यक्रम का नाम	
19.	पाठ्यक्रम का प्रकार, डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर इंगित करें।	
20.	पाठ्यक्रम की अवधि	
21.	नए छात्र के मामले में संबंधित संस्थान से प्रवेश प्रमाण की प्रति संलग्न करें	
22.	वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की मार्कशीट की प्रति और छात्र के आगे की पढ़ाई जारी रखने के मामले में संबंधित संस्थान से अगले शैक्षणिक सत्र के प्रवेश प्रमाण-पत्र (जैसा भी मामला हो) संलग्न करें।	
23.	पाठ्यक्रम का कुल वार्षिक शुल्क/प्रभार रु. में (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
24.	वार्षिक शुल्क/प्रभार और वजीफा सहित दावा की गई कुल राशि (रुपये में)	
25.	शैक्षणिक वर्ष जिसके लिए वित्तीय सहायता का दावा किया गया है (प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष)	
26.	क्या छात्रवृत्ति किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुई है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें और यदि नहीं, तो इस संबंध में एक वचन-पत्र संलग्न करें	हां/नहीं
27.	क्या इसी उद्देश्य के लिए वजीफे का दावा अन्य स्रोतों से किया गया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें और यदि नहीं, तो इस संबंध में एक वचन-पत्र संलग्न करें	हां/नहीं
28.	बैंक विवरण संलग्न	हथकरघा बुनकर/कामगार अथवा उसका बच्चा
29.	बैंक का नाम	
30.	खाता संख्या	
31.	शाखा का पता	
32.	आईएफएससी कोड	



केवल डब्ल्यूएससी के प्रयोग हेतु		
1.	आगे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु डब्ल्यूएससी का संक्षिप्त औचित्य।	
2.	डीसीएचएल (मुख्यालय) से निधियों की आवश्यकता हेतु आवेदन पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का संक्षिप्त प्रमाणीकरण/अनुशंसा	
3.	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कुल अनुशंसित राशि (रुपये में) और पात्र अवधि	

हथकरघा बुनकर/कामगार के हस्ताक्षर